<u>सं0 2995/15–5–86–312/76</u>

प्रेषक,

सुशील चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0,
लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (5) अनुभाग **दिनांक लखनऊ, अगस्त 5 : 1986**

विषयः उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के विद्यार्थियों से भवन तथा साज–सज्जा अनुदान तथा खेलकूद शुल्क लिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित समस्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के विद्यार्थियों से विद्यालय भवनों के रख रखाव, नव निर्माण व उनकी साज–सज्जा की पूर्ति के व्यय को पूरा करने के लिए रू0 1/–प्रति विद्यार्थी प्रति तिमाही दान के रूप में प्राप्त किए जाने के आदेश शासनादेश संख्या 7852/15–5–312/76 दिनांक 15.1.1977 के अन्तर्गत जारी किए गये थे, जिसे बाद में शासनादेश संख्या 1294/15–5–312/76 दिनांक 14 मार्च, 1977 द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन ने पुनः यह निर्णय लिया है कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित समस्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के विद्यार्थियों से विद्यालय भवनों के रख–रखाव, नव निर्माण व उसकी साज–सज्जा की सम्पूर्ति व्यय को पूरा करने के लिए विकास अभिदान कक्षा 02 से 05 तक रू0 1/– प्रति माह तथा कक्षा–6 से 8 तक रू0 2/– प्रतिमाह दान के रूप में प्राप्त किया जाय। कक्षा–1 से कोई अभिदान नहीं लिया जाएगा तथा मई और जून में कोई अभिदान नहीं लिया जाएगा। यह केवल 10 माह के लिए प्रत्येक वर्ष लागू रहेगा। छात्रों से वसूल किए जाने वाले इस विकास अभिदान को उसी विद्यालय की विशेष मरम्मत, पेयजल की व्यवस्था, साज–सज्जा अर्थात टाट–पट्टी, मेज, कुर्सी, श्याम पट आदि की व्यवस्था एवं ऐसे विकास कार्य जो परिषद द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किए जाय पर व्यय किया जाएगा।

2. उक्त प्राप्त धनराशि का 90 प्रतिशत सम्बन्धित विद्यालय के नाम किसी बैंक/पोस्ट आफिस में रखा जाएगा और इस खाते का संचालन गांव शिक्षा समिति के अध्यक्ष अर्थात ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत धनराशि जिला स्तर पर खोले गये खाते में रखी जाएगी, जिसका संचालन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे।

3. उक्त 90 प्रतिशत धनराशि का व्यय ग्राम शिक्षा समिति के नियंत्रणाधीन होगा और उससे अधिक व्यय की अपूव्रि जिला स्तरीय जमा 10 प्रतिशत धनराशि आवश्यकतानुसार की जाएगी। जिसके सम्बन्ध मं ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजे जायेंगे।

4. नगर क्षेत्र में यह खाता विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा अधीक्षक द्वारा नाम निदिष्ट उस विद्यालय के क्षेत्र के निवासी किसी कार्यरत या सेवा निवृत राजकीय कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।

5. इसी प्रकार प्राइवेट विद्यालयों में जूनियर हाई स्कूल के स्तर पर छात्रों से विकास शुल्क लिया जाएगा। प्राइवेट विद्यालयों में सम्प्रति कक्षा–6, 7 व 8 में क्रमशः 25 पैसे, 50 पैसे

व 50 पैसे प्रति छात्र प्रतिमाह लिया जा रहा है। जो संस्थाएं शासन से अनुदान प्राप्त करती है, उन पर वेतन वितरण अधिनियम लागू रहता है। ऐसी संस्थाओं में उक्त शुल्क की आधी धनराशि अनुरक्षण निधि मं गिनी जाती है और कर्मचारियों के वेतन विवरण हेतु प्रयुक्त होती है और प्रबन्ध तंत्र के पास केवल आधी धनराशि ही संस्था के विकास हेतु उपलब्ध रहती है। यह आधी धनराशि प्रबन्ध तंत्र द्वारा लेते रहने का कोई औचित्य नहीं है। विद्यार्थियों से विकास निधि योजना लागू करने के साथ ही विकास शुल्क की दर आधी कर दी जाएगी और इस शुल्क की एकत्र धनराशि पूरी की पूरी अनुरक्षण निधि में यथावत गिनी जाएगी। कक्षा–7 व 8 में इसकी संशाधित दर 50 पैसे के स्थान पर 25 पैसे होगी लेकिन कक्षा–6 में 25 पैसे के स्थान पर 12.5 पैसा रखना अव्यवहारिक अंकित होने की वजह से नई दर 15 पैसा होगी। प्राइवेट विद्यालयों में विकास निधि का उद्देश्य एवं दरें वहीं होगी जिनका उल्लेख ऊपर प्रस्तर–1 में किया गया है। इसका खाता संस्था के प्रबन्धक प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किस अनुसूचित बैंक में खोला जाएगा। 500 रू0 तक का कार्य प्रबन्धक के आदेश से तथा इससे अधिक का कार्य प्रबन्ध समिति के प्रतिबन्ध यह है कि पहली दशा में प्रबन्धक के लिए उसकी सूचना प्रबन्ध समिति की अगली बैठक में देना बन्धनकारी होगा।

6. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि छोटे बच्चों में खेलकूद के प्रति रूझान और खेलकूद के माध्यम से उनके सदगुणों के विकास के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए खेलकूद शुल्क प्राइमरी कक्षाओं में छात्रों से प्रति छात्र प्रति मास .10 पैसे (दस माह तक) या रू0 1/– प्रति वर्ष तथा कक्षा–4 व 5 में प्रति छात्र प्रति मास .20 पैसे (दस माह तक) या रू0 2/– प्रति वर्ष तथा कक्षा 6, 7 व 8 में रू0 2/– प्रति छात्र प्रति मास (दस माह तक) लिया जाएगा। इस प्रकार जो धन वसूल होगा वह सम्बन्धित स्कूलों पर ही व्यय किया जाएगा और वसूल होने वाले धनराशि जिला बेसिक शिक्षा निधि में जमा होगी।

7. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से विकास शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी तथा शेष छात्रों की संख्या के 10 प्रतिशत तक छात्रों को विकास शुल्क से गरीबी के आधार पर छूट देने का अधिकार ग्राम्य शिक्षा समिति/नगर शिक्षा समिति जैसी स्थिति हो को प्राप्त होगा।

8. प्राप्त होने वाली धनराशि के व्यय की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किए जायेंगे। जिसके सम्बन्ध में आप अपनी संस्तुति शासन को शीघ्रातिशीघ्र भेजें। यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग–1 के अशासकीय पत्र संख्या एफ.ए. 705/दस–86, दिनांक 23 जून, 1986 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहें है।

भवदीय

सुशील चन्द्र

अनु सचिव

प्रेषक,

शिक्षा निदेशालय (बेसिक),
उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन,
शिक्षा–6 अनुभाग,
लखनऊ।

पत्रांकः शि0नि0 (बे0)/33364/2003–04 दिनांक 31 मार्च, 2004

विषयः मध्यान्ह पोषाहार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 29.03.2004 को आहूत बैठक का स्मरण करने का कष्ट करें, जो उक्त बैठक में निर्देशित किया गया है कि मध्यान्ह पोषाहार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध खाद्यान्न को पके–पकाये भोजन में परिवर्तित करने की लागत एक रूपया प्रति बच्चा प्रतिदिन से रखी जाएगी। उक्त एक रूपया पके–पकाये भोजन के लिए विभिन्न अवव्ययों में व्यय किया जाएगाः

1. अनाज यथा गेंहूँ को आटे में परिवर्तित करने की लागत	0.5 पैसे
2. बनस्पति आदि पर व्यय	0.5 पैसे
3. दाल अथवा अन्य सहायक खाद्य पदार्थ पर व्यय	0.25 पैसे
4. मसाले पर व्यय	0.5 पैसे
5. ईधन पर व्यय	0.40 पैसे
6. मजदूरी पर व्यय	0.20 पैसे
	योग– 1.00 पैसे

कृपया उक्त से अवगत होना चाहें।

भवदीय
ह0
(जे0पी0दिनकर)
शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0,
निशातगंज लखनऊ

संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000टी.सी.–3

प्रेषक,

श्री हरिराज किशोर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊ दिनांक– 25 जून, 2004**

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्य न्यायालय में योजित याचिका संख्या–196/2001 पीपुल्स युनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्य न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2001 के समादर में श्री राज्यपाल महोदय गरीबी रेखा के क्रम में नीचे से चयनित प्रदेश के 25 प्रतिशत अर्थात 16 निम्न जनपदों– 1. बहराइच, 2. हरदोई, 3. लखीमपुर खीरी, 4. सोनभद्र, 5. उन्नाव, 6. रायबरेली, 7. प्रतापगढ़, 8. सीतापुर, 9. गोण्डा, 10. फैजाबाद, 11. बाराबंकी, 12 मऊ, 13. इटावा, 14. सुल्तानपुर, 15. लखनऊ, 16. शाहजहाँपुर में बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) योजना लागू किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :–

1. प्रदेश के सरकारी/परिषदीय/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों/ई0जी0एस0 केन्द्रों में कक्षा–1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वर्ष में कम से कम 200 दिन पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में 300 कैलोरी ऊर्जा तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन हानी अनिवार्य है।

2. भारत सरकार द्वारा तीन किलोग्राम प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की दर से उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न से बच्चों को ग्राम पंचायत/वार्ड कमेटियों के माध्यम से पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु व्यवस्था की जाएगी जिसके अन्तर्गत गेंहूँ बाहुल्य क्षेत्रों में दलिया (मीठा), नमकीन दाल रोटी अथवा सब्जी रोटी अथवा चावल बाहुल्य क्षेत्रों में खिचड़ी, तहरी, दाल चावल, सब्जी चावल तैयार कराकर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें निर्धारित पौष्टिकता का स्तर बनाए रखने के उद्देश्य से दाल अथवा सब्जी का उपयोग स्थानीय स्तर पर मौसम के आधार पर किया जा सकेगा।

3. भोजन पकाने के कार्य में अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता न लेते हुए ग्राम पंचायतों की सहायता ली जाएगी तथा भोजन पकाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप)/एन. जी.ओ. की सेवाएं भी प्राप्त की जा सकेगी।

4. खाना पकाने के लिए सामग्री/मजदूरी की व्यवस्था (कन्वर्जन कास्ट) निम्नलिखित स्रोतो से वहन की जाएगी :–

1. 25 प्रति.पी.एम.जी.वाई.योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से।
2. 25 प्रतिशत राज्य सरकार से वित्त पोषण से।
3. 50 प्रतिशत खाद्यान्न के रूप में खाना पकाने वाली संस्था को (02 किग्रा प्रति छात्र प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराकर) (यह खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध

कराये जा रहे खाद्यान्न का ही अंग होगा। अतः इस निमित्त धनराशि की व्यवस्था कराते हुए अवमुक्त किए जाने की आवश्यकता न होगी)

5. ग्रामीण क्षेत्र में किचेन शेड का निर्माण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) एवं शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों में किचेन शेड का निर्माण नेशनल स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम से दिया जाएगा। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चिन्हांकित नवीन विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान से किया जाएगा।

6. खाना पकाने हेतु बर्तनों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से की जाएगी।

7. योजना के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के आय व्ययक में करायी जाएगी जिसे आवश्यकतानुसार पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग को अवमुक्त किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत/वार्ड समिति के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में भोजन पकाकर उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण दायित्व पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग का होगा।

8. ग्राम प्रधान/अध्यक्ष वार्ड समिति द्वारा बच्चों का सत्यापन संख्या के आधार पर कराते हुए प्रतिमाह कन्वर्जन कास्ट की धनराशि अग्रिम के रूप में की जा सकेगी तथा उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए अगले माह हेतु अनाज एवं कन्वर्जन कास्ट प्राप्त किया जा सकेगा/सकेगी।

विद्यालयों में पके–पकाये भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एवं समिति निम्नवत गठित की जाएगी।

1. ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों	सदस्य
3. विद्यालय के प्रधानाध्यापक	सदस्य
4. दो पुरूष अभिभावक प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत होंगे	सदस्य

9. नगर निगम/नगर पालिकाएं/नगर पंचायतों के क्षेत्रों के अन्तर्गत पड़ने वाले विद्यालयों के बच्चों हेतु पका–पकाया भोजन तैयार करने तथा उसे बच्चों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु वार्ड समिति निम्नवत् गठित की जाएगी :–

1. सम्बन्धित वार्ड सभासद	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित वार्ड सभासद द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों	सदस्य
3. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक	सदस्य
4. दो पुरूष अभिभावक प्रतिनिधि जो वार्ड के सभासद द्वारा मनोनीत होंगे	सदस्य

10. प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर भी एक समिति गठित की जाएगी जिसकी प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जाएगी। जनपद स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् होगा :–

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
4. जिला विद्यालय निरीक्षण	सदस्य
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6. जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
7. सम्बन्धित नगर आयुक्त/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	सदस्य
8. जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य

9. भारत खाद्य निगम/उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अधिकारी — सदस्य

11. उक्त योजना की नियमित समीक्षा/अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर भी निम्नवत् एक समिति गठित की जाएगी जो योजना की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा करेगीः—

1. प्रमुख सचिव, शिक्षा/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा सचिव, बेसिक शिक्षा — अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज
3. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास
6. प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम
8. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग
9. निदेशक, पंचायती राज विभाग
10. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद

12. इस योजना पर आने वाले व्यय—भार के निमित्त वित्तीय स्वीकृत के आदेश अलग से निर्गत किए जाएगें।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अद्धशासकीय संख्या—ई—11/1047/दस—2004 दिनांक 18.6.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय
ह0
(हरिराज किशोर)
सचिव

<u>पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव

संख्याः 1646/79–6–04–1(6)/2000टी.सी.3

प्रेषक,

श्री हरिराज किशोर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3.

शिक्षा अनु0–6 **लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2004**

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/00टी.सी.–3 दिनांक 25 जून, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देश के कतिपय प्रदेशों एवं संघ शासित प्रदेशों में मिड–डे–मील योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिया जा रहा है, जिसे खाने के उपरान्त कुछ प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे बीमार पड़ रहे है। अब उ0प्र0 में भी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को भी गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भोजन सामग्री का भण्डारण, भोजन को बनाने, परोसने तथा उपयोग में लाये जाने में सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाय। भोजन पकाने वाले कर्मी भी स्वच्छता से कार्य करने के साथ में स्वयं भी स्वच्छ रहे। मध्यान्ह पोषाहार योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित किए जाने की व्यवस्था उक्त शासनादेश में की गयी है। इस गठित समितियों का निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व हागाः–

1. मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न चावल, गेहूँ आदि को गोदाम से उठाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि खाद्यान्न सड़ा गला एवं खराब न हो।
2. खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री को ले जाने वाले सामान जैसे बोरा, वाहन, बर्तन, थैला आदि साफ सुथरा हों।
3. खाद्यान्न को रखने हेतु स्टोर की साफ सफाई उच्चकोटि का हो तथा खाद्यान्न को कीटाणुओं से बचाये रखने हेतु आवश्यक समस्त उपाय किए जाय।
4. खाना पकाने से पूर्व उपलब्ध खाद्यान्न गेंहूँ अथवा चावलों को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाय एवं आवश्यकतानुसार धो लिया जाय।
5. खाना पकाने हेतु उपयोग में लाये जाने वाले समस्त बर्तनों को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाय।
6. खाना बन्द बर्तनों में स्टीम कुकिंग द्वारा पकाने का यथा सम्भव प्रयास किया जाय।
7. पके–पकाये खानों को हाथों से न परोसकर खाना परोसने वाले बर्तनों का प्रयोग किया जाय।
8. गर्म पका–पकाया भोजन बच्चों को परोसने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि खाने को किसी व्यस्क व्यक्ति (अध्यापक/अध्यापिका या सामुदाय का व्यक्ति) चख ले जिससे भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण हो सके व बच्चों को किसी प्रकार की क्षति न हो।
9. पका–पकाया भोजन उपभोगपरान्त किन्हीं कारणों से बच जाय तो उसे दूसरे दिन बच्चों को कदापि न परोसा जाएगा।

10. खाना पकाने हेतु स्वच्छ बर्तन का प्रयोग किया जाय।
11. खाना पकाने हेतु उच्च गुणवत्ता वाले मसाले तेल आदि का प्रयोग किया जाय।
12. आवश्यकतानुसार हरी एवं ताजी सब्जियों का प्रयोग किया जाय।
13. खाना पकाने हेतु पक्की छत वाले भवन/किचन शेड का प्रयोग किया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित एजेंसी को उक्त निर्देशों से अवगत कराया जाय।

भवदीय
ह0
(हरिराज किशोर)
सचिव, बेसिक शिक्षा

पृष्ठांकन समसंख्यक(1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
10. समस्त काषाधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उ0प्र0।
13. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव

संख्या–1688/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.

प्रेषक,

श्री हरिराज किशोर,
सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊ, दिनांकः 30 जुलाई, 2004**

विषयः– प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.3 दिनांकः 25 जून, 2004 एवं शासनादेश संख्या–1646/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.2 दिनांकः 23 जुलाई, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन दिए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान देते हुए कड़ाई से पालन कराया जायः–

(1) खाना पकाने वाला व्यक्ति स्थानीय हो। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं विधवाओं एवं परितक्यता को वरीयता दी जाय। इस सम्बन्ध में तत्काल इन्हें चिन्हित करने की आवश्यकता है जिससे योजना प्रारम्भ करने के पूर्व स्वच्छतापूर्वक पौष्टिक पका–पकाया भोजन तैयार कराये जाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो सके। इस संदर्भ में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर खाना पकाने वालों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाय। जिसमें सभी आवश्यक निर्देश दिए जाय यथा खाद्यान्न की खाना पकाने से पूर्व सफाई, ईंधन की व्यवस्था, स्वच्छ जल का उपयोग रसोई को स्वच्छ रखना तथा इस कार्य में संलग्न होने वाले समस्त लोगों को स्वयं भी स्वच्द रहने के निर्देश दिए जाए। जिन विद्यालयों में 200 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं उन विद्यालयों में दो व्यक्तियों से खाना पकाने का कार्य लिया जा सकता है।

(2) भोजन पकाने हेतु ऐसी वस्तु का उपयोग न किया जाये जिससे शिक्षा व्यवस्था व्यवधान रहित ढंग से संचालित होती रहे। इस हेतु अलग से किचेन शेड बनाने के निर्देश ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी किये जा रहें हैं। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि विद्यालय में स्वच्छ जल की उपलब्धता हो तथा स्वच्छ जल को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में बर्तन उपलब्ध हो। समय–समय पर विद्यालयों में पानी रखने हेतु बर्तनों की व्यवस्था की गयी है। जिनका उपयोग इस कार्य में भली–भॉति किया जा सकता है।

मध्यान्ह पोषाहार योजना हेतु धनराशि शीघ्र ही निर्गत की जा रही है। अतः गर्म पका–पकाया भोजन की आपूर्ति हेतु सभी सम्बन्धित तैयारियॉ पूर्ण कर ली जाय जिससे पोषाहार योजना समय पर लागू की जा सके। प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित है, अतः पोषाहार सम्बन्धी योजना लागू करने सम्बन्धी कार्यवाही सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हुए सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
ह0
हरि राज किशोर,
सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक(1) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग।
3– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
7– सचिव, महिला एवं बाल विकास।
8– निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग।
9– क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम।
10– प्रबंधन निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
11– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
12– समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
13– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
14– समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी।
15– गार्ड फाइल/सम्बन्धित अधिकारी।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया,)
विशेष सचिव

महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता
सं0 : 1908 / 69–1–04–14(50) / 03

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

राष्ट्रीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 03 अगस्त, 2004

विषय :प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को दोपहर के भोजन की योजना के अन्तर्गत किचेन बनावाने तथा समन्वय समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–भा0स0–104 / 69–1–03–14(50) / 03 दिनांक 15–9–03 तथा 2526 / 69–1–03–14(50) / 03, दिनांक 10.12.2003 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हो सकी है।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ–11–1 / 2001–एन.एस.पी.ई.(एम.डी.एम.) दिनांक 14.11.2003 जो आपको पहले ही भेजा जा चुका है, के सन्दर्भ में प्रदेश शासन को प्राथमिक शिक्षा विभाग की नगरीय क्षेत्र के मलिन बस्तियों में स्थापित प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड निर्माण कराये जाने का अनुरोध किया है। पत्र में एक किचेन शेड के निर्माण पर रूपये 35,000 / –लागत मूल्य अंकित है। इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 25.06.2004 की प्रति संलग्न है।

3. अतः अनुरोध है कि किचेन शेड के निर्माण के सम्बन्ध में हुई प्रगति से शासन को कृपया तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करें ताकि भारत सरकार को तद्नुसार अवगत कराया जा सके।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
ह0
(महेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0)
एवं सर्व शिक्षा अभियान

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
निशातगंज, लखनऊ–226007
2780995, 2781315 फैक्स : 0522–2782715, 2781123, 2781128
ई–मेल : नचकचमच/दबींतदमजण्पद

सेवा में,

जिला/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः नि0का0/एसएसए/म0भो0/935/2004–05 दिनांकः 09 अगस्त, 2004

विषयः उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1688/79–6–04–1(6)2000 टी0सी0–3 दिनांक 06 अगस्त, 2004 द्वारा निर्देश दिए गये है कि प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) उपलब्ध कराया जाना है। प्राथमिक विद्यालयों में भोजन पकाने हेतु बर्तनों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत करायी जानी है।

इस सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक नि0का0/एसएसए/मर0एवंरख0/537/2004–05 दिनांक 23 जून, 2004 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा विद्यालय विकास अनुदान से विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर क्रय की जाने वाली सामग्री को निर्धारित किया गया है। सामग्री की सूची में भोजन पकाने हेतु बर्तनों को खरीदने का प्राविधान है (सूची पुनः संलग्न है)।

शासन के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय विकास अनुदान मद में वर्ष 2004–05 में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सर्वप्रथम भोजन पकाने हेतु समस्त प्राथमिक विद्यालयों में बर्तनों का क्रय निश्चित रूप से किया जाय। आगामी बैठक में बर्तनों के क्रय के सम्बन्ध में प्रगति से भी अवगत कराया जाय।

संलग्नक : उक्तवत्।

भवदीय
ह0
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांकः नि0का0/एसएसए/म0भो0/935/2004–05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के उनके पत्रांक 1688/79–6–04–1(6)2000टी0सी0–3 दिनांक 6 अगस्त, 2004 के क्रम में।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज लखनऊ।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जनपद।
4. विशेष सचिव, शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

ह0
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर राज्य परियोजना निदेशक

2286710
2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

नव चेतना केन्द्र, / 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

ूमइेपजमूॅण्नचेनकंण्बवउ

पत्रांकः 1945 / 110 / तीन / 9–   दिनांकः   09 अगस्त, 2004

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

विषयः प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को दोपहर के भोजन की योजना के अन्तर्गत किचेन बनवाने तथा समन्वय समिति का गठन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1908 / 69–1–04–14(50) / 03, दिनांक–3 अगस्त, 2004 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि नगरीय क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में किचेन शेड के निर्माण से सम्बन्धित है। पत्र की छाया प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। आपका ध्यान भारत सरकार के संलग्न पत्र संख्या–एफ 11–1 / 2001–एनएसपीई (एम.डी.एम.), दिनांक 14 अगस्त, 2003 की ओर आकृष्ट कराते हुए यह अवगत कराना है कि नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियों में किचेन शेड का निर्माण राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत एवं नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियों को छोड़कर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लक्ष्य समूह वाले शेष नगरीय क्षेत्र में स्थापित प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के उप–घटक नगरीय मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्लू.ई.पी.) के अन्तर्गत कराये जाने का निर्देश भारत सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार भारत सरकार के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2003 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार एन.एस.डी.पी. तथा एस.जे.एस.आर.वाई. के उप घटक यू.डब्लू.ई.पी. के अन्तर्गत आबंटित बजट से नियमानुसार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण कार्य करने का कष्ट करें। कृपया इस दिशा में पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट से भी सूडा को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय
ह0
(दिवाकर त्रिपाठी)
निदेशक

<u>पंत्राक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या 1908 / 69–1–04–14(50) / 03, दिनांक 3.08.2004 तथा पत्रांक यूओ–48 / 69–1–04–1(6) / 2000 जी, दिनांक 05 अगस्त, 2004 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि भारत सरकार के संलग्न पत्र–एफ 11–1 / 2001–एनएसपीई(एमडीएम), दिनांक 14 अगस्त, 2003 के अनुसार समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डूडा, उ0प्र0 को मलिन बस्ती व मलिन बस्ती के बाहर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लक्ष्य समूह के श्रोतों में आने वाले प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड निर्माण के निर्देश जारी कर दिए गये है। शेष नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड निर्माण अन्य विभागों से कराये जाने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

ह0
(दिवाकर त्रिपाठी)
निदेशक

जे0एस0दीपक
राज्य परियोजना निदेशक
सर्वशिक्षा अभियान एवं
सचिव, बेसिक शिक्षा

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन, निशातगंज
लखनऊ–226007
दूरभाष–कार्या0–2780384, 2780893
फैक्स : (0522) 2731128, 2781123
ई–मेल : नचकचमच/ंदबपदंदमजण्पद
व0श0प0स0 : 03/2004–2005

लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर, 2004

प्रिय महोदय,

आप अवगत ही है कि माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत पका–पकाया खाना छात्र–छात्राओं को खिलाने का निर्णय लिया है। इस परिप्रेक्ष्य में जनपदों को धनराशियाँ अवमुक्त की गई है और खाद्यान्न का आवंटन किया गया है।

इस महत्वपूर्ण योजना को सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि जिलाधिकारी स्वयं अपनी देखरेख में इस योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को समय से व गुणवत्ता के साथ मिल सके। इसी उद्देश्य से शासन ने निर्णय लिया है कि मध्यान्ह भोजन योजना के लिए जलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

इस सन्दर्भ में आपके स्तर से निम्नलिखित बिन्दुओं के प्रति कार्यवाही की अपेक्षा हैः–

1. उक्त योजना का संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होना है। यह नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाय कि कन्वर्जन कास्ट की धनराशि वास्तविक रूप से ग्राम पंचायतों के खातों में हस्तान्तरित हो गई है।
2. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि खाद्यान्न के आवंटन के विपरीत उठान नियमित रूप से इस योजना के तहत हो रहा है और प्रत्येक कोटेदार द्वारा खाद्यान्न उठाया जा रहा है तथा स्कूलों को मध्यान्ह भोजन योजना हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है।
3. सुचारू रूप से संचालन हेतु यह आवश्यक है कि इसका लगातार निरीक्षण किया जाय तथा इस वृहत योजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें दूर किया जाय। अतः आप स्वयं प्रति माह कम से कम 10 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का निरीक्षण करें तथा कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं अन्य विभागों के जनपदीय अधिकारियों से भी विद्यालयों का निरीक्षण करायें। ब्लॉक एवं जनपदीय अधिकारियों का एक रोस्टर बनाकर यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक माह में कम से कम एक बार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण हो जाय तथा निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न) में आख्या आपको प्रस्तुत की जाय। इसमें पंचायती राज, खाद्य एवं रसद, शिक्षा, बाल विकास परियोजना, विकास खण्ड (खण्ड विकास अधिकारी व सहायक खण्ड विकास अधिकारी) इत्यादि के अधिकारियों को सम्मलित किया जाय।
4. यह एक नयी योजना है तथा इसे प्रभावी रूप से चलाने हेतु विभिन्न विभागों के बीच सम्न्वय की आवश्यकता है। अतः इस योजना की समीक्षा प्रत्येक माह दो बार आवश्य करें तथा इसके कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करें। जनपद स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना की अगली समीक्षा बैठक 7 दिसम्बर, 2004 तक अवश्य कर लें।
5. शहरी क्षेत्रों में उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अतः सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाय। इसके अच्छे परिणाम गाजियाबाद एवं जनपदों में आने लगे है। अन्य बड़े नगरों में भी ऐसे उपायों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। स्वयंसेवी संस्थाओं को खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट सीधे जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था

की जाय तथा आवश्यकतानुसार उन्हें एक से अधिक विद्यालयों हेतु केन्द्रीय किचन चलाने की भी अनुमति दी जाय।

6. जनपद में उपलब्ध खाद्य निरीक्षकों को समय–समय पर प्राथमिक विद्यालयों में भेजकर पके–पकाये भोजन के नमूनों को जाँच कराई जाय तथा भोजन की गुणवत्ता पर नजर रखा जाय जो अधिकांश स्कूल में इस कार्यक्रम का निरीक्षण करने जाय वह भी यथासम्भव भोजन ग्रहण कर उसकी गुणवत्ता पर सुझाव ग्राम प्रधान/अध्यापक/रसोइये को दें।
7. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में किचन शेड बनवाने के निर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके है। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि अगले वर्ष 2005–06 को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को कार्ययोजना में किचन शेड निर्माण को सम्मिलित किया जाय।
8. सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों को दिए गये विद्यालय विकास अनुदान (रू0 2000) से खाना बनाने के बर्तन खरीदने के निर्देश दिए गये थे। यह सुनिश्चित करें कि विद्यालयों में उक्त धनराशि का सदुपयोग कर बर्तनों का क्रय हो गया है तथा विद्यालयों में बच्चों की संख्या के अनुरूप भोजन पकाने हेतु पर्याप्त बर्तन उपलब्ध है।
9. यह भी सुनिश्चित करना है कि जनपद स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना का लेखा–जोखा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा किया जाय।
10. उक्त योजना के अन्तर्गत ब्वदअमतेपवद बवेज की प्रतिपूर्ति ;तमपउइनतेमउमदजद्ध भारत सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त करना है। अतः शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में उक्त योजना का उपभोग प्रमाणपत्र;न्जपसप्रंजपवद बमतजपपिबंजमद्ध शासन को मासिक रूप से उपलब्ध कराया जाय।

मध्यान्ह भोजन योजना को क्रियान्वित करने में यद्यपि कुछ कठिनाइयां अनुभव की जा रही है, मेरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में इसे महत्वपूर्ण योजना का लाभ बच्चों को मिलेगा और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता का पका –पकाया भोजन बच्चों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे।

इस सम्बन्ध में आपके सुझोवों की भी मुझे प्रतीक्षा रहेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

ह0

(जे0एस0दीपक)

जिलाधिकारी

उ0प्र0

संख्या–2329/38–4–04–13जेआरवाई/01

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 03 सितम्बर, 2004

विषयः प्राथमिक विद्यालय में किचन शेड के निर्माण हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन दिए जाने विषयक समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/02 टीसी–3 दिनांक 25.06.2004 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर–5 में उल्लिखित है कि ग्रामीण क्षेत्र में किचन शेड का निर्माण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से किया जाएगा।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाये जा रहे है। ग्रामीण विकास को समुचित दिशा एवं गति प्रदान करने में प्राथमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के साथ–साथ स्थाई, सामुदायिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिसम्पत्तियों तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के मार्ग–निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण कराये जाने हेतु सक्षम है।

3. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हैः–

1. यह कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित हो और उनके द्वारा अनुमोदित किया जाये।
2. बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद मं निर्माण किए जाने वाले किचेन शेड की संख्या एवं लागत का विवरण सम्बन्धित पंचायतों को उपलब्ध करायेंगें।
3. प्रस्ताव में उन प्राथमिक विद्यालयों को इंगित किया जाना चाहिए जहाँ पर किचेन शेड निर्मित होना है। इससे विचलन नहीं होना चाहिए।
4. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लिखित सभी मानक एवं शर्तें उक्त कार्यों पर लागू होगी एवं इसका सम्यक् रूप से अनुश्रवण किया जाय।
5. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह पूर्व से ही गठित है। मिड–डे–मील योजनान्तर्गत भोजन पकाने एवं वितरित कराने में इन समूहों की सहायता ली जाएगी, यदि समूह गठित नहीं है तो उनका गठन किया जाएगा।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में किचन शेड के निर्माण में धनराशि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित पंचायत समितियों–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(अरूण सिंघल)
सचिव

संख्या–2329(1)/38–4–04 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ह0
(ए0के0चतुर्वेदी)
विशेष सचिव

संख्या–1981/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.–8

प्रेषक,

श्री हरिराज किशोर
सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

अनुभाग–6 लखनऊ, दिनांकः 8 सितम्बर, 2004

विषयः–प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड़ मील) की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के माध्यम से किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–196/2001 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांकः 28–11–2001 एवं 20–04–2004 के समादर में प्रदेश के सरकारी/बेसिक शिक्षा परिषदीय/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों/ई0जी0एस0 केन्द्रों में कक्षा–1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों को 80 प्रतिशत की उपस्थिति के आधार पर एक शैक्षिक सत्र में कम से कम 200 दिन पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में 300 कैलोरी ऊर्जा तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन होना अनिवार्य है।

2– मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अभी तक तीन किलोग्राम प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की दर से गेंहूँ/चावल खाद्यान्न के रूप में उपलब्ध कराया जाता रहा है लेकिन मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सरकारी सस्ते गल्ले के माध्यम से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न को पका–पकाया भोजन के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रामें में खाद्यान्न गर्म भोजन में परिवर्तित (कन्वर्जन) करने का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत गेंहूँ बाहुल्य क्षेत्रों में दलिया (मीठा/नमकीन), दाल रोटी अथवा चावल बाहुल्य क्षेत्रों में खिचड़ी, तहरी, दाल–चावल, सब्जी–चावल तैयार कराकर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें निर्धारित पौष्टिकता का स्तर बनाये रखने के उद्देश्य से दाल अथवा सब्जी का उपयोग स्थानीय स्तर पर मौसम के आधार पर किया जा सकेगा।

3– भोजन पकाने के कार्य में अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता नहीं ली जायगी, अपितु ग्राम पंचायत भोजन पकाने हेतु महिला स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प गृह)/स्थानीय स्वयं सेवा संगठनों/(एन0जी0ओ0) की सेवा प्राप्त की जा सकती है।

4– खाना पकाने वाला व्यक्ति स्थानीय हो। उसमें अनूसचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, विधवा, परितृयक्ता को वरीयता दी जाय। इस सम्बन्ध में तत्काल इन्हें चिन्हित करने की आवश्यकता है। जिससे योजना प्रारम्भ करने के पूर्व स्वच्छतापूर्वक पौष्टिक पका–पकाया भोजन तैयार कराये जाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो सके। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर खाना पकाने वालों को एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाय, जिसमें सभी आवश्यक निर्देश यथा– खाद्यान्न को खाना पकाने से पूर्व सफाई, ईंधन की व्यवस्था, स्वच्छ जल का उपयोग, रसोई

को स्वच्छ रखना आदि तथा इस कार्य में संलग्न होने वाले समस्त लोगों को स्वयं भी स्वच्छ रहने के निर्देश दिये जाय। जिन विद्यालयों में 200 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं, उन विद्यालयों में दो व्यक्तियों से खाना पकाने का कार्य लिया जा सकता है।

5— खाना पकाने के लिए ईंधन, दाल, सब्जी, नमक, मिर्च—मसाला, चीनी अथवा खाना पकाने वाले की मजदूरी व खाद्यान्न लाने के व्यय की व्यवस्था (कन्वर्जन कास्ट) हेतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा धनराशि रू0 एक प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से आवंटित की जाएगी। इस धनराशि (कन्वर्जन कास्ट) से भोजन पकाने से सम्बन्धी समस्त व्यय वहन किये जायेंगे।

6— खाना पकाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जो निम्नवत् होगीः—

1—ग्राम प्रधान	— अध्ययक्ष
2—ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत दो महिलाएँ जो अभिभावक भी हो।	— सदस्य
3—संयुक्त प्रान्त पंचायती राज अधिनियत 1947 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायतों की शिक्षा समिति के सदस्य	— सदस्य
4—स्कूल के प्रधानाध्यापक	— सदस्य/सचिव
5—ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत दो पुरूष जो अभिभावक भी हो	— सदस्य

यह समिति खाद्यान्त को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से विद्यालय तक लाने तथा खाद्यान्त को भोजन के रूप में परिवर्तित करने सम्बंधी समस्त कार्य का अनुश्रवण एवं अपनी देख—रेख में योजना का क्रियान्वित करायेगी। समिति द्वारा यह भी ध्यान रखा जाएगा कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संचया—1646—7—6—04—1(6)/2000 टी.सी.—3 दिनांकः 23 जुलाई, 2004 में निर्देशित सफाई एवं स्वच्छता तथा सुरक्षा संबंधी निर्देशों का भली—भॉति पालन किया जाय।

7— चूँकि योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना है, अतः कन्वर्जन कास्ट की धनराशि जिला अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था की गयी है। यह धनराशि सम्बंधित ग्राम पंचायत की ग्राम निधि में जमा की जाएगी तथा इनका आहरण प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (सचिव, ग्राम पंचायत) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इस धनराशि को लेखा जोखा तथा निःशुल्क प्राप्त होने वाले खाद्यान्त से सम्बंधित आवश्यक विवरण ग्राम पंचायतों द्वारा रखा जाएगा तथा इन खाद्यान्नों को समय—समय पर निरीक्षण शिक्षा विभाग/राजस्त विभाग पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित अधिकारी करेंगे।

8— भोजन पकाने की व्यवस्था ग्राम पंचायतों द्वारा इस प्रकार से की जाय, जिससे कि बच्चों को मध्यान्ह अवकाश के समय भोजन प्राप्त हो सके।

9— उपरोक्त योजना दिनांक 01 सितम्बर, 2004 से लागू की जानी है। अतः उपरोक्त दिए गये निर्देशों का क्रियान्वयन तत्परता से किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह0

(हरिराज किशोर)

सचिव

पृष्ठांकन सं संख्यक (1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– सचिव, महिला एवं बाल विकास विभ्झाग।
7– सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
8– निदेशालय, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
9– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10– निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग।
11– क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम
12– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
13– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
14– समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
15– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
16– समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी/समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
17– गार्ड फाइल/सम्बंधित अधिकारी।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त,
जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 3/शा0/400/03–3/104/2001, लखनऊ दिनांकः 23 सितम्बर, 2004

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड़ मील) की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1981/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी. दिनांकः 08 सितम्बर, 2004 जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित की गयी है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के माध्यम से किये जाने के विषय में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त शासनादेश की प्रति संलग्न करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में की गयी व्यवस्था से ग्राम पंचायतों को अवगत कराते हुए पंचायत स्तर पर प्रभावी परिपालन सुनिश्चित करायें। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने भ्रमण के समय उक्त योजना का भौतिक निरीक्षण करें एवं प्रतिमाह अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ योजना की प्रगति समीक्षा भी सुनिश्चित करें।

भवदीय,
ह0
(डा0 आर0के0 शुक्ला)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः 3/शा0/400(1)/03, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– 1. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0) उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह भी प्रतिमाह जिला पंचायत राज अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की समीक्षा करें एवं अपने अधीनस्थ जनपदों के भ्रमण के समय संदर्भित योजना का भी निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।

2. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

ह0
(डा0 आर0के0 शुक्ला)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः2548/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी. 3

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र कनौजिया,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊ, दिनांकः 27 अक्टूबर, 04**

विषयः– प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड़ मील) दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः1646/79–6–04(6)/2000 टी.सी.–3 दिनांकः 23 जुलाई, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के कतिपय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे गर्म पका–पकाया भोजन खाने के बाद बीमार पड़ने की सम्भावना रहेगी। अतः आवश्यकता इस बात की है कि गोदामों में खाद्यान्न सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले कीटनाशकों युक्त खाद्यान्न को पके–पकाये भोजन में परिवर्तित करने से पूर्व अच्छी तरह साफ कर लिया जाये और आवश्यकतानुसार अच्छी तरह से धो लिया जाय, जिससे खाद्यान्न जैसे चावल/गेंहूँ आदि पूर्णतः कीटनाशक मुक्त हो जाए। तदोपरान्त ही खाद्यान्न को खाना बनाने हेतु प्रयोग किया जाए, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह दायित्व मध्यान्ह पोषाहार योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों का है।

2– प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को कर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में कतिपय जनपदों से यह भी सुझाव/शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि गेंहूँ बाहुल क्षेत्रों में गेंहूँ से बना खाना दिया जाय। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी सुविधा/आवश्यकतानुसार गेंहू/चावल से पका हुआ खाना दिए जाने हेतु स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा सम्बंधित एजेन्सी को उक्त निर्देशों से अवगत कराया जाय।

भवदीय,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया),
विशेष सचिव,

पृष्ठांकन समसंख्यक(1) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग।
2– प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त विभा, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकस विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7– क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0 लखनऊ।

8— प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
9— वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
10— समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0।
11— समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उ0प्र0।
12— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकाहरी, उ0प्र0।
13— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव

संख्याः 2533/79.6.04–7(9)/2004

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र कनौजिया,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊः दिनांकः 28 अक्टूबर, 04**

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड़ मील) दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1549/79.6.04–7(9)/2004 दिनांकः 28 सितम्बर, 2004 के प्रस्तर–3 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0–71 के अधीन लेखा शीर्षक– ''2202 सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा आयोजनागत–012–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–25–मिड–डे–मील योजनान्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को पका–पकाया गरम भोजन दिया जाना–20–सहायता अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता'' के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जायः–

अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक–''2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा– आयोजनागत–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–25–मिड–डे–मील योजनान्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को पका–पकाया गरम भोजन दिया जाना–20–सहायता अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता''

शासनादेश दिनांकः 28 सितम्बर 2004 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग।
4. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
5. महालेखाकार, उ0प्र0।

6. वित्त ई–।।, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन विभाग अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
8. नगर विकास विभाग सूडा/डूडा, उ0प्र0 शासन।
9. पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
10. बजट अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
11. खाद्य एवं रसद अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
12. ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम।
14. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
15. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
16. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
17. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
18. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

संख्या–भा0सं0–47/79–6–04–28(70)/04

प्रेषक,

श्री जे0एस0दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊ दिनांकः 04 नवम्बर, 2004**

विषयः प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद एवं मान्यता प्राप्त सम्पूर्ण विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1646/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.–3 दिनांक 23 जुलाई, 2004 एवं शासनादेश संख्या–2826/79–5–04–233/04 दिनांक 29 जुलाई, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तामिलनाडू में कुम्मकोड़म के एक स्कूल में आग लगने से सैकड़ों निर्दोष बच्चों की दुखद मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सरकारी/परिषदीय/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों में विद्यालय शिक्षण अवधि में समस्त शिक्षक अपने छात्रों की सुरक्षा हेतु संवेदनशील रहेंगे तथा किसी भी संकटकालीन घटना में छात्रों को सुरक्षित रखने का पर्याप्त ध्यान दिया जाय।

2. शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि 16 जुलाई को प्रदेश में प्रत्येक वर्श स्कूल स्वास्थ एवं सुरक्षा दिवस (स्कूल हेल्थ एण्ड सेफ्टी डे) मानाया जाएगा। इस दिन सुरक्षा अभ्यास (सेफ्टी ड्रिल) एवं अन्य अनेक सुरक्षा तथा स्वास्थ सम्बन्धी सांस्कृतिक कार्यक्रम अध्यापकों एवं छात्रों के माध्य आयोजित किए जाएगें। उक्त निर्देश का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)
सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक(1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)

मध्यान्ह भोजन योजना (मिड–डे–मील स्कीम) के संचालन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 23 नवम्बर, 2004 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री वी0के0 मित्तल, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश – अध्यक्ष
2. श्रीमती नीरा यादव, कृषि उत्पादन आयुक्त
3. श्री अनल कुमार वर्मा, प्रमुख सचिव, नियोजन
4. श्री प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
5. श्री जे0एस0दीपक, सचिव, बेसिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान
6. श्री राजन शुक्ला, सचिव वित्त
7. श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान
8. श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास
9. श्री दिवाकर त्रिपाठी, निदेशक सूडा
10. श्री श्रीप्रकाश सिंह, नगर आयुक्त, लखनऊ
11. श्री श्याम लाल, विशेष सचिव, पंचायती राज
12. श्री रमेश चन्द्र, संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक)

इस महत्वपूर्ण योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु एवं आ रही कठिनाईयों के निराकरण करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार हुआ व निर्णय लिए गयेः–

1. खाद्यान्न का आवंटनः–

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश के 21 जनपदों में चावल तथा शेष 49 जनपदों में गेंहूँ वितरित किया जा रहा है। सचिव, बेसिक शिक्षा ने अवगत कराया कि भोजन पकाने की सुविधा को देखते हुए चावल दिया जाना अधिक उपयोगी है। चावल उपलब्ध होने से जल्द खाना पकता है तथा उससे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाये जा सकते है जिसमें सब्जी इत्यादि को भी मिलाया जा सकता है। जिलाधिकारियों द्वारा भी इस योजना के अन्तर्गत अधिक चावल देने की मांग प्राप्त हो रही है। उपरोक्त के कारण जनपदों में 2/3 भाग चावल तथा 1/3 भाग गेंहूँ दिया जाना आदर्श स्थिति है परन्तु यदि यह सम्भव नहीं है तो यह अवश्य कर दिया जाय कि प्रदेश को आवंटित चावल की मात्रा को समानुपातिक रूप से सभी जनपदों में बांटने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

प्रमुख सचिव खाद्य ने अवगत कराया कि जनपदों में पैदा होने वाले अनाज को दृष्टिगत रखते हुए एफ.सी.आई. भण्डारण करता है अतः धान बाहुल्य क्षेत्रों में चावल तथा गेंहूँ–बाहुल्य क्षेत्रों में गेंहूँ लिया जाता है तथा उसे गोदाम में संग्रहीत किया जाता है। अतः अधिक चावल की मांग से सम्भवतः राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा।

निर्णयः–

सचिव, बेसिक शिक्षा सभी जनपदों के लिए मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम के लिए 2/3 भाग चावल व 1/3 भाग गेंहूँ का आवंटन मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इस परिवर्तन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं होना चाहिए।

कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग–1 दिसम्बर, 2004 तक

2. कन्वर्जन कास्ट पुनरीक्षणः–

मध्यान्ह भोजन योजना हेतु कन्वर्जन कास्ट के रूप में 1/9/2004 से रू0 1.00 प्रति छात्र प्रति दिन भारत सरकार उपलब्ध करायेगी परन्तु व्यवहारिकता की दृष्टि से अच्छी गुणवत्ता का मध्यान्ह भोजन देना तभी सम्भव है जब करीब रू0 2.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन की दर से कन्वर्जन कास्ट उपलब्ध हो। सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि यह लागत लगभग सभी प्रदेशों में अधिक है जहाँ यह योजना सुचारू रूप से चल रही है। इस पर प्रति बच्चा प्रति दिन खर्च तमिलनाडु में रू0 2.00 19, गुजरात में रू0 1.75 तथा हरियाणा में रू0 2.25 है। अतः उत्तर प्रदेश में इसे बढ़ाया जाना आवश्यक है। जिन विद्यालयों में 200 बच्चों से कम अध्ययनरत है वहां रू0 1.00 में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराना और भी कठिन हो रहा है।

निर्णयः–

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार को कन्वर्जन कास्ट बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से पत्र भेजकर अनुरोध किया जाएगा।
2. कन्वर्जन कास्ट बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार की अन्य योजनाओं पर पी.एन.जी.वाई., एस.सी.आर.वाई., एम.पी.एल.ए.डी. इत्यादि से मध्यान्ह भोजन योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयास किया जाय।

कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग– 6 दिसम्बर, 2004 तक

3. पी.एन.जी.वाई. के अतिरिक्त केन्द्रांश (ए.सी.ए.) मद के अवशेष धन की मांगः–

सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा यह अवगत कराया गया कि सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र 11–1/2004–ई0ई0–5(एम0डी0एम0) दिनांक 6 अक्टूबर, 2004 व योजना अयोग (रूरल डेवलपमेन्ट डिवीजन) के पत्र सं0– पी–12019/1/2003–आर.डी. दिनांक 19.12.2003 के निर्देशों के केन्द्र सरकार की पी0एम0जी0वाई0 के अन्तर्गत ए0सी0ए0 का 15 प्रतिशत धनराशि वर्ष 2004 यूनिवर्सल एलीमेण्ट्री एजेकेशन के स्थान पर मध्यान्ह भोजन योजना की कन्वर्जन कास्ट इयर मार्क की जाएगी। इस मद से प्राप्त धनराशि रू0 370 करोड़ का 15 प्रतिशत रू0 55.88 मध्यान्ह भोजन योजना हेतु शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाना है परन्तु अभी केवल रू0 37 करोड़ (10 प्रतिशत धनराशि) ही उपलब्ध कराया गया है। मुख्य सचिव द्वारा इस बिन्दु पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव, नियोजन से यह अपेक्षा की गयी कि शासन की प्राथमिकता को देखते हुए तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय एवं शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

निर्णयः–

पी.एम.जी.वाई. से मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत की अवशेष धनराशि रू0 18.50 करोड़ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए उपलब्ध करायी जाएगी।

कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग– 6 दिसम्बर, 2004 तक

4. आहरण वितरण में लगी रोक से मध्यान्ह भोजन योजना को मुक्त रखा जानाः–

सचिव, बेसिक शिक्षा ने अवगत कराया कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0–बी–2–3506/दस–2004–6/99 दिनांक 5 नवम्बर, 2004 द्वारा आहरण वितरण अधिकारी के 50 लाख रूपये से ऊपर की धनराशि के आहरण पर वित्त विभाग द्वारा रोक लगाई गयी है तथा उन्हें जिलाधिकारी, बांदा एवं अन्य जिले के जिलाधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उन्हें धन के आहरण में कठिनाई आ रहीं है। इस पर मुख्य सचिव ने

सचिव, वित्त को निर्देश दिए कि मध्यान्ह भोजन योजना को इससे मुक्त रखा जाय तथा इस योजनान्तर्गत धन के आहरण में किसी भी प्रकार की रोक न लगाई जाय।

निर्णयः–

1. शासनादेश सं0–बी–2–3506/दस–2004–8/99 दिनांक 5 नवम्बर, 2004 द्वारा लगाई गई रोक से मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत किए जा रहे आहरण को मुक्त किया जाय।
2. मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत कोई भी विभाग शासनादेश जारी करता है तो बेसिक शिक्षा के परामर्श के उपरान्त ही शासनादेश को जारी किया जाय।

कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग– 30 नवम्बर, 2004 तक

5. खाद्यान्न की बचत का सदुपयोगः–

सचिव, बेसिक शिक्षा ने अवगत कराया कि योजनान्तर्गत 03 किलो खाद्यान्न प्रति बच्चा प्रतिमाह भारत सरकार से प्राप्त हो रहा है परन्तु 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रतिदिन औसतन 20 दिनों के लिए मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है। अतः प्रति बच्चा 2 किलो खाद्यान्न का प्रयोग हो रहा है तथा 24 किलो खाद्यान्न अवशेष बच रहा है। इसका सदुपयोग किया जाना है।

निर्णयः–

बचे हुए खाद्यान्न का उपयोग ब्बवा अथवा ीमसचमत के रूप में भोजन पकाने की व्यवस्था में लगे एक या उससे अधिक व्यक्तियों को मजदूरी के रूप में अथवा आई.सी.डी.एस. सेन्टर जो स्कूल प्रांगण में चल रहे है, के बच्चों को मध्यान्ह भोजन प्रदान करने हेतु किया जाय।

कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग– 6 दिसम्बर, 2004 तक

6. रसोइये का मानदेयः–

सचिव, बेसिक शिक्षा ने ग्राम्य विकास विभाग से अनुरोध किया कि भोजन बनाने की व्यवस्था में जुड़े ब्बवा अथवा ीमसचमत की मजदूरी एस.जी.आर.वाई. से देने की व्यवस्था कर दी जाय तो मध्यान्ह भोजन योजना को चलाने में सुविधा होगी। इस प्रस्ताव पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने सहमति व्यक्त की।

निर्णय

एस.जी.आर.वाई. योजना के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था में लगे ब्बवा अथवा ीमसचमत की मजदूरी के लिए धनराशि/खाद्यान्न एस.जी.आर.वाई. से उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी किए जाय।

कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग– 6 दिसम्बर, 2004 तक

7. नोडल अधिकारी नामित करनाः–

सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को इसके लिए प्रस्तावित किया। कृषि उत्पादन आयुक्त ने अवगत कराया कि मुख्य विकास अधिकारी को मध्यान्ह भोजन योजना का नोडल अधिकारी बनाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग सहमत नहीं है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस योजना के महत्व तथा इसको सुचारू रूप से चलाने को तात्कालिकता को देखते हुए जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाय और उनकी व्यक्तिगत देखरेख में इस योजना को संचालित किया जाय।

इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त की ओर से सभी मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश भेजे जाय कि वे स्वयं तथा सभी विकास के अधिकारियों की मदद से मध्यान्ह भोजन योजना की नियमित समीक्षा करें।

यह भी तय किया गया कि जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध वित्त एवं लेखाधिकारी को मध्यान्ह भोजन योजना का लेखा जोखा रखते हेतु निर्देशित किया जाय।

निर्णयः–

1. जनपद स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाय।
2. मध्यान्ह भोजन योजना की नियमित समीक्षा हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की ओर से मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश भेजे जाय।
3. बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी इस योजना का लेखा–जोखा रखने के निर्देश दिए जाय।

कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग– 1 दिसम्बर, 2004 तक

8. ग्रामीण क्षेत्रों में किचेन शेड का त्वरित निर्माणः–

प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु किचन शेड के निर्माण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से कराये जाने के के लिए ग्राम्य विकास विभाग ने शासनादेश 3 सितम्बर, 2004 को जारी किया है तथा नगरीय क्षेत्रों में इस व्यवस्था हेतु नगर विकास विभाग ने शासनादेश 3 अगस्त, 2004 को जारी किया गया है। इन शासनादेशों पर त्वरित गति से कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा यह अनुरोध किया गया कि ग्राम्य विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग इस बिन्दु पर अनुश्रवण भी प्रारम्भ करें जिससे एक समयबद्ध तरीके से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के सभी प्राथमिक विद्यालयों में किचनशेड का निर्माण हो सके।

निर्णयः–

एस.जी.आर.वाई. एवं राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम एवं सवर्ण जयन्ती रोजगार योजना के उपघटक में नगरीय मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्लू.ई.पी.) की अगले वर्ष की कार्ययोजना में प्राथमिक विद्यालयों में किचन शेड निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाय।

कार्यवाही–ग्राम्य विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग–6 दिसम्बर, 2004 तक

9. शहरी क्षेत्रों में स्वैच्छिक संस्थाओं को दायित्व सौंपनाः–

शहरी क्षेत्रों में शासकीय विभागों के तंत्र की कमी को देखते हुए मध्यान्ह भोजन योजना सुचारू रूप से चालू नहीं हो पा रही है। इसमें स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद लेने पर विचार–विमर्श हुआ। मुख्य सचिव ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्देशित किया कि स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन का दायित्व जिलाधिकारी को सौंपा जाय। इसके अतिरिक्त स्वैच्छित संस्थाओं को शहरी क्षेत्र के लिए तथा जिन ग्रामीण क्षेत्रों में वे कार्य करना चाहते हो, के लिए केन्द्रीय किचन चालने की अनुमति दी जाय तथा मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट उनको सीधे उपलब्ध कराई जाय। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम प्रधान की अनापत्ति के आधार पर एक बार में अधिकतम तीन महीने के लिए जिलाधिकारी सीधे सम्बन्धित संस्था को खाद्यान्न उपलब्ध करा दें।

निर्णयः–

1. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन का दायित्व जिलाधिकारी को सौंपा जाय।
2. स्वयंसेवी संस्थाओं को खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट सीधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।
3. इस योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा एक से अधिक विद्यालयों हेतु केन्द्रीय किचन चलाने की अनुमति स्वैच्छिक संस्थाओं को दी जाय।
4. सामाजिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाय।

कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग– 6 दिसम्बर, 2004 तक

10. भोजन निर्माण हेतु ईधन की व्यवस्थाः–

सचिव, बेसिक शिक्षा ने अवगत कराया कि मध्यान्ह भोजन योजना हेतु खाना पकाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों मं रसोई गैस प्रदान कर दिए जाने पर इस पर प्रारम्भिक ;वदम जपउमद्ध लागत लगभग रूपये–2500 प्रति स्कूल आएगी। इसमें एक कैन्टीन बर्नर, डबल सिलेण्डर गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु डिपाजिट इत्यादि पर खर्च सम्मिलित होगा। गैस पर आने वाला आवर्तक व्यय कन्वर्जन कास्ट से वहन किया जाएगा।

प्राथमिक विद्यालयों में रसोईगैस प्रदान कर दिए जाने पर इस पर प्रारम्भिक ;वदम जपउमद्ध लागत की व्यवस्था विद्यालय निधि से कराने हेतु ग्राम्य विकास विभाग से तथा सांसद निधि से कराने हेतु भारत सरकार सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

निर्णयः–

1. मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में डबल सिलेण्डर गैस कनेक्शन के लिए विधायक निधि से धन उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाय।
2. मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में डबल सिलेण्डर गैस कनेक्शन के लिए सांसद निधि से धन उपलब्ध कराने को अनुमन्य करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाय।

कार्यवाही–बेसिक शिक्षा विभाग– 6 दिसम्बर, 2004 तक

जे0एस0दीपक
आई0ए0एस0
राज्य परियोजना निदेशक
एवं
सचिव, बेसिक शिक्षा
उ0प्र0 शासन

अर्द्ध शा0पत्रांकः रा0प0नि0/1544/2004–05
सर्व शिक्षा अभियान
एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0)
राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन, निशातगंज
लखनऊ–226007
दूरभाष–कार्या0–2780384, 2780893
फैक्स : (0522) 2731128, 2781123
ई–मेल : नचकचमच/ंदबपदंदमजण्पद

दिनांक 29 नवम्बर, 2004

प्रिय महोदया/महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना (मिड–डे–मील स्कीम) के संचालन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23 नवम्बर, 2004 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ तथा आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उक्तवत्

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)

1. श्रीमती नीरा यादव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. श्री अनीस अंसारी, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
3. श्री अनंत कुमार वर्मा, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
4. श्री अतुल गुप्ता, प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
5. श्री प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति।
6. श्री मोहिन्दर सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
7. श्री राजन शुक्ला, सचिव वित्त।
8. श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान।
9. श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास।
10. श्री दिवाकर त्रिपाठी, निदेशक सूडा।
11. श्री श्रीप्रकाश सिंह, नगर आयुक्त, लखनऊ।
12. श्री श्यामलाल, विशेष, पंचायती राज।
13. श्री रमेश चन्द्र, संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक)।

प्रतिलिपि : प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
: स्टाफ आफिसर (श्री शंकर सिंह), मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
: निदेशक बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
: निजी सचिव, सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

ह0
(जे0एस0दीपक)

संख्या बी–2–3979 / दस–2004–6 / 99

प्रेषक,

लहरी यादव,
बजट अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, उत्तर प्रदेश,
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 06 दिसम्बर, 2004

विषयः कोषागार से मिड–डे–मील योजना की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के आदेश संख्या बी–2–3654 / दस–2004–6 / 99, दिनांक 01 दिसम्बर, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तत्काल प्रभाव से कोषागारों द्वारा, अनुदान संख्या–71– के अधीन लेखाशीर्ष "2202–सामान्य शिक्षा–अयोजनागत–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–25–मिड–डे–मील योजनान्तर्गत ..... पका–पकाया गरम भोजन दिया जाना 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता" के अन्तर्गत प्रस्तुत समस्त बिलों का भी नियमानुसार, भुगतान किया जाएगा।

कृपया कोषागारों को उपरोक्तानुसार भुगतान किए जाने हेतु तत्काल निर्देश जारी करें।

भवदीय
ह0
(लहरी यादव)
बजट अधिकारी

संख्या बी–2–3979 (1) / दस–2004–6 / 99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ह0
(लहरी यादव)
बजट अधिकारी

संख्या 2539/79–6–04–7(9)/2004

प्रेषक,

जे.एस.दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊः दिनांक 08 दिसम्बर, 2004**

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्याः 196/2001 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित ओदश दिनांक 28.1.2001 एवं 20.4.2004 के अनुपालन में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.–3 दिनांक 25.6.2004, 31.8.2004 एवं दिनांक 28 सितम्बर, 2004 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना अन्तर्गत खाना पकाने के लिए सामग्री/मजदूरी की व्यवस्था (कन्वर्जन कास्ट) हेतु व्यय वहन करने के निमित्त तृतीय चरण में संलग्न विवरणानुसार रूपया 44,97,84,000/– (रू0 चौवालिस करोड़ सत्तानवे लाख चौरासी हजार मात्र) धनराशि अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल महोदय अपनी सहमति सहर्ष प्रदान करते है।

3. उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक–'2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–आयोजनागत–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता –25–मिड–डे–मील योजना अन्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को पका–पकाया गरम भोजन दिया जाना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

4. स्वीकृत धनराशि (संलग्न विवरण के अनुसार) जिलाधिकारी के निर्वतन पर रखी जाएगी, जिलाधिकारी इस धनराशि को आवश्यकतानुसार आहरित कर निर्धारित कार्यों पर व्यय करने हेतु नगर निगम/नगर पंचायत/टाउन एरिया/ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायेंगे। जिनके द्वारा उनकी क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत आने वाले उक्त विद्यालय/केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को गरम पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) उपलब्ध कराया जाएगा।

5. इस धनराशि के रख–रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11/दस–04 दिनांक 02.12. 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय
ह0
(जे.एस.दीपक)
सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग।
4. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
6. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त–ई–11/उत्तर प्रदेश शासन।
8. नियोजन विभाग, अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन।
9. नगर विकास विभाग, सूडा/डूडा, उत्तर प्रदेश शासन।
10. पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
11. बजट अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
12. खाद्य एवं रसद अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन।
13. ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम।
15. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
16. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
17. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)

विशेष सचिव

संख्या–4156/38–4–04–47 एस0जी0ओसी वाई/01

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2004

विषयः सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना–प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भोजन पकाने हेतु श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान एवं गैस सिलेण्डर आदि की एक बारगी व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चलाई जा रही है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि खाद्य सुरक्षा एवं पौष्टिकता के स्तर में सुधार हो।

2– मध्यान्ह भोजन योजना अन्तर्गत खाना पकाने वाले श्रमिक को रोजगार दिए जाने में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मुख्य उद्देश्य की शत प्रतिशत पूर्ति होती है। तद्नुसार मध्यान्ह भोजन पकाने वाले व्यक्ति की मजदूरी का वहन सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जा सकता हैः–

(क) न्यूनतम मजदूरी (रू0 58.00 प्रति मानव दिवस) का भुगतान किया जायेगा, जिसमें अपेक्षित खाद्यान्न (05 किलो प्रतिदिन) आंशिक मजदूरी के रूप में दिया जाएगा।

(ख) एस0जी0आर0वाई0 के दिशा निर्देशों के अनुसार इस कार्य की एक कार्य योजना ग्राम पंचायत द्वारा/के लिए बनायी जाएगी और उसे वार्षिक कार्य योजना का अंग बनाते हुए अपनी ग्राम सभा से स्वीकृत कराना होगा। तद्नुसार यह कार्य ग्राम पंचायत द्वारा एक योजना के रूप में निष्पादित किया जा सकेगा और उस कार्य योजना के अन्तर्गत भोजन पकाने वाले व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(ग) योजना के सामान्य दिशा निर्देशों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।

3– सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशा निर्देशों के प्रस्तर 9.1 में यह उल्लेख है कि श्रमिकों के लिए पेयजल, विश्राम शेड, कैश इत्यादि जैसी सुविधाएं योजना के अन्तर्गत निर्मित कराई जा सकती है। अतः इस प्राविधान के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना में भोजन पकाने वाले श्रमिकों को यदि गैस सिलेण्डर उपलब्ध करा दिया जाय तो उन्हें अवश्य ही सुविधा होगी। इसके लिए विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के भोजन पकाने के लिए कैन्टीन बर्नर, डबल गैस सिलेण्डर कनेक्शन प्राप्त करने हेतु डिपाजिट आदि के कार्यों के व्यय के

लिए रू0 2500.00 (रू0 दो हजार पांच सौ मात्र) तक का व्यय योजनान्तर्गत अनुमन्य किया जा सकता है। यह अंश भी प्रस्तर–2(ख) में उल्लिखित कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया जाय एवं तद्नुसार इस मद पर व्यय भी अनुमन्य होगा।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(अतुल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संख्या–4156 (1)/33–4–2004 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
7. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से
ह0
(ए0के0 चतुर्वेदी)
विशष सचिव

आवश्यक

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0,
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (नाम से),
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शि0नि0(बे0) / 22663–752 /2004–05 दिनांक 31.1.2005

विषयः भारत सरकार द्वारा संचालित मध्यान्ह पोषाहार योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु बर्तनों के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 2995/15–5–86–312/76 दिनांक 05.08.1986 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के विद्यार्थियों से भवन तथा साज–सज्जा अनुदान तथा खेलकूद शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में है।

इस सन्दर्भ में सूच्य है कि मध्यान्ह पोषाहार योजना के अन्तर्गत बच्चों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने के लिए जनपदों के प्रत्येक विद्यालय में निम्नलिखित बर्तनों की आवश्यकता है।

1. एक कड़ाही (100 से 200 बच्चों के भोजन हेतु पर्याप्त क्षमता वाली)
2. दो करछुल
3. तीन चिमटे
4. एक चपटा लोहे का तवा जिसमें कम से कम 10 रोटी एक साथ बन सकें।

अतः आपसे मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश में विद्यालय के विकास अभिदान से उपर्युक्त बर्तनों को मध्यान्ह पोषाहार योजना के अन्तर्गत प्रयोग हेतु क्रय करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक),
कृते शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0
निशातगंज लखनऊ

पृष्ठांकन सं0 शि0नि0(बे0)/22663–752/2004–05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।

ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक),
कृते शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0
निशातगंज लखनऊ

जे0एस0दीपक
राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान एवं
सचिव, बेसिक शिक्षा

अर्द्ध0शा0पत्रांकःरा0प0नि0 / 748 / 2005–06

सर्व शिक्षा अभियान
एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
(डी0पी0ई0पी0)
राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
निशातगंज, लखनऊ–226007
दूरभाष : कार्या0–2780384, 2780998
फैक्सः 0522–2781128, 2781123
ई–मेल : नचकचमच/ंदबींतदमजण्पद

दिनांकः 26 / 07 / 05

प्रिय महोदय,

प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना संचालित है। मध्यान्ह भोजन योजना सम्बन्धित कन्वर्जन कॉस्ट ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाते में भेजी जाती है। सम्प्रति पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2005 को अधिसूचना निर्गत हो चुकी है व राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू की है। आचार संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रधानों के चुनाव के दौरान मध्यान्ह भोजन योजना पूर्व की भॉति कार्यान्वित होगी। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश संख्या 3172 / रा0नि0आ0अनु0–4 / एन–118–24 / 2005 दिनांकः 20 जुलाई, 2005 (प्रति संलग्न) निर्गत किया गया है, जिसके बिन्दु संख्या–7 पर स्पष्ट उल्लेख है कि पंचायतों के खातों से छात्रवृत्ति एवं मध्यान्ह भोजन योजना के धन आहरण पर रोक नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त आदेश के आलोक में यह सुनिश्चित करें कि ग्राम प्रधानों के चुनाव के दौरान भी मध्यान्ह भोजन योजना आपके जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सुचारू रूप से संचालित रहे।

संलग्नकः **उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,
ह0
(जे0एस0 दीपक)

श्री समस्त जनपद
जिलाधिकारी,
जनपद–

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226 007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः नि0का0/ एसएसए/म0एवंरख0/ 1807 /2005–06 दिनांकः 07.12.2005
विषयः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में विद्यालय विकास अनुदान के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में विद्यालय विकास अनुदान मद में समस्त परिषदी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों ;ग्रामीण एवं नगरीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयोंद्ध एवं ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जो शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अभिन्न अंग है तथा अनुदानित मदरसों हेतु रू0 2000/– की दर से विद्यालय विकास अनुदान मद में धनराशि की स्वीकृतियां प्राप्त हुई है।

संलग्न सूची के अनुसार जनपदों के सम्मुख अंकित उपरोक्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को रू0 2000/– की दर से प्रति विद्यालयों हेतु धनराशि अवमुक्त की जाती है।

1. ग्रामीण क्षेत्र में यह धनराशि स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा नगर क्षेत्र में शासनादेश संख्या 3511/15–5–2002–565/2001 दिनांक 27 अप्रैल, 2002 के अनुसार गठित नगर वार्ड समिति के अध्यक्ष एंव सदस्य सचिव के संयुक्त खाते में संचालित होगी। शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भी जो शासकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय सम्बद्ध है, में धनराशि विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के खाते में भेजी जाएगी। उपभोग प्रमाण–पत्र प्रधानाचार्य से प्राप्त किया जाय।
2. राज्य परियोजना कार्यालय से स्वीकृत/आवंटित धनराशि प्रति विद्यालय की दर से सम्बन्धित विद्यालयों के खाते में इस निर्देश के साथ उपलब्ध करा दी जाय कि विद्यालय विकास अनुदान का प्रयोग विद्यालय की आवश्यकता एवं वरीयता को देखते हुए संलग्न सूची के अनुसार किया जाय।
3. मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने में यदि भोजन पकाने हेतु बर्तन की आवश्यकता हो तो प्राथमिकता के आधार पर भोजन पकाने के बर्तनों का क्रय आवश्यकतानुसार किया जाय।

उपरोक्त कार्य ग्राम शिक्षा समिति/नगर शिक्षा समिति द्वारा वर्ष 2005–06 के शिक्षा सत्र में सुनिश्चित कराया जाएगा। अनुदान का उपभोग प्रमाण–पत्र सम्बन्धित प्रधानाध्यापक के द्वारा निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाएगा :–

मैं ..... प्रधानाध्यापक ..... ;स्कूल/न्याय पंचायत/नगर क्षेत्र/विकास खण्ड का नामद्ध प्रमाणित करता हूँ कि वर्ष 2005–06 के लिए विद्यालय विकास अनुदान की धनराशि रू0 ..... दिनांक . ..... तक उपभोग कर ली गयी है।

इससे सम्बन्धित अभिलेख स्कूल में सुरक्षित है, जिन्हें निरीक्षण के समय उपलब्ध कराया जाएगा।

दिनांक .....

नाम व हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक

विद्यालय विकास अनुदान उपभोग करने के उपरान्त वर्ष 2005–06 के शिक्षा सत्र में सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को अनुदान के सम्बन्ध में आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राज्य परियोजना कार्यालय को विद्यालय विकास अनुदान के उपभोग के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप विद्यालय विकास अनुदान की धनराशि को विद्यालय में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जाय तथा समस्त विद्यालयों में आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।
संलग्नक : उक्तवत्

भवदीय
ह0
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांकः नि0का0/एसएसए/म0एवंरख0/ 1807/ 2005–06 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक ;बेसिकद्ध, समस्त मण्डल, उ0प्र0ं।

ह0
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर राज्य परियोजना निदेशक

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय विकास अनुदान द्वारा विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर क्रय की जाने वाली सामग्री का निर्धारण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रति वर्ष रू 2000/– विद्यालय विकास अनुदान के रूप में दिये जाते हैं, जिनके अन्तर्गत विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर क्रय की जाने वाली सामग्री का निर्धारण कार्यक्रम समिति की 22 वीं बैठक दिनांक 15.11.2003 में लिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	सामग्री का क्रय	संख्या	अनुमोदित मूल्य अधिकतम	उपयोग	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	चटाइयां प्लास्टिक की (आकर्षक रंगों की) 6 × 3 फिट	प्रति कक्षा 04 दर 80/– (20×)	800/–	बच्चों के बैठने हेतु	नई विधा के अनुसार पढ़ाने हेतु गोलाकार में बैठाने की सुविधा पूर्व वर्षो में क्रय की गयी चटाई जो खराब हो चुकी है के स्थान पर अधिकतम प्रति वर्ष 10 चटाई
2	कुर्सी (प्लास्टिक की सफेद रंग की अच्छी गुणवत्ता वाली)	प्रति कुर्सी 225 04 दर 80/– (20×80)	900/–	अध्यापकों के बैठने हेतु	कक्षा शिक्षण के समय कुर्सी का प्रयोग न किया जाये। पूर्व में क्रय कुर्सी निष्प्रयोज्य होने की दशा में
3	बाल्टी (स्टील की)	01 दर 200/–	200/–	बच्चों को पीने का पानी	ऊॅचाई – 200 मि0ली0 ऊपर का व्यास 300 मि0ली0 तले का व्यास 200 मि0मी0 निर्माण 65 मि0मी0 शीट के हैण्डिल सहित
4	लोटा	01 04 01	100/–	पानी पीने एवं बाल्टी से निकालने हेतु	लोटे का वजन 150 ग्राम धारण क्षमता पौन लीटर (3/4) गिलास का वजन 80 ग्राम धारण क्षमता 1/4 लीटर
5	कूड़ादान	01 दर–20/–	20/–	रफ/फटे कागज, अन्य सामग्री फेंकने हेतु झाड़ू	मोटी प्लास्टिक की शीट का विद्यालय की सफाई हेतु
6	फिनायल ब्लीचिंग पाउडर चूना		150/–	शौचालयों की सफाई हेतु	शौचालय की स्वच्छता की आवश्यकता के कारण
7	बल्ब, ट्यूब लाइट		150/–	प्रधानाध्यापक तथा कक्षा–कक्षों में प्रकाश आदि की व्यवस्था	यह विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध होने की दशा में मान्य है।
8	आकस्मिक व्यय		150/–	विद्यालय की आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु	

विद्यालय विकास अनुदान मद से 18 जनपदों में जहॉ पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश हैं उक्त मद के अन्तर्गत रू 1125/– के भोजन पकाने हेतु प्राथमिकता पर बर्तन खरीदने हेतु अनुमोदित किया गया है। बर्तनों की सूची निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	मद	संख्या	अनुमानित लागत	कुल धनराशि
1	भगोना 60 लीटर एल्यूमिनियम ढक्कन सहित	1	700	700
2	करछुल सहित	2	75	150
3	बड़ा एल्यूमिनियम थाल	1	275	275
		कुल रू		1125

ह0

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)

अपर राज्य परियोजना निदेशक

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद

संख्या : 2906/79–6–05–1(6)/2000टीसी–2

प्रेषक,

जे0एस0दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 02 जनवरी, 2006

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) में स्वच्छता बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000टी0सी0–3 दिनांक 25 जून, 2004 एवं शासनादेश संख्या–1646/79–6–04–1(6)/2000टी0सी0–3 दिनांक 23 जूलाई, 2004 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मध्यान्ह पोषाहार योजना हेतु भोजन सामग्री का भण्डारण भोजन को बनाने, परोसने तथा भोजन सामग्री के उपयोग में लाये जाने में सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे जाने से सम्बन्धित है। शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2004 की प्रति पुनः इस आश्य के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया शासनादेश में दिए गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश संम्बन्धित अधिकारियों को देने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में यह भी उचित होगा कि इन निर्देशों को गांव पंचायतों तथा विद्यालयों में भी प्रसारित करा दिया जाय जिससे समय–समय पर बच्चों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

2. उपरोक्त के क्रम में यह देखने में आ रहा है कि भोजन पकाने हेतु प्रयोग मं लाये जाने वाली खाद्यान्न सामग्री की सफाई एवं उसको धोकर पकाने में शिथिलता बरती जा रही है। जिसके कारण समय–समय पर विभिन्न जनपदों से बच्चों के बीमार होने अथवा उल्टी दस्त की शिकायतें आ रही है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित निर्देश का पालन भी सुनिश्चित किया जायः–

1. भोजन पकाने का स्थान सुरक्षित हो तथा भोजन पकाने के समय एवं उसके वितरित हो जाने तक किचन में को बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करें तथा यह भी ध्यान रखा जाए कि भोजन पकाते समय किचन के आस पास बच्चे न जाए।
2. भोजन पकाने हेतु स्वच्छ जल का उपयोग किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रदूषित जल का उपयोग न किया जाय। भोजन पकाने वाले कर्मी स्वयं भी स्वच्छता से रहे एवं खाना पकाने का स्थान भी स्वच्छ रखा जाए।
3. पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2004 के बिन्दु 8 में यह स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि गर्म पका–पकाया भोजन बच्चों को परोसने से पूर्व यह आवश्यक है कि खाने को वयस्क व्यक्ति(अध्यापक/अध्यापिका या समुदाय का व्यक्ति) चख ले जिससे भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण हो सके जिससे बच्चों को किसी प्रकार की क्षति न हो। कदाचित इन निर्देश का पालन नहीं हो रहा है जिसके कारण समय–समय पर दुर्घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। अतः इस सन्दर्भ में पुनः

निर्देशित किया जा रहा है कि इस बिन्दु पर विशेष ध्यान रखा जाए जिससे दुर्घटनाओं से बचा जाय।

4. बच्चों को खाना परोसने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी बच्चे स्वच्छ जल से हाथ धोने के पश्चात ही कतारबद बैठकर भोजन प्राप्त करें तथा गर्म भोजन को परोसते समय भी विशेष सतर्कता बरती जाए जिससे गर्म भोजन से बच्चों के जलने आदि की स्थिति उत्पन्न न हो।

प्रकरण बहुत ही संवेदनशील है अतः वरीयता प्रदान करते हुए निर्देशित बिन्दुओं पर भली प्रकार प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाय। शासनादेश में निर्देशित बिन्दु का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)
सचिव

<u>पृष्ठांकन समसंख्यक (1)तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

जे0एस0दीपक
राज्य परियोजना निदेशक
सर्वशिक्षा अभियान एवं
सचिव, बेसिक शिक्षा

अर्द्ध शा0पत्रांकः रा0प0नि0/ /2004–05
सर्व शिक्षा अभियान
एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0)
राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन, निशातगंज
लखनऊ–226007
दूरभाष–कार्या0–2780384, 2780998
फैक्स : (0522) 2781128, 2781123
ई–मेल : नचकचमच/ंदबपदंदमजण्पद

दिनांक 04 जनवरी, 2006

प्रिय महोदय,

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन ;ब्ववामक डपक. कंल.उमंसद्ध उपलब्ध कराने की योजना आपकी देखरेख में संचालित की जा रही है। एक ओर जहाँ यह एक लोकप्रिय योजना के रूप में उभर कर आई है, वहीं इस योजना के अन्तर्गत पर्याप्त साफ–सफाई न होने तथा भोजन ग्रहण करने के पश्चात बच्चों के बीमार होने की शिकायतें कई जनपदों से प्राप्त हुई है।

इस वृहद् योजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक हे कि भोजन सामग्री के भण्डारन, भोजन बनाने, उसको परोसने तथा भोजन सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए व साफ–सफाई एवं स्वच्छता से इस योजना को लागू किया जाए। इसके लिए निम्न व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न चावल, गेंहूँ आदि का गोदाम से उठाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि खाद्यान्न सड़ा–गला एवं खराब न हो।

(2) खाना पकाने से पूर्व उपलब्ध खाद्यान्न गेंहूँ अथवा चावल को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाए एवं आवश्यकतानुसार धो लिया जाए ताकि कीटनाशक व अन्य तत्व उसमें बिल्कुल न रह जाए।

(3) पके–पकाएं खाने को हाथों से न परोसकर खाना परोसने वाले बर्तनों का प्रयोग किया जाए।

(4) गर्म पका–पकाया भोजन बच्चों को परोसने से पूर्व यह आवश्यक है कि खाने को वयस्क व्यक्ति (अध्यापक/अध्यापिका या समुदाय का व्यक्ति) चख ले जिससे भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण हो सके व बच्चों को किसी प्रकार की क्षति न हो।

(5) पका–पकाया भोजन उपभोग उपरान्त यदि किन्हीं कारणों से बच जाएं तो उसे दूसरे दिन बच्चों को कदापि न परोसा जाए।

(6) भोजन पकाने का स्थान सुरक्षित हो तथा भोजन पकाने के समय तथा उसके वितरित हो जाने तक किचेन में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करें तथा यह भी ध्यान रखा जाए कि भोजन पकाते समय किचेन के आस–पास बच्चे न जाय।

(7) भोजन ग्रहण करने से पूर्व बच्चों द्वारा हाथ धोना सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में गर्म पका–पकाया भोजन खाने से बच्चों के बीमार होने अथवा उल्टी–दस्त की कोई घटना न हो एवं यह योजना सुचारू रूप से चल सके।

सुभकामनाओं सहित,

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)

श्री (नाम से)
जिलाधिकारी
समस्त जनपद।

संख्या–2907 / 79–6–04–1(6) / 2000टी0सी–2

प्रेषक,

जे0एस0दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त , उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक 14 जनवरी, 2006**

विषयः विकास खण्ड स्तर पर मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना।

महोदय,

मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन दिए जाने की योजना प्रदेश में संचालित है और इस योजना के संचालन का दायित्व गांव पंचायत को दिया गया है। शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि ग्राम प्रधानों के स्तर पर योजनाओं के संचालन किए जाने में शिथिलता बरती जा रही है। साथ ही साथ कन्वर्जन कास्ट की धनराशि एवं उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न का उपयोग समुचित ढ़ंग से नहीं हो रहा है और इसका लेखा–जोखा भी सही ढ़ंग से गांव पंचायत स्तर पर नहीं रखा जा रहा है। शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि नव–निर्वाचित ग्राम प्रधानों को योजना की सम्पूर्ण जानकारी न होने के कारण भी कठिनाई आ रही है।

2. प्रदेश के कतिपय जनपदों में खण्ड विकास अधिकारी को विकास खण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी बनाये जाने से योजना का सफल एवं प्रभावी संचालन हुआ है। अतः योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु अपने स्तर से विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी को इस योजना हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध आवश्यक निर्देश निर्गत करने पर विचार कर लें। उनकी सहायता के लिए सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप नोडल अधिकारी होंगे। इन नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत योजना को समुचित ढ़ंग से संचालित करायें तथा प्रत्येक माह विकास खण्ड स्तर पर होने वाली बैठक में ग्राम प्रधानों को योजना के सम्बन्ध में यथावश्यक निर्देश देते रहें। साथ ही साथ सरकारी खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट की धनराशि के सदुपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश एवं समीक्षा अपने स्तर से प्रत्येक माह करें।

3. यदि नवनियुक्त ग्राम प्रधानों को योजना के संचालन में कठिनाई आ रही है तो उनको विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता से तत्काल प्रशिक्षित किए जाने की भी आवश्यकता है। अतः आगामी मासिक बैठकों में खण्ड विकास अधिकारी गांव प्रधानों को प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करायेंगे।

मध्यान्ह पोषाहार योजना बेसिक शिक्षा विभाग की अति महत्वपूर्ण योजना है। अतः इसको प्रभावी ढ़ंग से लागू किए जाने के बारे में यथावश्यक निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को देने का कष्ट करें तथा समय–समय पर इसका अनुश्रवण अपने स्तर से भी करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)
सचिव।

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
7. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
10. समस्त काषाधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उ0प्र0।
13. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,
ह0
(कामरान रिज़वी)
विशेष सचिव

जे0एस0दीपक
सचिव,

अर्द्ध0शा0प0सं 198/79–6–06
उत्तर प्रदेश शासन,
शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊः दिनांकः 31 जनवरी, 2006

प्रिय महोदय,

मध्यान्ह पोषाहार योजना के प्रभावी संचालन के संबंध में दिनांकः 16–1–06 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलों एवं जिलों की समीक्षा की गयी। मण्डलायुक्त आजमगढ़, कानपुर एवं आगरा द्वारा उक्त समीक्षा में यह अवगत कराया गया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्यान्ह पोषाहार योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे गेहूँ एवं चावल की खराब गुणवत्ता की आपूर्ति की जा रही है। कहीं–कहीं खाद्यान्न में बदबू भी आ रही है जिससे तैयार भोजन को खाने के बाद प्रदेश के कई जनपदों में बच्चों के बीमार पड़ने, उल्टी, दस्त होने संबंधी खबर भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुयी है।

इस संबंध में मुझसे आपसे यह कहने की अपेक्षा हुयी है कि मध्यान्ह पोषाहार योजना की महत्ता के दृष्टिगत कृपया उत्तम गुणवत्ता की खाद्य सामग्री (गेंहूँ एवं चावल) की आपूर्ति हेतु संबंधित को निदेश जारी करने का कष्ट करें जिससे की बच्चों के स्वास्थ्य एवं मध्यान्ह पोषाहार योजना पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

भवदीय,
ह0
(जे0एस0 दीपक)

श्री हुकुम सिंह
महा प्रबन्धक
भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0
टी0सी0–3/5 विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

<u>प्रतिलिपिः 198 (1)/79–6–06 तद्दिनांक</u>

उपरोक्त की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,
ह0
(जे0एस0दीपक)

श्री जे0पी0शर्मा,
जोनल मैनेजर (कार्यकारी निदेशक)
भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0
ए–2ए सेक्टर–24
नोयडा

संख्या–393/79–6–06–1(5)/2006

प्रेषक,

जे0एस0दीपक,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनु0–6 **लखनऊ दिनांक 15 फरवरी, 2006**

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गरम पका–पकया भोजन (कुक्ड मील) उपलब्ध कराए जाने हेतु आवंटित खाद्यान्न का अर्न्तजनपदीय/अर्न्तप्रदेशीय हस्तांतरण तत्काल प्रभाव से रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेशों के सरकारी, परिषदीय, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं ई0जी0एस0 केन्द्रों में कक्षा–1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों को गरम पका–पकाया भोजन ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जनपद बुलन्दशहर में मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा मध्यान्ह भोजन हेतु आवंटित खाद्यान्न को सफाई/बिनाई कराए जाने के उद्देश्य से अनियमित रूप से जनपद/प्रदेश से बाहर ले जाया गया है।

अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि तात्कालिक प्रभाव से मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न (गेंहूँ एवं चावल) का अर्न्तजनपदीय एवं अर्न्तप्रदेशीय हस्तांतरण को प्रतिबन्धित किया जाता है। भविष्य के लिए निर्देशित किया जाता है कि खाद्यान्न की सफाई/बिनाई स्थानीय रूप से जनपद में ही करायी जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)
सचिव

संख्या– 393 (1)/79–6–06–1(5)/6 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ह0
(कामरान रिजवी)
विशेष सचिव

पत्रांक पृ.सं./डीई/1331–1481/2005–06 दिनांक 20 फरवरी, 2006

उपर्युक्त शासनादेश की प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश में निर्देशित बिन्दुओं को भलीभांति अध्ययन कर लें तथा शासन के आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंः–

1. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश

संख्या–406/79–6–06–1(5)/06

प्रेषक,

जे0एस0दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊ दिनांक 15 फरवरी, 2006**

विषयः जनपद–बुलन्दशहर में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न को स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अवैध रूप से बाहर ले जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया अपने पत्र संख्या– दःडी0ई0/1065ए/05–06 दिनांक 07.02.2006 एवं 13.02.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आप अवगत है कि दिल्ली राज्य में एम.सी.डी. व एन.डी.एम.सी. के स्कूलों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मध्यान्ह पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है। यह उचित होगा कि दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं उनके अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त हो।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली एवं अन्य प्रान्तों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से आपूर्ति हेतु निष्पादित अनुबन्धों का अध्ययन कर प्रदेश के लिए एक माडल अनुबन्ध का प्रारूप एवं संस्थाओं के चयन के लिए मापदण्ड निर्धारित किए जाने हेतु वांछित प्रस्ताव विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)
सचिव

संख्या–394 / 79–6–00–1(5) / 2006

प्रेषक,

जे0एस0दीपक,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनु0–6 लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2006

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गरम पका–पकाया भोजन (कुक्ड़ मील) उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2429 / 79–6–1(6) / 2000टी0सी0–3 एवं दिनांक 08 सितम्बर, 2004 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी थी कि मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने में यथास्थिति स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं की भी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आए हैं कि ग्राम पंचायत स्तर के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के कार्य में बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भोजन स्थानीय स्कूलों में तैयार न कराके सुदूर सीनो से तैयार कराकर स्कूलों में वितरित किया जा रहा है जिससे भोजन की गुणवत्ता प्रभावित होती है और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा प्राप्त खाद्यान्न के दुरूपयोग की संभावनाएं बनी रहती है।

अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आगामी शैक्षिक सत्र से स्वयंसेवी संस्थाओं को मध्यान्ह पोषाहार योजना के तहत गरम पके–पकाये भोजन के वितरण की अनुमति तभी प्रदान की जाय जब ग्राम पंचायतें / स्थानीय निकायों द्वारा स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह0
(जे.एस.दीपक)
सचिव

जे0एस0दीपक
सचिव

अर्द्ध शा0प0सं0 496 / 79–6–06–1(1)05
उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–6
लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 06

प्रिय महोदय,

मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जनपद कानपुर देहात, उन्नाव, सुल्तानपुर, मेरठ एवं आजमगढ़ को टास्क फोर्स भेजी गयी थी। टास्क फोर्स की जाँच आख्याओं के समेकित परीक्षण में यह पाया गया कि अनेक जनपदों में मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने के उपरान्त बच्चों के बीमार होने की प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि हुयी है। टास्क फोर्स की जांच आख्याओं के समेकित परीक्षण में यह पाया गया कि कतिपय ग्राम प्रधानों द्वारा छात्रों को पका–पकया भोजन तैयार कराकर वितरण कराने में अपेक्षित रूचि नहीं ली जा रही है विशेषक :–

- इनके द्वारा गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित कराने में लापरवाही बरती जा रही है।
- कन्वर्जन कास्ट से क्रय की जाने वाली भोजन तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री यथा सब्जी, तेल, नमक, चीनी आदि की गुणवत्ता स्तरीय नहीं है।
- भोजन पकाने हेतु नियुक्त रसोइया की निर्धारित मजदूरी भी समय पर नहीं दी जा रही है।
- भोजन पकाने के लिए किचेन शेड का निर्माण अधिकांश ग्राम पंचायतों में नहीं हुआ है। जिस स्थान पर भोजन तैयार किया जा रहा है वहां पर पर्याप्त सफाई नहीं है।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रदेश मं चलायी जा रही मध्यान्ह भोजन योजना में ग्राम प्रधानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। योजना के सफल संचालन के लिए ग्राम प्रधानों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने हेतु पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 जहां पर ग्राम पंचायत के कृत्य का वर्णन है में निम्नवत संशोधन किया जाना प्रस्तावित है:–

वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था
धारा 15 (सत्रह) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विधालय भी हैं–शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना।	धारा 15 (सत्रह) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और मध्यमिक विद्यालय भी है शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना के **साथ–साथ मध्यान्ह पोषाहार (पका–पकाया भोजन) योजना के संचालन की आवश्यक व्यवस्था**

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया पंचायती राज अधिनियम 1947 में उक्तानुसार संशोधन एवं अन्य आवश्यक निर्देश सम्स्त सम्बन्धित को निर्गत कराये जाने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सादर

भवदीय

ह0

(जे0एस0दीपक)

श्री ए0के0जोशी,
प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज विभाग
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ

जे0एस0दीपक
सचिव

अर्द्ध शा0प0सं0 497/79–6–06–1(1)05
उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–6
लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 06

प्रिय महोदय,

मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जनपद कानपुर देहात, उन्नाव, सुल्तानपुर, मेरठ एवं आजमगढ़ को टास्क फोर्स भेजी गयी थी। टास्क फोर्स की जाँच आख्याओं के समेकित परीक्षण में यह पाया गया कि स्कूलों में भोजन पकाने एवं पेयजल हेतु एक हैण्पम्प पर्याप्त नहीं है, किचेनशेड का निर्माण अधिकांश ग्राम सभाओं में नहीं किया गया है, विद्यालयों में भोजन निर्माण हेतु गैस सिलेण्डर भी उपलब्ध नहीं है तथा खाना बनाने वाले कुक (रसोइया) की व्यवस्था नहीं है एवं जिन विद्यालयों में कुक (रसोइया) की व्यवस्था है उनका निर्धारित मानदेय/मजदूरी समय पर नहीं दी जा रही है। जांच आख्याओं के अध्ययन से निम्न बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान विशेषकर आकर्षित है :–

- ऐसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर बच्चों की संख्या 300 से अधिक है, उन विद्यालयों में भोजन पकाने एवं पेयजल हेतु दूसरा हैंडपम्प शीघ्र स्थापित किया जाय।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से किचेन शेड के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि से एक कार्य योजना बनाकर किचेन शेड का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जाय।
- मध्यान्ह भोजन पकाने में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं, विधवाओं एवं परित्यवत्ता को वरीयता दी जाय। भोजन पकाने हेतु नियुक्त कुक (रसोइयां) का मानदेय निर्धारित मानदेय रू0 58/– प्रति कार्य दिवस की दर से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाय।
- मध्यान्ह भोजन निर्माण हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से विद्यालयों में गैस सिलेण्डर की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत भी करायें।

सादर

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)

श्री के0के0सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ

जे0एस0दीपक
सचिव

अर्द्ध शा0प0सं0 511/79–6–06–1(1)05
उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–6
लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 06

प्रिय महोदय,

मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जनपद कानपुर देहात, उन्नाव, सुल्तानपुर, मेरठ एवं आजमगढ़ को टास्क फोर्स भेजी गयी थी। टास्क फोर्स की जाँच आख्याओं के समेकित परीक्षण में यह पाया गया कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में से जो खाद्यान्न मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराया जाता है उसकी गुणवत्ता एवं मौके पर पाये गये खाद्यान्न की गुणवत्ता में अन्तर है। प्रदेश सरकार के खाद्यान्न के गोदामों के परिसर में सफाई नहीं है तथा इससे खाद्यान्न के दूषित होने की आशंका है। टास्क फोर्स की जाँच रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान विशेषकर आकर्षित है :–

- भारतीय खाद्य निगम जो खाद्यान्न मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जिस जनपद को उपलब्ध करायेंगे उस खाद्यान्न के नमूने सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी उपलब्ध करायेंगे।
- जिलाधिकारियों को खाद्यान्न के अतिरिक्त नमूने भी उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि वह संयुक्त टीमों को भेंजकर खाद्यान्न की जाँच नमूनों से करा सकें।
- भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की भाँति राज्य सरकार के गोदामों की भी संयुक्त टीमें भेजकर जाँच करायी जाए ताकि गोदाम के परिसर में पूर्ण स्वच्छता बनी रहे। गोदाम के परिसर में पूर्ण स्वच्छता का उत्तरदायित्व गोदाम इन्चार्ज को दिया जाय।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश सभी सम्बन्धित भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को शीघ्र जारी करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत भी करायें।

सादर

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)

श्री सुधीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ

जे0एस0दीपक
सचिव

अर्द्ध शा0प0सं0 512/79–6–06–1(1)05
उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–6
लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 06

प्रिय महोदय,

मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जनपद कानपुर देहात, उन्नाव, सुल्तानपुर, मेरठ एवं आजमगढ़ को टास्क फोर्स भेजी गयी थी। टास्क फोर्स की जाँच आख्याओं के समेकित परीक्षण में यह पाया गया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना हेतु जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी गुणवत्ता निम्न कोटि की है। जाँच रिपोर्ट के अध्ययन से निम्नलिखित बिन्दु की ओर आपका ध्यान विशेषकर आकर्षित हैः–

- जनपद उन्नाव एवं कानपुर देहात में उपलब्ध कराये गये चावल को गुणवत्ता अत्यन्त निम्न कोटि की है।
- जनपद सुल्तानपुर में पिछले दो–तीन माह से केवल चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप खाद्य सामग्री यथा एक तिहाई गेंहूँ एवं दो तिहाई चावल की आपूर्ति नहीं की गयी है।
- यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम सभा में उपलब्ध चावल/गेंहूँ की गुणवत्ता भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी खाद्यान्न से भिन्न है।

2. टास्क फोर्स की जांच आख्या के क्रम में आपसे निम्नवत् अनुरोध है–

- मध्यान्ह भोजन योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मानकों के अनुरूप उत्तम गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न का आवंटन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्गत खाद्यान्न के नमूने प्राप्त कर ग्राम सभाओं में उपलब्ध चावल/गेंहूँ से मिलान किया जाय। अतः अनुरोध है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध करायी जा रही खाद्य सामग्री के नमूना सील कवर में जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य रूप से खाद्यान्न उठान से पूर्व उपलब्ध करा दिए जाय जिससे निरीक्षणकर्ता टीम मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न का नमूने से मिलान कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश सभी सम्बन्धित भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को शीघ्र जारी करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत भी करायें।

शुभ कामनाएं

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)

श्री हुकुम सिंह,
क्षेत्रीय प्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
लखनऊ

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की प्रतिलिपि आपको मै इस अनुरोध के साथ प्रेषित कर रहा हुँ कि अपने स्तर से भी भारतीय खाद्य निगम एवं सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

सादर

श्री सुधीर कुमार,
प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ह0
(जे0एस0दीपक)
सचिव

शा0सं0: 496/79–6–06–1(1)/06

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3.

शिक्षा अनुभाग (6) **लखनऊ दिनांक : 29 मार्च, 2006**

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के सतत निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पार्श्वांकित शासनादेश/अर्द्ध शा0 पत्र का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इन शासनादेशों के द्वारा विद्यालयों में पका–पकाया भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर विभिन्न समितियों का गठन तथा भोजन निर्माण में स्वच्छता बनाये रखने हेतु विभिन्न निर्देश जारी किए गये है। यह भी व्यवस्था की गयी थी कि ग्राम पंचायत स्तर पर खाना बनाने हेतु एक समिति होगी जिसकी देखरेख में भोजन पकाने एवं वितरण का कार्य कराये जाने के साथ–साथ योजना के सफल संचालन हेतु रोस्टर प्रणाली के आधार पर नियमित रूप से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये थे।

1	सं0–1429/79–6–04–01(6)/2000टी0सी0 0–3 दिनांक 25 जून, 2004
2	शा0सं0–1613/79–6–04–1(6)/2000टी0 सी0 दिनांक 23 जुलाई, 2004
3	शा0सं0–1981/79–6–04–1(6)/2000टी0 सी0 दिनांक 08 सितम्बर, 2004
4	अर्द्ध शा0प0सं0–03/2004–05 दिनांक 01.12.2004
5	शा0सं0–2906/79–6–05–1(6)/2000 टी0 सी0–2 दिनांक 2 जनवरी, 2006
6	पत्र सं0–2907/79–6–04–1(6)/2000 टी0 सी0–2 दिनांक 14.1.2006

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विभिन्न जनपदों को प्रेषित टास्क फोर्स की जांच आख्याओं से यह स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त शासनादेशों का सम्यक पालन नहीं हो रहा है जिससे बच्चों के बीमार पड़ने आदि की घटनायें सम्भावित हो रही है। अतः उक्त सभी शासनादेशों तथा समय–समय पर विभाग/शासन द्वारा जारी निर्देशों का सम्यक पालन प्रत्येक स्तर से सुनिश्चित किया जाय।

इस योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु निर्देश दिए जाते है कि प्रत्येक जनपद में जिला स्तर पर एवं विकास खण्ड स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन निम्नवत किया जायः–

जिला स्तरीय टास्क फोर्स

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. जिला विद्यालय निरीक्षण	सदस्य
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
5. जिला बेसिक शिखा अधिकारी	सदस्य/सचिव
6. जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
8. समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
9. जिला विकास अधिकारी	सदस्य
10. परियोजना निदेशक, डी0आ0डी0ए0	सदस्य

11. जिला समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य
12. जिला पंचायत राज अधिकारी — सदस्य

इस टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 05 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक माह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त टास्क फोर्स की बैठक होगी एवं संलग्न चेक लिस्ट के बिन्दुओं पर प्राप्त आख्याओं का अध्ययन कर योजना के हित में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्कफोर्स गठित की जाएगी जिसके सदस्य निम्नवत होंगे :–

विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स

1. उप जिलाधिकारी — अध्यक्ष (अपने तहसील के सभी विकास खण्ड)
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक — सदस्य / सचिव
3. खण्ड विकास अधिकारी — सदस्य
4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र — सदस्य
5. सहायक विकास अधिकारी पंचायत — सदस्य
6. नायब तहसीलदार — सदस्य
7. उप जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य अधिकारी — सदस्य
8. पूर्ति निरीक्षक — सदस्य

इस टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य प्रत्येक माह अपने विकास खण्ड के 05 विद्यालयों का निरीक्षण करेगा एवं इसकी बैठक प्रत्येक माह उप जिलाधिकारी के स्तर पर की जाएगी। उप जिलाधिकारी प्राप्त आख्याओं का अध्ययन कर योजना के हित में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। जिला स्तर से की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे जिस पर निर्णय जिलाधिकारी स्तर से लिया जाएगा।

टास्क फार्सों से सम्बन्धित चेक लिस्ट संलग्न है। कृपया उपरोक्त वर्णित शासनादेशों का सम्यक पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। जनपद हेतु निर्धारित निरीक्षण के लक्ष्यों को पूर्ण कराकर जिलाधिकारी उसकी समीक्षा करेंगे। जनपद में कृत कार्यवाही की आख्या प्रत्येक माह शिक्षा निदेशक बेसिक एवं शासन को अवश्य भेजी जाय।

मण्डलायुक्तों से यह अपेक्षा है कि उनके स्तर पर आयोजित होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों में मध्यान्ह भोजन योजना को एजेण्डा बिन्दु में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय तथा इस शासनादेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय
ह0
(आर.रमणी)
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर विकास विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
2. शिक्षा निदेशक, बेसिक / माध्यमिक।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

ह0
(जे0एस0दीपक)
सचिव

टास्क फोर्स हेतु चेक लिस्ट

जाँच के बिन्दु **जांच आख्या**

1. सामान्य बिन्दु

(1) विद्यालय का नाम/विकास खण्ड का नाम/जिला
(2) निरीक्षण तिथि/निरीक्षण का समय/अवधि
(3) पंजीकृत छात्रों की संख्या
(4) विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या
(5) विद्यालय में अनुबन्धित शिक्षा मित्रों की संख्या
(6) खाना पकाने वालों का नाम
(7) खाना पकाने वालों को दिया जा रहा मानदेय की स्थित (कब तक दिया गया है/कितना दिया गया है)
(8) विद्यालय में मीनू लगा है अथवा नहीं
(9) विकास खण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी का नाम पद व पता
(10) विद्यालय से सम्बन्धित ग्राम प्रधान मध्यान्ह भोजन योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है अथवा नहीं

2. खाद्यान्न की जांच

(1) खाद्यान्न का मानक नमूने से मिलान
(2) खाद्यान्न की सफाई का स्तर
(3) खाद्यान्न के रखने का स्थान एवं चूहे कीड़े मकोड़ों आदि से बचाव हेतु किए गए उपाय
(4) खाद्यान्न की प्रतिदिन उपयोग होने वाली मात्रा
(5) खाद्यान्न माह में कितने बार गोदाम से उठाया जाता है
(6) एक माह में लगभग औसतन कितना खाद्यान्न उपयोग किया जाता है।

3. कन्वर्जन कास्ट की उपलब्धता

(1) ग्राम प्रधान के पास उपलब्ध कन्वर्जन कास्ट की धनराशि
(2) प्रतिदिन व्यय होने वाली औसतन धनराशि
(3) कन्वर्जन कास्ट प्राप्त होने की आवृत्ति
(पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक)

4. अन्य भोजन सामग्री की व्यवस्था

(1) भोजन निर्माण हेतु तेल/चिकनाई किस प्रकार की है
(खुला तेल/एगमार्ग का तेल/ब्रान्डेड एगमार्क का तेल/बनस्पति)
(2) नमक (डली/पिसा सील बन्द पैकेट/आयोडीनयुक्त नमक)
(3) दाल का स्तर
(4) सब्जी (ताजी/एक दिन पुरानी/अधिक पुरानी)
(5) मसाले (स्तरीय/साधारण/निम्न स्तर)
(6) दूध (ताजा खुला हुआ/पैकेट/पाउडर तथा प्रयोग हेतु उपयुक्त/अनपयुक्त)
(7) चीनी (साफ मोटे दाने की/साफ बारीक/खाण्डसारी)

5. ईधन की व्यवस्था

(1) पारम्परिक चूल्हा
(2) गैस सिलेण्डर (सिंगल बर्नर/डबल बर्नर)
(3) कन्डा, कोयला अथवा अन्य ईधन
(4) उपलब्ध ईधन की मात्रा

(5) प्रतिदिन कितना ईधन प्रयुक्त होता है

6. स्वच्छता से सम्बन्धित बिन्दु

(1) भोजन पकाने के बर्तनों की सफाई की स्थिति
(2) खाने के बर्तनों की सफाई की स्थिति
(3) बर्तन धोने हेतु क्या प्रयुक्त किया जाता है (राख/मिट्टी/डिटर्जेट)
(4) जिस स्थान पर बर्तन धोए जा रहे है उस स्थान की सफाई की स्थिति
(5) धोने हेतु पानी की उपलब्धता (नल/हैण्डपम्प/कआं/अन्य)
(6) क्या बच्चे खाना ग्रहण करने से पूर्व एवं खाना खाने के बाद हाथ मुंह धोते है तथा कुल्ला करते है।
(7) क्या सफाई हेतु साबुन का प्रयोग किया जा रहा है
(8) जिस स्थल पर हाथ धोए जाते है वहां पर सफाई की स्थिति

7. सुरक्षा के उपाय

(1) विद्यालय में कभी किसी प्रकार की दुर्घटना तो नहीं हुयी है यदि हां तो दुर्घटना किसी प्रकार की थी तथा इस सम्बन्ध में क्या उपचारत्मक उपाय किए गए एवं पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए। इस सम्बन्ध में किन किन अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का दौरा किया गया तथा उनके द्वारा क्या निर्देश दिए गए
(2) क्या बच्चों को भोजन दिए जाने से पूर्व उसे किसी व्यक्ति द्वारा चखा जाता है
(3) भोजन कौन चखता है (अध्यापक/अभिभावक/रसोइयां या ग्राम प्रधान)
(4) परोसते समय भोजन की स्थिति (गरम, कम गरम ठण्डा)
(5) भोजन निर्माण स्थल पर कौन कौन व्यक्ति जा सकते है (केवल रसोईया, ग्राम प्रधान एवं अध्यापक/बच्चे/बाहरी व्यक्ति)
(6) बचे हुए भोजन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है (फेंका जाता है/बच्चों को घर ले जाने के लिए दिया जाता है/आंगनवाड़ी के बच्चों को दिया जाता है/अगले दिन प्रयोग होता है)
(7) खाना खाते वक्त भोजन स्थल के निकट कुत्ते, गाय, बैल, भैंस अथवा अन्य जानवर तो नहीं आते है
(8) विद्यालय तथा उसके आस पास सफाई का स्तर कैसा है? (गंदगी है अथवा नहीं खुली नाली है अथवा नहीं कोई गंदा पोखर, कुआं आदि है अथवा नहीं)
(9) विद्यालय के परिसर अथवा उसके आस पास गोबर–कंडे के ढ़ेर है अथवा नहीं।
(10) आस पास कोई मिल अथवा सड़क आदि से गंदा धुआं, धूल आदि विद्यालय परिसर मे प्रवेश पा रहा है अथवा नहीं।

8. स्वयं सेवी संस्थाओं के सम्बन्ध में आख्या (जहां स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत है)–

(1) स्वयं सेवी सेवी संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे भोजन किस प्रकार के बर्तनों में दिया जा रहा है (स्टील, एल्यूमीनियम भगौना/अन्य)
(2) भोजन पकाने एवं उसके ग्रहण करने के मध्य कितना समय लगता है
(3) बच्चों को भोजन देने से पूर्व उसे चखा जाता है अथवा नहीं तथा उसे कौन चखता है।
(4) भोजन लाने वाले व्यक्ति को अध्यापक पहचानते है अथवा नहीं।
(5) प्राप्त भोजन की मात्रा (पर्याप्त अथवा कम)
(6) भोजन की गुणवत्ता की स्थिति
(7) भोजन मीनू के अनुसार दिया जा रहा है अथवा नहीं।

9. अन्य बिन्दु एवं सुझाव–

महत्वपूर्ण/तत्काल
संख्याः 1407/मु0वि0अ0/मध्यान्ह भोजन/2006

प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त सहायक आयुक्त (खाद्य),** उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
6.

लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2006

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत निर्गत खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की उठान भा0खा0नि0 के गोदामों से करके खाद्य विभाग की विपणन शाखा, राज्य आवश्यक वस्तु निगम द्वारा ब्लाक गोदामों में संग्रहीत किया जाता है, जहां से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। मेरठ संभागों में भा0खा0नि0 से खाद्यान्न उठान का कार्य स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जाता है। विगत दिनों में कतिपय जनपदों में यह शिकायत प्राप्त हुई कि भा0खा0नि0 द्वारा खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न मध्यान्ह भोजन योजना में निर्गत करने के फलस्वरूप स्कूल के बच्चे बीमार हुए। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः भा0खा0नि0 से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नवत् कार्यवाही किया जाना उचित हागा।

1. वितरण एजेन्सी द्वारा भा0खा0नि0 से खाद्यान्न उठान करने के पूर्व खाद्यान्न की गुणवत्ता का भली–भांति परीक्षण कर लिया जाय और मानक के अनुसार खाद्यान्न पाये जाने पर ही उसकी उठान की जाए। यदि मानक के अनुरूप खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, भा0खा0नि0 के अधिकारी एवं शासन को अवगत कराया जाए।
2. वितरण एजेन्सी द्वारा खाद्यान्न की उठान करके जब ब्लाक स्थित गोदाम में संग्रहीत किया जाय, उस समय भी खाद्यान्न की गुणवत्ता की जाँच कर ली जाय। बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय योजना की भाँति त्रिस्तरीय चेकिंग के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत गोदाम में प्राप्त होने वाले खाद्यान्न के स्टाक की गुणवत्ता की जांच करके यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यान्न अच्छी क्वालिटी का रखा गया है। खाद्यान्न जब सस्ते गल्ले के दुकानदारों को निर्गत किया जाए तो द्विस्तरीय चेकिंग में निर्गत किए जा रहे खाद्यान्न की गुणवत्ता की पुनः जाँच कर ली जाए।
3. खाद्यान्न को सस्ते गल्ले की दुकान पर पहुँचाने एवं उसके वितरण के सम्बन्ध में भी त्रिस्तरीय चेकिंग में उसकी गुणवत्ता की जांच पुनः कर ली जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि जो खाद्यान्न स्कूल के बच्चों के लिए इश्यू किया जा रहा है वह गुणवत्ता एवं मानक का है जो भा0खा0नि0 द्वारा निर्गत किया गया था।
4. ब्लाक गोदामों में मिड–डे–मील योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की स्टैकिंग पृथक से की जाए ताकि निरीक्षण के दौरान उसकी गुणवत्ता एवं स्टाक के सत्यापन में कोई कठिनाई न होने पाए।
5. जिला पूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह गांव मं जाकर राशन की दुकानों पर मिड–डे–मील योजना के अन्तर्गत रखे गये खाद्यान्न की गुणवत्ता की समय–समय पर जांच

करते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि जिस गुणवत्ता का खाद्यान्न गोदामों से प्राप्त हो रहा है उसी गुणवत्ता का खाद्यान्न राशन की दुकानों पर उपलब्ध है।

6. भा0खा0नि0 द्वारा मिड–डे–मील योजना में केवल ग्रेड 'ए' चावल का ही निर्गमन किया जा रहा है अतः गुणवत्ता/स्टाक के सत्यापन के समय यह सुनिश्चित किया जाय कि ब्लाक गोदाम से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को ग्रेड 'ए' चावल ही निर्गत किया जा रहा है। साथ ही साथ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर निरीक्षण/सत्यापन के समय यह अवश्य देख लिया जाय कि दुकानदार द्वारा ग्रेड 'ए' चावल ही वितरित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(देवेश चतुर्वेदी)
आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ह0
(देवेश चतुर्वेदी)
आयुक्त

संख्या–955 / 29–6–2006–124(सा) / 04

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग–6 **लखनऊ** **दिनांकः 05 अप्रैल, 2006**

विषयः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं अन्य योजनाओं हेतु चावल एवं गेहूँ के वितरण में खाद्यान्न की गुणवत्ता / स्वच्छता सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–भा0स0–105 / 29–6–2004–124(सा) / 04, दिनांकः 07 फरवरी, 2005 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत जनपद कानपुर देहात, उन्नाव, सुल्तानपुर, मेरठ एवं आजमगढ़ को टास्क फोर्स भेजी गयी थी। टास्क फोर्स की जांच आख्याओं के समेकित परीक्षण में यह पाया गया कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जो खाद्यान्न मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराया जाता है, उसकी गुणवत्ता एवं मौके पर पाये गये खाद्यान्न की गुणवत्ता में अन्तर है। प्रदेश सरकार के खाद्यान्न गोदामों के परिसर में सफाई नहीं है तथा इससे खाद्यान्न के दूषित होने की आशंका है। टास्क फोर्स की जॉच रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करेंः–

1. भारतीय खाद्य निगम जो खाद्यान्न मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जिस जनपद को उपलब्ध करायेंगे उस खाद्यान्न के नमूने संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी उपलब्ध करायेंगे।
2. जिलाधिकारियों को खाद्यान्न के अतिरिक्त नमूने भी उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि वह संयुक्त टीमों को भेजकर खाद्यान्न की जॉच नमूनों से करा सकें।
3. भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की भांति राज्य सरकार के गोदामों की भी संयुक्त टीम भेजकर जांच करायी जाये ताकि गोदाम के परिसर में पूर्ण स्वच्छता बनी रहे। गोदाम के परिसर में पूर्ण स्वच्छता का उत्तरदायित्व गोदाम इंचार्ज का होगा।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देश एवं शासनादेश दिनांकः 07 फरवरी, 2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(सुधीर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्याः यथोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया निगम के अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय सहायक आयुक्त (खाद्य), उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. खाद्य एवं रसद अनुभाग–4/5

आज्ञा से
ह0
(दिलीप सहाय)
विशेष सचिव

संख्या–2014 / 33–1–2006 / 2000टीसी– ।

प्रेषक,

अनीस अंसारी,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–1 लखनऊ दिनांकः 12 जुलाई, 2006

विषयः ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यो के सम्पादन का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ठ कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस कर्मियों को उनके कार्य क्षेत्रान्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया गया है। अतः ग्राम विकास अधिकारी अब अपने कार्य क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में रहते हुए ही अपने विभागीय कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

2– ग्राम विकास अधिकारियों को अपने पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ–साथ अपने क्षेत्रान्तर्गत अधिकतम 4 ग्राम पंचायतों में सचिव, ग्राम पंचायत का कार्य करने के लिये संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 25–क के प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। सचिव, ग्राम पंचायत के दायित्वों के निवर्हन हेतु ग्राम पंचायतों का आवंटन का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा, जिसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी द्वज्ञरा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

3– ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यो से संबंधित किसी कृत्य में शिथिलता दर्शाने पर ग्राम विकास अधिकारियों को लघु दण्ड देने का अधिकार जिला पंचायत राज अधिकारी को होगा किन्तु दीर्घ दण्ड पूर्ववत ग्राम विकास अधिकारी के नियुक्ति प्राधिकारी में ही निहित रहेगा।

4– ग्राम पंचायतों के नियामक दायित्वों के निर्वहन हेतु इन कर्मियों को पृथक से कोई वेतन, भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5– ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के आवंटन की प्रस्तर–2 में उल्लिखित कार्यवाही प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाये, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो।

6– ग्राम विकास अधिकाहरी को ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यो के सम्पादन का दायित्व सौंपे जाने हेतु उक्त निर्देश मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विभिन्न विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में अन्तर्ग्रस्त सिंचाई विभाग के नलकूप चालकों के अधिकारों एवं दावों को प्रभावित किए बिना निर्गत किए जा रहे हैं और यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित होने

वाले आदेशों के अधीन होंगे अर्थात प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय का आदेश ही अंतिम होगा।

7— उक्त आदेश ग्राम्य विकास विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। कृपया उक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

ह0

(अनीस अंसारी)

कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या—2014(1)/33—1—2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
5. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिवच, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

ह0

( )

संख्या–2064 / 83–1–2006–696 / 2000टीसी–1

प्रेषक,

अनीस अंसारी,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 12 जुलाई, 2006

विषयः ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यों का सम्पादन का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इन कर्मियों को उनके कार्य क्षेत्रान्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया गया है। अतः ग्राम विकास अधिकारी अब अपने कार्य क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में रहते हुए ही अपने विभागीय कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

2– ग्राम विकास अधिकारियों को अपने पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ–साथ अपने क्षेत्रान्तर्गत अधिकतम 04 ग्राम पंचायतों में सचिव, ग्राम पंचायत का कार्य करने के लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 25–क के प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। सचिव, ग्राम पंचायत के दायित्वों के निवर्हन हेतु ग्राम पंचायतों का आवंटन का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा, जिसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

3– ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यों से सम्बन्धित किसी कृत्य में शिथिलता दर्शाने पर ग्राम विकास अधिकारियों को लघु दण्ड देने का अधिकार जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा किन्तु दीर्घ दण्ड पूर्ववत ग्राम विकास अधिकारी के नियुक्ति प्राधिकारी में ही निहित रहेगा।

4– ग्राम पंचायतों के नियामक दायित्वो के निर्वाहन हेतु इन कर्मियों को पृथक से कोई वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5– ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के आवंटन की प्रस्तर–2 में उल्लिखित कार्यवाही प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाय ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो।

6– ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत के नियामक कार्यों के सम्पादन का दायित्व सौंपे जाने हेतु उक्त निर्देश मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विभिन्न विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में अन्तर्ग्रस्त सिंचाई विभाग के नलकूप चालकों के अधिकारों एवं दावों को प्रभावित

किए बिना निर्गत किए जा रहे है और यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेशों के अधीन होंगे अर्थात प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय का आदेश ही अंतिम होगा।

7— उक्त आदेश ग्राम्य विकास विभाग की सहमति से निर्गत किए जा रहे है। कृपया उक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह0
(अनीस अंसारी)
कृषि उत्पादन आयुक्त

संख्या—2064(1)/38—1—2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
5. स्टाफ अधिकारी मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से
ह0
( )

संख्या–1541/79–6–06–1(6)/2000 टी.सी.

प्रेषक,

जे0एस0दीपक,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊ दिनांक 02 अगस्त, 2006**

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1981/79.6.04–1(6)/2000 टी0सी0–8 दिनांक 8 सितम्बर, 2004 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों में कक्षा–1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत दिए जा रहे भोजन की परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) रू0 1.00 प्रतिछात्र प्रतिदिन से बढ़ाकर रू0 2.00 प्रति छात्र प्रति दिन किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उपर्युक्त परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) नये शिक्षा सत्र से 15 अगस्त, 2006 से अनुमन्य होगी। इसका वहन चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत आवंटित परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) की धनराशि से ही किया जाएगा।
3. मध्यान्ह भोजन योजना हेतु निर्धारित नवीन परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) रू0 2.00 से बच्चों को भोजन संलग्न साप्ताहिक आहार तालिका (मीनू) के अनुसार दिया जाय।
4. नवीन परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) के आधार पर दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन में 450 ग्राम कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन न्यूनतम प्रति छात्र प्रति दिन दिया जाना आवश्यक होगा।
5. मध्यान्ह भोजन योजना हेतु निर्धारित नवीन परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) एवं साप्ताहिक आहार तालिका (मीनू) से समस्त ग्राम पंचायतो/नगर निकायों तथा स्वयं सहायता समूहों को भी सूचित किया जाय ताकि नवीन परिवर्तन लागत एवं नवीन साप्ताहिक आहार तालिकि (मीनू) के अनुसार भोजन तैयार किए जाने की व्यवस्था इनके द्वारा ससमय सुनिश्चित की जा सके।
6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र यू0ओ0ई0–11–1691/–06 दिनांक 2–8–06 में **प्राप्त सहमति से निर्गत किए जा रहे है।**

संलग्नक : उक्तवत्

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को समिति के ज्ञापन एवं नियमावली सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया समिति के रजिस्ट्रेशन आदि के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, बेसिक शिक्षा, मा0 मंत्री, पंचायती राज, मा0मंत्री, ग्राम्य विकास के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समिति के उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण।

आज्ञा से,
ह0
(आर.सी.घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव,

शासनादेश संख्या 1541/79–6–06–1(6)/2000 टी0सी0
दिनांक 2 अगस्त, 2006 का संलग्नक

1. मिड–डे–मील येाजना साप्ताहिक आहार तालिका (मेनू)

क्र. सं.	दिन	व्यंजनों का नाम	व्यंजन का प्रकार
1	सोमवार	रोटी, सब्जी, जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयाग अथवा पूड़ी–सब्जी–सोयाबीन	100 ग्राम गेंहूँ की रोटी अथवा पूड़ी एवं दाल (दाल में मौसमी सब्जियों का स्वाद के अनुसार मिश्रण) अथवा मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन।
2	मंगलवार	चावल–सब्जीयुक्त दाल अथवा चावल साम्भर	100 ग्राम चावल एवं सब्जी (मौसमी) मिश्रित दाल, अरहर की दाल, साम्भर मसाला एवं मौसमी सब्जी
3	बुद्धवार	कढ़ी चावल अथवा मीठा चावल/खीर	100 ग्राम चावल, बेसन मठ्ठा/दही मिश्रित कढ़ी। मानकानुसार दूध, चीनी मेवे का मिश्रण।
4	गुरूवार	रोटी–सब्जीयुक्त दाल अथवा पूड़ी सब्जी सोयाबीन	100 ग्राम गेंहूँ की रोटी अथवा पूड़ी एवं दाल (दाल में मौसमी सब्जियों का स्वाद के अनुसार मिश्रण) अथवा मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन।
5	शुक्रवार	तहरी	100 ग्राम चावल एवं सब्जी (आलू, सोयाबीन एवं समय–समय पर उपलब्ध मौसमी सब्जियां)
6	शनिवार	सब्जी–चावल–सोयाबीन अथवा मीठा चावल/खीर	100 ग्राम चावल एवं सोयाबीन तथा मसाले एवं ताजी सब्जियां का प्रयोग किया जाय। मानकानुसार दूध चीनी, मेवे का मिश्रण

2. नवीन मीनू का क्रियान्वयन एवं प्रचार–प्रसार–

- शासनादेश दिनांक 29.3.06 द्वारा गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक एक सप्ताह में निश्चित रूप से कराकर परिवर्धित एवं परिवर्तित मीनू तथा बढ़ी हुई परिवर्तन लागत से समस्त सदस्यों को अवगत कराना।
- विकास खण्ड स्तर पर गठित टास्क फोर्स के माध्यम से नवीन मीनू तथा बढ़ी हुयी परिवर्तन लागत का व्यापक प्रचार–प्रसार क्षेत्र के ग्राम प्रधानों एवं प्रधानाध्यापकों में करना।
- माह अगस्त एवं सितम्बर में टास्क फोर्स के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन का प्रभावी निरीक्षण कराना।
- परिवर्तन लागत/नवीन मीनू की सूचना हेतु पैम्पलेट मुद्रित कराकर वितरित कराना।
- विकास खण्ड स्तर पर ग्राम प्रधानों एवं प्र0 अध्यापकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कराना।
- निर्धारित मीनू विद्यालय की दीवारों पर सुस्पष्ट अक्षरों में पेंट कराया जाना। बाल पेन्टिंग हेतु निर्धारित प्रारूप एवं उसका माप पृथक से भेजा जा रहा है। विद्यालय हेतु अनरक्षण मद में उपलब्ध धनराशि से इसका व्यय वहन किया जाय।

3. नीवन मीनू की विशिष्टताएं

परिवर्तन लागत में वृद्धि के कारण भोजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि किया जाना नितांत आवश्यक है। पूर्व में लागू मेनू में परिवर्तन करते हुए नवीन मेनू को अधिक रूचिकर एवं पौष्टिक बनाया गया है। परिवर्तन निम्नवत हैः–

- नवीन मेनू के प्रयोग से भोजन में विविधता एवं पौष्टिक तत्वों में वृद्धि होगी।
- नवीन मेनू में सोयाबीन का प्रयोग विशेषकर लागू किया गया है जो पूर्व व्यवस्था से भिन्न है। सोयाबीन का प्रयोग विशेषकर लागू किया गया है जो पूर्व व्यवस्था से भिन्न है। सोयाबीन प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। 100 ग्राम सोयाबीन में 45 प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध रहती है,

सोयाबीन सुगमता से उपलब्ध होता है, भोजन में आसानी से प्रयुक्त होते हुए स्वाद में रूचिकर होता है।

- यह प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यंजन मं न्यूनतम 10 ग्राम सोयाबीन का प्रयोग किया जाय। उदाहरणार्थ सोयाबीन पीस कर आटे में मिलाकर उसकी रोटी बनायी जा सकती है तथा बड़ी के रूप में सब्जी/दाल में प्रयोग किया जा सकता है।
- नवीन मेनू में दाल की मात्रा बढ़ा कर कम से कम 25 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिन कर दी गयी है।
- सब्जियों की मात्रा भी बढ़ाकर 50–60 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिन निर्धारित की गयी है।
- दूध का प्रयोग यद्यपि पूर्व में भी हो रहा था परन्तु नवीन मेनू में उसकी मात्रा बढ़ाकर 100 मिली लीटर प्रति छात्र प्रति दिन कर दी गयी है। मीठा चावल/खीर/कड़ी में दूध का प्रयोग करने से पहले उसकी गुणवत्ता एवं ताजगी अवश्य सुनिश्चित कर ली जाय।
- जिस विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे है वहां पर मीनू में और अधिक पौष्टिकता एवं गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है।

4. व्यवस्थापकों की सुविधा हेतु भोजन में प्रयुक्त होने वाली प्रति छात्र प्रति दिन की सामग्री एवं उसमें उपलब्ध पौष्टिक तत्व–

- व्यवस्थापकों की सुविधा हेतु भोजन में प्रयुक्त होने वाली प्रति छात्र प्रति दिन की सामग्री व उसमें उपलब्ध पौष्टिक तत्वों की मात्रा तालिका–1, 2, 3 व 4 में दर्शित है। प्रत्येक तालिका के अन्तिम स्तम्भ में प्रत्येक 100 छात्रों हेतु आवश्यक सामग्री की मात्रा अंकित कर दी गयी है।

खाद्य पदार्थ (प्रतिछात्र)	मात्रा	ऊर्जा (कैलोरी)	प्रोटीन (ग्राम में)	मूल्य (रूपये में)	100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री
1. गेंहूँ का आटा	100 ग्राम	340	8.00		10 किलो
2. घी/तेल	05 ग्राम	45	0	0.25	500 ग्राम
3. दाल	25 ग्राम	70	5.00	0.50	2.5 किलो
4. सब्जी (अ)हरी सब्जी (ब) अन्य	50 ग्राम	25	0	0.50	5 किलो
5. मसाला आयोडीनयुक्त नमक के साथ	आवश्यकतानुसार	0.00	0.00	0.10	
6. ईधन				0.20	
7. मजदूरी एवं प्रशासनिक व्यय				0.40	
योग		480	13.00	1.95 अथवा 2.00 रू0 अधिकतम	

तालिका–1 रोटी एवं सब्जीयुक्त दाल

खाद्य पदार्थ (प्रतिछात्र)	मात्रा	ऊर्जा (कैलोरी)	प्रोटीन (ग्राम में)	मूल्य (रूपये में)	100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री
1. चावल	100 ग्राम	340	8.00		10 किलो
2. तेल/घी	14 ग्राम	126	0.00	0.70	1.4 किलो
3. सब्जी एवं सोयाबीन	60 ग्राम	30	5.00	0.60	6 किलो
4. मसाले आदि	आवश्यकतानुसार			0.10	
5. ईधन				0.20	
6. मजदूरी एवं प्रशासनिक व्यय				0.40	
योग		496	13.00	रू0 2.00	

तालिका–2 चावल–सब्जी/साम्भर सोयाबीन

खाद्य पदार्थ (प्रतिछात्र)	मात्रा	ऊर्जा (कैलोरी)	प्रोटीन (ग्राम में)	मूल्य (रूपये में)	100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री
1. चावल	100 ग्राम	340	8.00		10 किलो
2. दूध	80 मीली लीटर	150	5.00	1.10	8 लीटर
3. चीनी	10 ग्राम	35	0.00	0.20	1 किलो
4. मेवे आदि	10 ग्राम	0.00	1.00	0.10	1 किलो
5. ईधन				0.20	
6. मजदूरी एवं प्रशासनिक व्यय				0.40	
योग		525	14.00	रू0 2.00	

तालिका–3 मीठा चावल/खीर

खाद्य पदार्थ (प्रतिछात्र)	मात्रा	ऊर्जा (कैलोरी)	प्रोटीन (ग्राम में)	मूल्य (रूपये में)	100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री
1. चावल	100 ग्राम	340	8.00		10 किलो
2. तेल/घी	14 ग्राम	126	0.00	0.70	1.4 किलो
3. सब्जी एवं सोयाबीन	60 ग्राम	30	5.00	0.60	6 किलो
4. मसाले आदि	आवश्यकतानुसार			0.10	
5. ईधन				0.20	
6. मजदूरी एवं प्रशासनिक व्यय				0.40	
योग		496	13.00	रू0 2.00	

तालिका–4 पूड़ी–सब्जी/सोयाबीन

5. मध्यान्ह भोजन संदर्शिका

मध्यान्ह भोजन योजना हेतु एक संदर्शिका तैयार करायी गयी है जो आपको मुद्रित कराकर शीघ्र उपलब्ध करायी जाएगी। उपरोक्त संदर्शिका बेबसाइट ूनचमण्बिवउ पर उपलब्ध है आवश्यकतानुसार उसको डाउनलोड किया जा सकता है।

संख्या–2009/79–6–06–1(1)/2006

प्रेषक,

सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त, 2006

विषयः– मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा हेतु नवीन प्रारूप–1 एवं 2 पर सूचना प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना एक महत्वपूर्ण जनोपयोगी योजना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1.86 करोड छात्र/छात्राओं को विद्यालय परिसर में ही गर्म पका–पकाया भोजन दिया जा रहा है, जिससे इन बच्चों को शारीरिक अभिवृद्धि हेतु पोषण प्राप्त हो सके।

योजना के अनुश्रवण हेतु पूर्व निर्धारित सभी मासिक प्रगति आख्या के प्रपत्रों को अतिक्रमित करते हुए दो नवीन प्रपत्र निर्धारित किये जा रहे हैं। यह प्रारूप निम्नानुसार हैं–

(अ) प्रपत्र–1 योजना का आच्छादन– योजना से आच्छादित छात्र/छात्राओं की संख्या, खाद्यान्न की आवश्यकता, आपूर्ति, इसके उपभोग तथा विद्यालयों में दिये जा रहे भोजन की नियमितता से संबंधित है।

(ब) प्रपत्र–2 निरीक्षण आख्या– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश 29–3–06 के माध्यम से जनपद तथा विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को प्रत्येक माह में कम से कम 5 विद्यालयों का मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करना है। प्रपत्र–2 को भरते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

- प्रपत्र 2 के कालम संख्या 2 में जनपदीय तथा विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह में किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। सूच्य है कि जनपद स्तरीय टास्क फोर्स में कुल 14 सदस्य हैं तथा प्रत्येक सदस्य को माह में कम से कम 5 निरीक्षण करने हैं इस प्रकार जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा 14 × 5 = 70 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना प्राविधानित है।
- इसी प्रकार से विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स में कुल 08 सदस्य है जिनमें प्रत्येक सदस्य को 5 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है। इस प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर प्रति माह 40 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है।

  उदाहरण के लिए यदि किसी जनपद में कुल 7 विकास खण्ड है तो

  (1) जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा प्रत्येक माह निरीक्षित विद्यालयों की संख्या = 14 × 5 = 70 विद्यालय

  (2) प्रत्येक विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स से अपेक्षित निरीक्षण = 8 × 5 = 40 विद्यालय

  (3) 7 विकास खण्डों में विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अपेक्षित विद्यालय = 8 × 7 × 5 = 280 विद्यालय

  (4) इस प्रकार से प्रत्येक माह में इस जनपद विशेष में जनपदीय तथा विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा 70 + 280 = 350 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना होगा। अतः प्रपत्र 2 के कालम 2 में 350 की संख्या अंकित की जाएगी।
- प्रपत्र–2 के कालम संख्या 3 में जनपदीय टास्क फोर्स तथा विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा माह में किए गये वास्तविक निरीक्षणों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा।

- प्रारूप–2 के कालम–4 में उन विद्यालयों की संख्या का उल्लेख करना है, जिनमें कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया।
- प्रारूप–2 के कालम–5,6,7,8, व 9 में योजना का कार्य असंतोषजनक पाये जाने के कारणों का उल्लेख करना है।
- प्रत्येक माह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त टास्क फोर्स की बैठक होगी एवं चेक लिस्ट के बिन्दुओं पर प्राप्त आख्याओं का अध्ययन कर योजना के हित में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
- टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा किए गये निरीक्षण के प्रति प्रेषित निरीक्षण आख्या के प्रति प्रभावी कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।

जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रारूप 1 व 2 पर सूचना प्रत्येक माह की 6 तारीख तक मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मण्डल को उपलब्ध करा देंगे। मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मण्डल के समस्त जनपदों की सूचना संकलित करके प्रत्येक माह की 8 तारीख तक मध्यान्ह भोजन योजना निदेशालय में उपलब्ध करायेंगे।

अनुरोध है कि योजना को प्रभावी बनाने हेतु नियमित रूप से समीक्षा करते हुए प्रारूप 1 व 2 पर सूचना प्रत्येक माह एतदर्थ निर्धारित तिथि तक निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–**यथोक्त।**

भवदीय,
ह0
(जे0एस0 दीपक)
सचिव, बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन,

पृ0सं0–　　/2006–07,　तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, एम0डी0एम0 योजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ह0
(कामरान रिजवी)
विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा अनुभाग–6

संख्या–1958/79–6–06–1(10)/06

लखनऊ दिनांकः 09 अक्टूबर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–''1860'' के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन, अनुश्रवण एवं प्रबन्धन हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के गठन की अनुमति प्रदान करते हैं।

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के उद्देश्य :–

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरणक के उद्देश्य निम्नवत् होंगे–

1– प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों में अध्ययनरत् बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।

2– पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना।

3– विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना।

4– प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों में विद्यालय में रूकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्राप आऊट रेट कम करना।

5– बच्चों में भाई चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मो के मध्य के अन्तर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन कराना, ताकि उनमें अच्छी समझ पैदा हो।

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की सामान्य सभा

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की सामान्य सभा के सभापति एवं सदस्य निम्नवत् होंगेः–

	सदस्यों का पदनाम	पद
1–	मा0 मंत्री, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0	सभापति
2–	मा0 मंत्री, पंचायती राज, उ0प्र0	सदस्य
3–	मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उ0प्र0	सदस्य
4–	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
5–	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
6–	प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7–	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन	सदस्य
8–	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज	सदस्य
9–	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
10–	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
11–	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	सदस्य
12–	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम	सदस्य
13–	निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग	सदस्य
14–	निदेशक, पंचायती राज विभाग	सदस्य

15—	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
16—	मा0 सभापति द्वारा नामित तीन सदस्य	सदस्य
17—	निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण	सदस्य/कार्यकारी सचिव

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबंधकारिणी समिति :—

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य निम्नवत् होंगेः—

	सदस्यों का पदनाम एवं पता	पद
1—	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2—	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
3—	प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4—	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन	सदस्य
5—	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज	सदस्य
6—	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
7—	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
8—	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	सदस्य
9—	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम	सदस्य
10—	निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग	सदस्य
11—	निदेशक, पंचायती राज विभाग	सदस्य
12—	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
13—	मा0 सभापति द्वारा नामित तीन सदस्य	सदस्य
14	निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण	सदस्य/कार्यकारी सचिव

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के कार्यः—

मध्यान्ह भोजन योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

ह0
(जे0एस0 दीपक)
सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग

पत्र संख्या–2379/79–6–2006
महत्वपूर्ण/तत्काल

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 27 नवम्बर, 06

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों/स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटी को दिये गये खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) का विशेष आडिट कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना एक अत्यन्त जनोपयोगी योजना है जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1.86 करोड़ छात्र–छात्राओं को प्रतिदिन विद्यालय में पका–पकाया भोजन दिया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र–छात्राओं को नित्यप्रति भोजन उपलब्ध कराने का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में यह कार्य मुख्यतः स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटियों के द्वारा किया जा रहा है। भोजन बनाने हेतु खाद्यान्न एवं इसे पकाने हेतु वांछित परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कॉस्ट) भी ग्राम पंचायतों एवं नगर क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटियों को उपलब्ध करायी जा रही है। प्राप्त खाद्यान्न तथा परिवर्तन लागत का लेखा–जोखा भी ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधान की देख–रेख में तथा नगर क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटियों के द्वारा रखा जा रहा है।

योजना के महत्व को देखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इस हेतु दिये जा रहे खाद्यान्न तथा परिवर्तन लागत का लेखा–जोखा ग्राम पंचायत एवं स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी के स्तर पर भली–भॉति रखा जा रहा है अथवा नहीं तथा लाभार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं अथवा नहीं? अन्यथा खाद्यान्न तथा परिवर्तन लागत के दुरूपयोग के कारण विसंगतिपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती है।

उपर्युक्त परिदृश्य में योजनान्तर्गत दिनांक 1 जुलाई, 06 से 30 नवम्बर, 06 की अवधि के मध्य प्राप्त खाद्यान्न तथा परिवर्तन लागत की धनराशि का कुछ चयनित विद्यालयों में विशेष आडिट कराया जायेगा। इस हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों की अध्यक्षता में आडिट टीमों का गठन किया जायेगा–

1. जिला विद्यालय निरीक्षक
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
3. जिला आपूर्ति अधिकारी
4. जिला पंचायत राज अधिकारी
5. लेखाधिकारी, कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रत्येक आडिट टीम में निम्नलिखित सदस्य होंगे–
संबंधित विकास खण्ड के

1. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0
2. पूर्ति निरीक्षक,
3. ए0डी0ओ0 पंचायत
4. टीम लीडर के कार्यालय के लेखाकार (जहां टीम लीडर के कार्यालय में कोई लेखाकार न हो वहां लेखाकार की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय से की जायेगी।)

दिनांक 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 06 के मध्य एक टीम द्वारा नगरीय क्षेत्र तथा 4 टीमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आडिट किया जायेगा। आडिट हेतु विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों/नगरीय क्षेत्रों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नगरीय क्षेत्र में आडिट की इकाई एक वार्ड अथवा कोई स्वयं सेवी संस्था होगी। उक्त वार्ड/स्वयं सेवी संस्था के क्षेत्र में स्थित सभी विद्यालयों में योजना का आडिट किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक टीम द्वारा कम से कम 5 ग्राम पंचायतों का आडिट कार्य सम्पन्न किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित समस्त विद्यालयों का आडिट किया जायेगा।

आडिट में ग्राम पंचायत/स्वयं सेवी संस्था/वार्ड में उपलब्ध अभिलेख का मिलान विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना पंजिका/उपस्थिति पंजिका से सघनतापूर्वक किया जाये। जिन ग्राम पंचायतों/स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड का चयन आडिट हेतु किया जाये उनसे संबंधित ग्राम प्रधान/स्वयं सेवी संस्था के प्रबंधक/वार्ड समिति के पदाधिकारी, कोटेदार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा प्रधानाध्यापक को आडिट की तिथि से अवगत अवश्य करा दिया जाये, जिससे कि वे आडिट के दिनांक पर अभिलेखों सहित आडिट टीम के सहयोग हेतु उपस्थित रहें।

आडिट टीम अपनी आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी। यदि आडिट में कतिपय अनियमिततायें संज्ञान में आती है तो उत्तरदायी के प्रति कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायें। जिलाधिकारी आडिट टीमों के निष्कर्षो एवं कृत कार्यवाही से दिनांक 26–12–2006 तक निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना को अवगत करायेंगे।

आडिट टीम के सहायतार्थ प्रारूप तैयार कर संलग्न है। आडिट टीम इसी प्रारूप पर ग्राम पंचायतों/स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटी का आडिट करेगी एवं इसके सभी बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से आख्या अंकित कर जनपदीय टास्क फोर्स को उपलब्ध करायेगी।

संलग्नकः **उक्तवत्**

भवदीय

ह0

(नवीन चन्द्र बाजपेई)

मुख्य सचिव,

पृष्ठांकन संख्या /2006–07, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना, लखनऊ।
7. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

ह0

(जे0एस0 दीपक)

सचिव, बेसिक शिक्षा

उ0प्र0 शासन।

नगर क्षेत्र की स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटियों के आडिट हेतु आडिट प्रारूप

1. स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी का नाम
2. नगर का नाम
3. स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी द्वारा सेवित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
4. प्राथमिक विद्यालयों के नाम

ϖ

ϖϖ

ϖϖϖ

प्टण

5. स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी में 01 जुलाई 2006 को उपलब्ध खाद्यान्न (गेहूॅं + चावल) = किग्रा
6. स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी 01 जुलाई 2006 को उपलब्ध परिवर्तन लागत = रू0
7. स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी में मध्यान्ह भोजन योजना के आधार भूत सूचना तालिकाः–

माह	माह में कार्य दिवसों की संख्या	' कितने दिन भोजन दिया गया	'' 01 जुलाई 06 से 30 नवम्बर 06 तक कितने बच्चों ने भोजन किया	+ माह में प्राप्त खाद्यान्न (गेहूॅं + चावल)	– माह में प्रयुक्त खाद्यान्न (गेहूॅं + चावल)	रु माह में प्राप्त परिवर्तन लागत	/ माह में प्रयुक्त परिवर्तन लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
जुलाई							
अगस्त							
सितम्बर							
अक्टूबर							
नवम्बर							
योग							

तालिका–1– आधारभूत आंकड़े

' विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्राप्त की जाय।

'' विद्यालय में भोजन दिये जाने वाले दिनों की उपस्थिति का मासिक योग प्रत्ये विद्यालय के प्रधान अध्यापक से प्राप्त करें। मध्यान्ह भोजन योजना पंजिका में कक्षा–1 से कक्षा–5 तक के छात्रों का योग किया जाये। कृपया उदाहरण देखें (पृष्ठ संख्या 05)।

\+ यह सूचना जिलापूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से प्राप्त करें।

रु यह सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से प्राप्त करें।
– यह सूचना स्वयं सेवी संस्था से प्राप्त करें।

खाद्यान्न की गणना

8. 30 नवम्बर, 06 तक उपलब्ध कराया गया कुल खाद्यान्न (गेहूँ + चावल) = (बिन्दु 5) + (तालिका–1 के स्तम्भ–5 का योग) = किग्रा0
9. 30 नवम्बर, 06 तक प्रयुक्त खाद्यान्न = तालिका–1 के स्तम्भ–6 का योग = किग्रा0
10. अवशेष खाद्यान्न = बिन्दु 5 – बिन्दु 6 = किग्रा0

परिवर्तन लागत की गणना

11. 30 नवम्बर, 06 तक उपलब्ध करायी गयी परिवर्तन लागत = बिन्दु 6 + (तालिका–1 के स्तम्भ–7 का योग) = रू0
12. कुल प्रयुक्त परिवर्तन लागत = तालिका–1 के स्तम्भ–8 का योग = रू0
13. अवशेष परिवर्तन लागत = बिन्दु 11 – बिन्दु 12

खाद्यान्न का सैद्धान्तिक उपभोग तथा अवशेष का भौतिक सत्यापनः–

(अ) 5 माह में उपभोग किये जाने वाले खाद्यान्न की गणना = लाभान्वित छात्रों की संख्या (तालिका–1 के स्तम्भ–4 का योग) × 0.1 किग्रा0 = किग्रा0
(ब) उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न (गेंहूं + चावल) = बिन्दु 8 = किग्रा0
(स) अवशेष खाद्यान्न जो उपलब्ध होना चाहिए = (ब) – (अ) = किग्रा0
(द) भौतिक सत्यापन में पाया गया अवशेष खाद्यान्न (गेंहूँ + चावल) = किग्रा0
(क) बिन्दु–9 तथा बिन्दु (स) व बिन्दु (द) के अवशेषों में अंतर एवं कारण। क्या कोई अनियमितता हुई है?

परिवर्तन लागत का सैद्धान्तिक उपभोग तथा अवशेष का भौतिक सत्यापन

1 जुलाई से 14 अगस्त तक की परिवर्तन लागत की गणना

;पद्ध 1 जुलाई से 14 अगस्त तक की भोजन उपलब्ध कराये जाने वाले दिनों की दैनिक उपस्थिति का योग × रू0 1/– = रू0

15 अगस्त से 30 नवम्बर तक की परिवर्तन लागत की गणना

;पपद्ध 15 अगस्त से 30 नवम्बर तक की भोजन उपलब्ध कराये जाने वाले दिनों की दैनिक उपस्थिति का योग × रू0 2/– = रू0

;पपपद्ध कुल परिवर्तन लागत जो उपयोगी होनी चाहिए = ;पद्ध. ;पपद्ध त्र रू0

;पअद्ध अवशेष परिवर्तन लागत = 11 – ;पपपद्ध त्र रू0

;अद्ध स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी में वास्तविक अवशेष परिवर्तन लागत (स्वयं सेवी संस्था/वार्ड कमेटी) = रू0

;अपद्ध बिन्दु–13, ;पअद्ध व ;अद्ध में यदि कोई अंतर पाया जाता है तो उसके क्या कारण हैं? क्या कोई अनियमितता प्रकाश में आयी है?

अन्य बिन्दु–

- नगर क्षेत्र के नागरिकों/अभिभावकों से भोजन नियमित मिलने तथा इसकी गुणवत्ता के सम्बन्ध में जानकारी कर इसका मिलान मध्यान्ह भोजन योजना पंजिका में दिये गये विवरण से किया जाय।

- विद्यालय में बर्तनों की उपलब्धता के संबंध में टिप्पणी

- योजना को और प्रभावी बनाने हेतु क्षेत्र से प्राप्त किसी सुझाव का उल्लेख किया जाय।

- आडिट में किसी अधिकारी/कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति के प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर नाम का उल्लेख किया जाय।

हस्ताक्षर
टीम लीडर एवं अन्य सदस्य

ग्राम पंचायतों में मध्यान्ह भोजन योजना का आडिट प्रारूप

1. ग्राम पंचायत का नाम
2. विकासखण्ड एवं जनपद
3. ग्राम पंचायत में पड़ने वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
4. प्राथमिक विद्यालयों के नाम
   ;पद्ध
   ;पपद्ध
   ;पपपद्ध
   ;पअद्ध
5. ग्राम पंचायत में 01 जुलाई 2006 को उपलब्ध खाद्यान्न (गेहूँ + चावल) = किग्रा
6. ग्राम पंचायत में 01 जुलाई 2006 को उपलब्ध परिवर्तन लागत = रू0
7. ग्राम पंचायत में मध्यान्ह भोजन योजना के आधार भूत सूचना तालिकाः–

माह	माह में कार्य दिवसों की संख्या	' कितने दिन भोजन दिया गया	'' 01 जुलाई 06 से 30 नवम्बर 06 तक कितने बच्चों ने भोजन किया	+ माह में प्राप्त खाद्यान्न (गेहूँ + चावल)	– माह में प्रयुक्त खाद्यान्न (गेहूँ + चावल)	रु माह में प्राप्त परिवर्तन लागत	/ माह में प्रयुक्त परिवर्तन लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
जुलाई							
अगस्त							
सितम्बर							
अक्टूबर							
नवम्बर							
योग							

तालिका–1– आधारभूत आंकड़े

विद्यालय का नाम प्रा0वि0 01 माह जुलाई 2006

भोजन करने वाले बच्चों की कक्षा वार संख्या

तिथि	दिवस	कक्षा–1	कक्षा–2	कक्षा–3	कक्षा–4	कक्षा–5	योग
1–7–2006	शनिवार	70	64	60	56	49	299
2–7–2006	रविवार						0
3–7–2006	सोमवार	58	46	55	54	40	253
4–7–2006	मंगलवार	50	55	49	50	38	242
5–7–2006	बुद्धवार	69	64	60	52	46	291
6–7–2006	बृहस्पतिवार	55	48	48	49	45	245
7–7–2006	शुक्रवार	45	66	50	45	49	255
8–7–2006	शनिवार	66	57	55	56	44	278
9–7–2006	रविवार						0
10–7–2006	सोमवार	69	55	58	38	49	269
11–7–2006	मंगलवार	46	48	48	40	49	231
12–7–2006	बुद्धवार	56	54	54	46	46	256
13–7–2006	बृहस्पतिवार	68	62	49	54	40	273
14–7–2006	शुक्रवार	52	48	59	49	38	246
15–7–2006	शनिवार	65	48	46	46	45	250
16–7–2006	रविवार						0
17–7–2006	सोमवार	70	55	40	56	45	266
18–7–2006	मंगलवार	52	60	49	54	38	253
19–7–2006	बुद्धवार	60	48	55	40	47	250
20–7–2006	बृहस्पतिवार	45	54	60	55	49	263
21–7–2006	शुक्रवार	55	60	54	44	30	243
22–7–2006	शनिवार	65	62	48	48	36	259
23–7–2006	रविवार						0
24–7–2006	सोमवार	58	63	55	55	49	280
25–7–2006	मंगलवार	60	55	59	40	47	261
26–7–2006	बुद्धवार	46	48	45	42	35	216
27–7–2006	बृहस्पतिवार	69	42	49	54	37	251
28–7–2006	शुक्रवार	52	60	48	56	30	246
29–7–2006	शनिवार	45	54	54	49	46	248
30–7–2006	रविवार						0
31–7–2006	सोमवार	68	52	56	55	40	271
कुल योग							**6695**

इस प्रकार माह जुलाई में विद्यालय संख्या 01 में कुल छात्रों ने 6695 बार भोजन किया। यदि एक ग्राम पंचायत में 3 विद्यालय हैं तो इसी प्रकार से प्रत्येक विद्यालय हेतु चार्ट बनाकर उस माह विशेष में कुल कितनी बार छात्रों ने भोजन किया यह आगणित किया जायेगा। इसी प्रकार अन्य माहें हेतु भी विद्यालयवार आगणन किया जायेगा। संदर्भगत आडिट में जुलाई 06 से नवम्बर 06 तक का विद्यालयवार आगणन किया जायेगा।

मध्यान्ह भोजन योजना
योजना का आच्छादन (प्रारूप–1)

2009 जनपदः–

माहः–

क्र0सं0	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	माह में खाद्यान्न की आवश्यकता	माह में आवंटित खाद्यान्न	माह में खाद्यान्न का उठान	माह में उपभोग किया गया खाद्यान्न	प्रतिशत आच्छादन (6/3)
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर

मध्यान्ह भोजन योजना
योजना का निरीक्षण (प्रारूप–2)

जनपदः–

माहः–

क्र0सं0	टास्क फोर्स हेतु निर्धारित कुल विद्यालयों की संख्या	माह में निरीक्षित विद्यालय	विद्यालय जिनमें योजना का कार्य असंतोषजनक पाया गया	निरीक्षण दौरान विद्यालयों की संख्या जिनमें				
				विद्यालय में भोजन न दिया जाना	खाना कम मात्रा में दिया गया	खाना गुणवत्ता युक्त न होना	खाना मीनू के अनुसार नहीं था	भोजन निर्धारित समय पर न दिया जाना
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

संख्या–3081/79–6–06–1(46)06

प्रेषक,

जे0एस0 दीपक,
सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 26 दिसम्बर, 06

विषयः तहतानियां स्तर के अनुदानित मदरसों को 01 जनवरी, 07 से मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत तहतानियां स्तर (कक्षा 1–5) के सभी अनुदानित मदरसों को 01 जनवरी, 2007 से मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जायेगा। प्रदेश में इस प्रकार के मदरसों की जनपदवार संलग्न सूची के अनुसार संख्या 359 है तथा इनमें तहतानियां स्तर के छात्रों की संख्या 1,56,245 है।

उक्त प्रकार के मदरसे ग्रामीण क्षेत्रों में जिस ग्राम सभा की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत स्थित होंगे वहां की ग्राम सभा का यह दायित्व होगा कि वह संबंधित मदरसों को योजनान्तर्गत गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध करायेंगे। नगरीय क्षेत्रों में भोजन उपलब्ध कराने का दायित्व उस वार्ड समिति/एन0जी0ओ0 का होगा जो भी उस क्षेत्र में मध्यान्ह भोजन प्रदान कर रहा है। इन मदरसों हेतु खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) की धनराशि संबंधित ग्राम सभाा/वार्ड समिति/एन0जी0ओ0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

अनुदानित मदरसों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय विकास अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस अनुदान से अनुदानित मदरसों हेतु खाना पकाने के बर्तनों की व्यवस्था की जायेगी।

कृपया तदानुसार योजनान्तर्गत सभी अर्ह मदरसों को आच्छादित करने की कार्यवाही तुरन्त कर अवगत करायें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,
ह0
(जे0एस0 दीपक)
सचिव।

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
10. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
11. शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 लखनऊ।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग।
13. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग।
14. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
15. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
16. महालेखाकार, उ0प्र0।
17. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
18. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
20. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी।
21. समस्त जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी।
22. क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम।
23. रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा।
24. पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
25. बजट अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
26. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0
(आर0सी0 घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 3099/79–06–2006

प्रेषक,

जे0एस0 दीपक,
सचिव, बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कुशीनगर, इलाहाबाद, मुरादाबार, रामपुर, एटा,
मेरठ, प्रतापगढ़, पीलीभीत, लखनऊ, शाहजहॉपुर,
गाजीपुर, आजमगढ़ तथा बदायूँ।

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊ दिनांकः 27 दिसम्बर, 2006**

विषयः उत्तर प्रदेश विधान सभा प्राक्कलन समिति के मा0 सदस्यगण के द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना का निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश विधान सभा प्राक्कलन समिति की बैठक दिनांकः 27–12–2006 में मा0 अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति के द्वारा निर्देश दिये गये है कि मा0 समिति के सदस्यों के जनपद में कम से कम 05 विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना का आकस्मिक निरीक्षण मा0 सदस्य से कराया जाय। इस आशय के निर्देश शासन स्तर से सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजे जाये।

2– इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति के आदेशानुसार अपने जनपद से सम्बन्धित मा0 प्राक्कलन समिति के सदस्य से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उनकी सुविधानुसार कम से कम 05 विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना का निरीक्षण मा0 सदस्य कराये। मध्यान्ह भोजन योजना के निरीक्षण के दौरान आप मा0 सदस्य के साथ रहेंगे।

3– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निरीक्षण आख्या दिनांक 10 जनवरी, 2007 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– मा0 प्राक्कलन समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है।

भवदीय,
ह0
(जे0एस0 दीपक),
सचिव।

संख्या– (1)/79–06–2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, प्राक्कलन समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा को मा0 अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

2— जिलाधिकारी, कुशीनगर, इलाहाबाद, मुरादाबार, रामपुर, एटा, मेरठ, प्रतापगढ़, पीलीभीत, लखनऊ, शाहजहॉपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, तथा बदायूँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

ह0

(कामरान रिजवी)

विशेष सचिव।

प्राक्कलन समिति (2006–2007) के माननीय सदस्यों की सूची
(प्राक्कलन समिति का गठन दिनॉक 27 नवम्बर, 2006 को हुआ)

1.	श्री राधेश्याम सिंह	कुशीनगर	सभापति
2.	श्रीमती विजमा यादव	इलाहाबाद	सदस्य
3.	कु0 संध्या कठेरिया	मैनपुरी	सदस्य
4.	श्री मोहम्मद रिजवान	मुरादाबाद	सदस्य
5.	श्री प्रेम पाल सिंह यादव	बदायूँ	सदस्य
6.	श्रीमती बीना भारद्वाज	रामपुर	सदस्य
7.	डा0 पी0के0 राय	कुशीनगर	सदस्य
8.	श्री राम किशुन	चन्दौली	सदस्य
9.	श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू	सीतापुर	सदस्य
10.	श्री अनिल कुमार सिंह यादव	एटा	सदस्य
11.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	एटा	सदस्य
12.	श्री नवाब काजिम अली खॉ उर्फ नवेद मियॉ	रामपुर	सदस्य
13.	डा0 यशवन्त सिंह	मेरठ	सदस्य
14.	श्री हरि प्रताप सिंह	प्रतापगढ़	सदस्य
15.	डा0 विनोद तिवारी	पीलीभीत	सदस्य
16.	श्री अजय राय (वाराणसी)	लखनऊ	सदस्य
17.	श्री ओम प्रकाश पाण्डेय (सुल्तानपुर)	लखनऊ	सदस्य
18.	श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया	गाजियाबाद	सदस्य
19.	श्री अवधेश कुमार वर्मा	शाहजहॉपुर	सदस्य
20.	श्री आनन्द प्रकाश लोधी	फतेहपुर	सदस्य
21.	श्री उमाशंकर कुशवाहा	गाजीपुर	सदस्य
22.	श्रीमती विद्या चौधरी	आजमगढ़	सदस्य
23.	श्री हरि ओम यादव (हरि ओइम यादव)	फिरोजाबाद	सदस्य
24.	श्री आशीष यादव	बदायूँ	सदस्य
25.	श्री जटा शंकर सिंह	बहराइच	सदस्य

संख्या बी–1–420 / दस–2007

प्रेषक,

लहरी यादव,
बजट अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी,
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 01 फरवरी, 2007

विषयः मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को स्वीकृत अनुदान का आहरण।

महोदय,

शिक्षा अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या–भा.सं.–122/79–6–2006–1(9)/2005, दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 द्वारा मध्यान्ह पोषाहार योजना के संचालन हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, लखनऊ को धनराशि रूपया 2,59,39000/– (रूपया दो करोड़ उनसठ लाख उन्तालीस हजार मात्र) के स्वीकृत अनुदान के आहरण के सम्बन्ध में कोषागार द्वारा उक्त संस्था के लिए आहरण वितरण अधिकारी नामित कर डी0डी0कोड आवंटित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. चूंकि उक्त संस्था एक गैर सरकारी संस्था है अतः उक्त संस्था को आहरण एवं वितरण अधिकार नहीं दिया जाना है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्था द्वारा प्रस्तुत देयकों का वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–209 के अनुसार, उपरिअंकित शासनादेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अथवा शासनादेश स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने पर, सेल्फ डी0डी0ओज की भांति कोषागार स्तर से संस्था के नाम कोड संख्या–6000 से 7999 के मध्य एक कोड आवंटित करते हुए नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करें।

भवदीय

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी

संख्या बी–1–420 (1)/दस–2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, निशातगंज, लखनऊ।
4. शिक्षा अनुभाग–6,
5. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी

संख्या–432 / 29–6–2007–86सा0 / 2006

प्रेषक,

जवाहर लाल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0,
जवाहर भवन,
लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग–6 **लखनऊ दिनांकः 08 फरवरी, 2007**

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की बैठक में मध्यान्ह भोजन योजना के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैंः–

1. प्रत्येक माह मध्यान्ह् भोजन योजना में खाद्यान्न उठान करने से पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खाद्य विभाग/आवश्यक वस्तु निगम के अधिकारी सैम्पल आहरित करायेंगे। ऐसे सैम्पल जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय उठान एजेन्सी तथा प्रत्येक ब्लॉक गोदाम पर रखे जायेंगे।
2. उठान एजेन्सी (जिला खाद्य विपणन अधिकारी अथवा जिला प्रबन्धक, आवश्यक वस्तु निगम जैसी भी स्थिति हो) माह की उठाने पूरी होते ही विकासखण्डवार भेजी गई मात्रा की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 25 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे।
3. ब्लॉक गोदाम से कोटेदार को मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत उठाये गये खाद्यान्न की कोटेदारवार सूचना माह की 01 तारीख तक संकलित करके रख ली जाय, जिससे संबंधित विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक गोदाम प्रभारी से प्राप्त कर लेंगे।
4. कोटेदार के यहॉ 01 से 04 तारीख तक खाद्यान्न के सत्यापन की जो व्यवस्था है उसमें मध्यान्ह भोजन योजना के खाद्यान्न का भी सत्यापन कराया जाय और इस दृष्टि से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी भी माह की 01 से 04 तारीख तक भौतिक सत्यापन करेंगे।
5. मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत भारत सरकार तीन माह पहले तक खाद्यान्न लेने के लिए सहमत हैं। एफ0सी0आई0 से परामर्श कर ऐसी व्यवस्था की जानी होगी कि विद्यालयों में यह कार्यक्रम प्रभावित न होने पावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित को निदेशित करने का कष्ट करें।

संख्या–432(1)/29–6–2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0
(जवाहर लाल),
अनु सचिव

संख्याः520 (1)/79–6–07–1(9) 2005

प्रेषक,

रमेश चन्द्र घिल्डियाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग – 6 लखनऊ दिनांकः 15 मार्च, 2007

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत खाना पकाने के बर्तनों/किचेन उपकरणों की व्यवस्था/बदलाव (रिप्लेसमेन्ट) के लिए धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गरम पका–पकाया भोजन (कुक्ड़ मील) दिये जाने हेतु खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तनों/किचेन उपकरणों के लिए संलग्न विवरणानुसार रू0 14,73,28,000/– (रू0 चौदह करोड़ तिहत्तर लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारियों द्वारा आहरित कर निर्धारित कार्यो पर व्यय करने हेतु नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/टाउन एरिया/ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी जिनके द्वारा यह धनराशि उनकी क्षेत्र सीमा के योजनान्तर्गत आने वाले विद्यालयों में किचेन उपकरण की व्यवस्था/बदलाव (रिप्लेसमेन्ट) हेतु प्रयोग में लायी जायेगी। इस धनराशि के लेखों के रख–रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा यह धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगीः–

1. उक्त धनराशि का अलग से लेखा खाता रखा जाएगा और इस धनराशि को जिस कार्य के लिए स्वीकृत किया गया है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाएगा।
2. इस धनराशि से प्राप्त की गयी सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण एक अलग रजिस्टर में नियमानुसार अंकित किया जाएगा।

3– उक्त धनराशि रू0 14,73,28,000 (रू0 चौदह करोड़ तिहत्तर लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

4– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक ''2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा – अयोजनागत–102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–08–मिड डे मील–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता से विकलित होगी तथा अनुदान संख्या–71 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2202–सा0शि0–01–प्रा0शि0–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–07–मंहगाई भत्ते के लिए एकमुश्त प्राविधान–03 मंहगाई भत्ता में हो रही बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–11 की आशासकीय सख्या 477/दस 2007 दिनांकः 13–03–2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव,

पृष्ठांकन सम संख्यक (1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग।
7. नियोजन विभाग, अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त ई–।। अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. बजट अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव,

संख्याः 429/79–6–07

प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह,
सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग – 6 लखनऊ दिनांकः 30 मार्च, 2007

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना में एन0पी0आर0सी0 समन्वयक एवं बी0आर0सी0 समन्वयक के कार्य निर्धारित किया जाना।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे 1.86 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के और भी अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एन0पी0आर0सी0 समन्वयक तथा बी0आर0सी0 समन्वयक को निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से सम्बन्धित कार्य सौंपे जा रहे हैं। एन0पी0आर0सी0 समन्वयक तथा बी0आर0सी0 समन्वयक अपने कार्य क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में उत्तरदायी होंगेः–

मध्यान्ह भोजन योजना में बी0आर0सी0 समन्वयक एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिकाः– मिड डे मील योजना को गति प्रदान करने हेतु जनपदों में नियुक्त बी0आर0सी0 समन्वयक एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयक मध्यान्ह भोजन योजना में सहयोग प्रदान करेंगे तथा निम्न कार्यो हेतु उत्तरदायी होंगेः–

1. विद्यालय में भोजन का मीनू के अनुसार नियमित वितरण एवं भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव ठीक प्रकार से हो रहा है, यह सुनिश्चित करना। विद्यालय के निरीक्षण के समय मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करना तथा निरीक्षण के दिन विद्यालय में मीनू के अनुरूप भोजन के वितरण, मात्रा एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में अभिलेखों में टिप्पणी अंकित करना।
2. निर्धारित प्रपत्र पर मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं तैयार कर प्रेषित करना। एन0पी0आर0सी0 समन्वयक अपनी न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों की सूचना बी0आर0सी0 को माह की 03 तारीख तक उपलब्ध करायेगा। बी0आर0सी0 समन्वयक एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों से उक्त सूचनाएं संकलित कर विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर माह की 05 तारीख तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।
3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बिन्दु संख्या–2 में वर्णित सूचनाओं को ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष/एस0डी0एम0 को भी उपलब्ध करायेंगे।

4. यदि विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कोई समस्या है, तो उसका निराकरण करना अथवा उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर समस्या को समयान्तर्गत निस्तारित कराना।

5. दूरभाष नंबरों को अंकित कराया जानाः– विद्यालय की दीवारों पर अंकित मीनू के साथ सम्बन्धित तहसील के एस0डी0एम0, ब्लॉक के बी0डी0ओ0, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के फोन नं0/मोबाइल नं0 अंकित किए जाएं।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय तथा अनुपालन की स्थिति से शासन एवं निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 को अगवत कराय जाय।

भवदीय,
ह0
(डा0 गुरदीप सिंह)
सचिव,

पृ0सं0: 429 (1)/79–6–2007/2006–07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त आयुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव

संख्या–515/33–9–2007–70/2007

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 **लखनऊ** **दिनांकः 11 अप्रैल, 2007**

विषयः– ग्राम स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु गांव निधि का पृथक खाता खोला जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–6089/33–3– 99–222/99, दिनांकः 03–11–1999 एवं शासनादेश संख्या–5100/33–3–2002–125/ 99 दिनांकः 25–1–2006 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति ग्राम पंचायत स्तर पर गांव निधि के चार खाते रखे जाने के निर्देश हैं, जिसमें विभिन्न योजनाओं की धनराशियॉ रखी जाती हैं। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को अभी तक गांव निधि खाता–। में रखा जाता है। गांव निधि खाता–। में केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं का भी धन जमा किया जाता है। अन्य योजनाओं में धन का आहरण पाक्षिक/मासिक होता है लेकिन मध्यान्ह भोजन योजना में धन का आहरण आवश्यकतानुसार वर्ष वार करना पड़ता है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि इससे खाता सत्यापन एवं सही लेखा जोखा तैयार करने में कठिनाई हो रही है और योजना की गुणवत्ता तथा संचालन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है।

2. अतः श्री राज्यपाल महोदय मध्यान्ह भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु गांव निधि का एक पृथक खाता रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं, जो गांव निधि खाता संख्या –ट (मिड–डे–मील) कहलायेगा। इस खाते में मध्यान्ह भोजनान्तर्गत प्राप्त परिवर्तन लागत की धनराशि रखी जायेगी। उक्त खाते का संचालन पंचायत राज अधिनियम तथा नियमों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप संबंधित प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

3. उक्त सीमा तक पूर्व में निर्गत समस्त आदेश संशोधित समझे जायेंगे। कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 515(1)/33–3–2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
ह0
(**पान्डेय**)

अनुसचिव
तत्काल / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, निशातगंज,
लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः एम0डी0एम0 / 16–22 / 2007–08 **दिनांकः 03 अप्रैल, 2007**

विषयः जनपदों में कराये गये खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के विशेष आडिट की आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0ः 2379 / 79–6–2006 दिनांकः 27.11.2006 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के सम्बन्ध में रेण्डम स्तर पर विशेष ऑडिट कराया गया था। उक्त ऑडिट प्रत्येक जनपद के निम्नलिखित 05 अधिकारियों के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा सम्पन्न किया गया थाः–

(अ) जिला विद्यालय निरीक्षक

(ब) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

(स) जिला पूर्ति अधिकारी

(द) जिला पंचायत राज अधिकारी

(य) वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा

प्रत्येक जनपद में 04 टीमों द्वारा 05 ग्राम सभाओं का तथा 01 टीम द्वारा नगरीय क्षेत्र में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना का 01 जुलाई, 2006 से 30 नवम्बर, 2006 तक के खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का विशेष सम्प्रेक्षण किया गया था।

अद्यतन 43 जनपदों से जिलाधिकारी के माध्यम से आख्याएं प्राधिकरण को प्राप्त हुई हैं **(संलग्नक–1)** जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

1.	निरीक्षित विद्यालय / ग्राम पंचायत की संख्या	– 1688
2.	अनियमित विद्यालयों की संख्या	– 539
3.	दोषी ग्राम प्रधानों की संख्या	– 391
4.	दोषी ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की संख्या	– 228
5.	दोषी ए0डी0ओ0 पंचायत	– 01
6.	दोषी कोटेदारों की संख्या	– 39
7.	दोषी अधिशासी अधिकारियों की संख्या	– 03
8.	दोषी प्रधानाध्यापकों की संख्या	– 55
9.	दोषी ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0	– 06
10.	दोषी स्वयं सेवी संस्थाएं	– 11

जनपद से प्राप्त ऑडिट आख्याओं में कई ग्राम प्रधानों एवं अन्य अधिकारीगणों को दोषी पाया गया है किन्तु अन्तिमरूप से दण्ड निर्धारण करने की कार्यवाही जनपद स्तर पर गतिमान है। यह आवश्यक है कि दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही पूर्ण की जाये। इस कार्य को करने के लिए निम्न विभागों से कार्यवाही का अनुरोध शासन स्तर से किया जाना आवश्यक हैः–

(क) पंचायती राज विभाग – उपरोक्त के अनुसार विवरण में 391 ग्राम प्रधानों, 228 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों तथा 01 ए0डी0ओ0 पंचायत के विरूद्ध जनपद स्तर से कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को भेजे जायें।

(ख) खाद्य एवं रसद विभाग – उपरोक्त विवरण के अनुसार दोषी 39 कोटेदारों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश खाद्य एवं रसद विभाग से दिये जायें।

(ग) नगर विकास विभाग – दोषी पाये गये 03 अधिशासी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत किये जायें।

(घ) निदेशक, बेसिक शिक्षा – दोषी पाये गये 55 प्रधानाध्यापकों एवं 06 ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश निदेशक, बेसिक शिक्षा के स्तर से निर्गत किये जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त 22 जनपदों **(संलग्नक–2)** की आख्याएं अभी भी अप्राप्त हैं जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को आख्या उपलब्ध कराने हेतु दो अनुस्मारक पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं तथा सम्बन्धित जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी दूरभाष पर आख्याएं उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। कृपया शासन अपने स्तर से उपरोक्त 22 जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश निर्गत करें कि वे 10 दिनों के अन्दर अपने जनपदों की ऑडिट आख्या निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये।

कतिपय जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा ऑडिट टीमों के माध्यम से निम्न सुझाव प्राधिकरण को उपलब्ध कराए गये हैंः–

क्र0 सं0	सुझाव	कार्यवाही / प्रस्तावित कार्यवाही
1	परिवर्तन लागत हेतु पृथक से ग्रामनिधि खाता संचालित किया जाए।	प्राधिकरण के पत्रांकः म0भो0प्रा0 / 3444 / 2006–07 दिनांकः 05 फरवरी, 2007 द्वारा प्रमुख सचिव, पंचायती राज को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु पत्र निर्गत है। कृपया अपने स्तर से पुनः स्मरण कराने का कष्ट करें।
2	खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का लेखा–जोखा ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक से रखा जाए।	प्रमुख सचिव, पंचायती राज से खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत हेतु प्रपत्र निर्धारित करा शासनादेश निर्गत कराने की आवश्यकता है। कृपया अपने स्तर से अनुरोध करने का कष्ट करें।
3	अभिलेखों के रख–रखाव हेतु प्रशिक्षण दिया जाए तथा ग्राम प्रधानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था विकासखण्ड स्तर पर की जायें।	प्रमुख सचिव पंचायती राज द्वारा निर्देश जारी कराने की आवश्यकता है। कृपया अपने स्तर से अनुरोध करने का कष्ट करें।
4	परिवर्तन लागत एवं खाद्यान्न प्रत्येक माह के प्रारम्भ में उपलब्ध कराए जायें।	आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0: 432 / 29–6–2007–86सा0 / 2006 दिनांकः 08 फरवरी, 2007 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
5	प्रत्येक विद्यालय में गैस सिलेण्डर एवं चूल्हे की व्यवस्था की जाये।	प्राधिकरण के पत्रांक म0भो0प्रा0 / 3462–3464 / 2006–07, दिनांकः 06 फरवरी, 2007 द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य एव ंरसद विभाग, उ0प्र0 को जनपदों के विद्यालय हेतु रियायती दरों पर डबल गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत है। कृपया अपने स्तर से पुनः स्मरण कराने का कष्ट करें।

कृपया जनपद से प्राप्त आख्याओं एवं सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए समुचित निर्देश एवं मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।

संलग्नकः **उक्तवत्।**

भवदीय,

ह0

(कामरान रिजवी)

निदेशक,

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0सं0: म0भो0प्रा0/ 16–22 / 2007–08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
2. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

ह0

(अनिल भूषण चतुर्वेदी)

उप निदेशक,

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

संख्याः 1168/29–7–2007–जी–34/2006

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य स्तरीय समन्वयक,
भारतीय तेल निगम,
कपूरथला काम्पलेक्स,
अलीगंज, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग–7 **लखनऊ दिनांक 06 जून, 2007**

विषयः प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में संचालित "मिड–डे–मील" के लिए घरेलू गैस उपलब्ध कराने सम्बन्धी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत ही हैं कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार **"मिड–डे–मील"** योजनान्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उक्त भोजन पकाने हेतु घरेलू गैस की आवश्यकता होती है। शासन के संज्ञान में लाया गया है कि सभी विद्यालयों में अभी घरेलू गैस के सिलेण्डर उपलब्ध नहीं हो सके है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के प्रत्येक परिषदीय विद्यालयों में जहाँ पूर्व से एक सिलेण्डर उपलब्ध हो वहाँ डबल गैस सिलेण्डर तथा जहाँ पर अभी तक गैस सिलेण्डर उपलब्ध नहीं हो पाये हो वहां सीधे–सीधे सिलेण्डर का कनेक्शन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि परिषदीय विद्यालयों को उपलब्ध कराये जा रहे घरेलू गैस सिलेण्डर शासकीय योजना में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। अतः उक्त सिलेण्डरों की सिक्योरिटी मनी की व्यवस्था को समाप्त किए जाने अथवा सिक्योरिटी मनी न्यूनतम/सांकेतिक निर्धारित करने के सम्बन्ध में भी विचार कर निर्णय से यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(सुधीर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्याः 1168 (1)/29–7–2007–जी–34/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0
(शिव जनम चौधरी)
अनु सचिव

संख्या–1184/79.6.2007–1(1)/2007

प्रेषक,

सचिव, बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 06 जून, 2007

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों के श्रेणीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे प्रदेश के लगभग 52 हजार ग्राम पंचायतो एवं समस्त नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा नगर निगम के अधीन संचालित लगभग एक लाख प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 01 करोड़ 86 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

विद्यालयों में प्रभावी शैक्षिक श्रेणीकरण से सम्बन्धित शासनादेश संख्याः 489(1)/79–5–06–346/2001 टीसी0–1 दिनांक 17 मई, 2006 के अनुरूप मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों का भी श्रेणीकरण करने का निर्णय लिया गया जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैः–

1. छात्र/छात्राओं को नियमित एवं मीनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराना।
2. गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध कराना।
3. मध्यान्ह भोजन योजना का सतत् मूल्यांकन करना।
4. मध्यान्ह भोजन योजना को और अधिक प्रभावी बनाना।
5. ड्राप आउट दर कम करना एवं शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना।

मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित विद्यालय की श्रेणी को शैक्षिक श्रेणीकरण वाले बोर्ड पर ही अंकित किया जायेगा।

1. मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों के श्रेणीकरण हेतु कुल 06 मानक निम्नवत निर्धारित किये हैं :–

बिन्दु सं0	मानक	अंक
1	भोजन की उपलब्धता	40
2	भोजन की गुणवत्ता	15
3	भौतिक संसाधन की उपलब्धता	10
4	स्वच्छता	15
5	पंजीयन के सापेक्ष उपस्थिति	10
6	अभिलेखों का रख रखाव	10

2. श्रेणीकरण से सम्बन्धित मानक बिन्दु एवं तत् सम्बन्धी प्रपत्र ***(संलग्नक–1)*** के आधार पर विद्यालयों को अ, ब, स, द श्रेणी प्रदान की जायेगी। मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों का श्रेणीकरण प्रत्येक दो माह में एक बार एन0पी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा श्रेणीकरण हेतु प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा, जिसे भरने के विस्तृत निर्देश ***संलग्नक–2*** में उल्लिखित है। अ, ब, स, द श्रेणी प्राप्त करने हेतु निर्धारित अंक निम्न तालिका में दर्शित हैं।

अंक	श्रेणी
75–100	अ
60–74	ब

50–59	स
35–49	द

3. उक्त व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रधानाध्यापक/एन0पी0 आर0सी0/बी0आर0सी0, प्रति विद्यालय निरीक्षक अथवा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दायित्व ***संलग्नक–3*** के अनुसार निर्धारित किये गये है।

4. समस्त अधिकारी यह प्रयास करेंगे, कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, अभिभावकों तथा रसोइयां से भी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर ली जाय। यदि श्रेणीकरण से यह ज्ञात होता है, कि मध्यान्ह भोजन योजना के विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन मे कोई कमियाँ/समस्या है, तो उक्त के सुधार की कार्यवाही तत्काल की जाय।

5. मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत श्रेणीकरण प्रपत्र भरे जाने के सम्बन्ध में समस्त जनपदीय अधिकारियों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जायेगा। जनपद के अन्य कनिष्ठ अधिकारी, विकासखण्ड एवं उसके अधीन इकाइयों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण जनपदीय डायट/बी0आर0सी0 द्वारा आयोजित किया जायेगा।

6. कृपया उपरोक्त निर्देशो का प्राथमिक विद्यालयों में कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय जिससे मध्यान्ह भोजन से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को नियमित रूप से गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

संलग्नकः–उक्तवत्

भवदीय
ह0
(मनोज कुमार)
सचिव

संख्याः /07–08 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना, निशातगंज लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
3. निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
5. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।
7. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
ह0
(आर0सी0घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव

संलग्न–1

मध्यान्ह भोजन द्वारा विद्यालय का श्रेणीक्रम

क्र0	मुख्य बिन्दु	अंक	उप बिन्दु	अंक	प्राप्तांक

1	भोजन की उपलब्धता	40	भोजन नियमित रूप से बन रहा है। ।ध्ठग्10 ।. माह में कितने दिन बना। ठ. माह में कार्य दिवसों की संख्या।	10	
			भोजन मीनू के अनुसार बन रहा है। ।ध्ठग्10 ।. माह में कितने दिन बना। ठ. माह में कार्य दिवसों की संख्या।	10	
			निर्धारित मानक के अनुसार खाद्य सामग्री का प्रयोग।	10	
			मीनू वाल पेन्टिंग का निर्धारित मानक के अनुसार होना	5	
			छात्रों का अनुशासित ढंग से भोजन करना	5	
2	भोजन की गुणवत्ता	15	खाद्यान्न की गुणवत्ता।	5	
			भोजन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता।	5	
			भोजन को अध्यापको/अभिभावकों द्वारा चखा जाना।	5	
3	भौतिक संसाधन की उपलब्धता	10	खाना बनाने व परोसने के बर्तन की उपलब्धता एवं पर्याप्तता।	2.5	
			रसोई कक्ष का उपयोग।	2.5	
			रसोइया की उपलब्धता एवं पर्याप्तता।	2.5	
			गैस चूल्हे की उपलब्धता एवं प्रयोग	2.5	
4	स्वच्छता	15	बच्चों की स्वच्छता, भोजन के पूर्व तथा बाद में हाथ धोना।	3	
			विद्यालय परिसर व रसोई की स्वच्छता।	3	
			स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता।	3	
			प्रयुक्त बर्तनों की स्वच्छता।	3	
			खाद्य सामग्री की स्वच्छता एवं रख–रखाव।	3	
5	पंजीयन के सापेक्ष उपस्थिति ।ध्ठग्100 ।. निरीक्षण के दिनों की औसत उपस्थिति ठ. पंजीकृत छात्र	10	80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक	10	
			60–79 प्रतिशत	6	
			40–59 प्रतिशत	4	
6	अभिलेखों का रख–रखाव	10	खाद्यान्न से सम्बन्धित अभिलेखों का व्यवहरण।	3	
			परिवर्तन लागत से सम्बन्धित अभिलेखों का व्यवहरण।	3	
			रसोइये के मानदेय से सम्बन्धित अभिलेख।	2	
			ग्राम समिति की बैठक से सम्बन्धित अभिलेख।	2	

संलग्नक–2

मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालय, श्रेणीकरण निर्देश

मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता ज्ञात करने, नियमित भोजन बनाने, स्वच्छता, शत प्रतिशत उपस्थिति ज्ञात करने के उद्देश्य से विद्यालय श्रेणीकरण हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किए गये है।,

मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालय श्रेणीकरण हेतु कुल 100 अंक रखे गये है। जिनका निम्नवत् विभाजन है :–

क्र0सं0	श्रेणीकरण हेतु बिन्दु	अंक
1	भोजन की उपलब्धता	40
2	भोजन की गुणवत्ता	15
3	भौतिक संसाधन की उपलब्धता	10
4	स्वच्छता	15
5	पंजीयन के सापेक्ष उपस्थिति	10
6	अभिलेखों का रख रखाव	10
	योग	**100**

1. भोजन की उपलब्धता–40 अंक

विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को निर्धारित मानक एवं मीनू के अनुसार नियमित भोजन उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है इसलिए इस हेतु कुल 40 अंक निर्धारित किये गये हैं।

1(अ) भोजन नियमित रूप से बन रहा है – 10

इसका आगणन निम्न सूत्र के अनुसार किया जायेगा

।ध्ठग10 ।त्र माह में कितने दिन भोजन बना।

ठत्र माह में कार्य दिवसो की संख्या।

1(ब) भोजन मीनू के अनुसार बन रहा है – 10

।ध्ठग10 ।त्र माह में कितने दिन मीनू के अनुसार भोजन बना।

ठत्र माह में कार्य दिवसो की संख्या।

1(स) निर्धारित मानक के अनुसार खाद्य सामग्री का प्रयोग – 10

1(द) मीनू वाल पेटिंग निर्धारित मानक के अनुसार होना – 05

1(य) छात्रों का अनुशासित ढंग से भोजन करना – 05

योग – 40

2. भोजन की गुणवत्ता–15 अंक अधिकतम

विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को खाद्यान्न एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री का गुणवत्ता पूर्ण होना एवं पके हुए भोजन को अध्यापकों/अभिभावकों द्वारा चखा जाना आवश्यक है। इस हेतु 15 अंक निर्धारित किये गये हैं।

2(अ) खाद्यान्न की गुणवत्ता – 05

2(ब) भोजन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता – 05

2(स) भोजन का अध्यापकों/अभिभावकों द्वारा चखा जाना – 05

योग – 15

3. भौतिक संसाधन की उपलब्धता–10 अंक

मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए किचन शेड बर्तन, गैस चूल्हा एवं खाना बनाने वाले व्यक्ति की उपलब्धता के सम्बन्ध में 15 अंक निर्धारित किए गये है।

3(अ) खाना बनाने व परोसने के बर्तन की उपलब्धता एव पर्याप्तता	– 2.5
3(ब) रसोई कक्ष का उपयोग	– 2.5
3(स) रसोइयों की उपलब्धता एवं पर्याप्तता	– 2.5
3(द) गैस चूल्हे की उपलब्धता एवं प्रयोग	– 2.5
योग	**– 10**

4. स्वच्छता–15

विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों एवं रसोइयों का स्वच्छ होना, विद्यालय परिसर, पेय जल, प्रयुक्त खाद्य सामग्री एवं बर्तन की स्वच्छता आवश्यक है। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किये गये है।

4(अ) बच्चों द्वारा भोजन के पूर्व तथा बाद में हाथ धोना	– 03
4(ब) विद्यालय परिसर व रसोई की स्वच्छता	– 03
4(स) स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता	– 03
4(द) प्रयुक्त बर्तन की स्वच्छता	– 03
4(य) खाद्य सामग्री की स्वच्छता एव रख रखाव	– 03
योग	**– 15**

5. पंजीयन के सापेक्ष उपस्थिति–10 अंक

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों का विद्यालय में नामांकन के प्रति नियमित रूप से उपस्थित होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किये गये है। गुणांक का आगणन निम्नवत् होगा :–

।ध्ठग100 ।त्र निरीक्षण के दिनों की औसत उपस्थिति

ठत्र पंजीकृत छात्र

5(अ) 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक उपस्थिति	– 10
5(ब) 60–79 प्रतिशत उपस्थिति	– 06
5(स) 40–59 प्रतिशत उपस्थिति	– 04
योग	**– 10**

6. अभिलेखों का रख रखाव–10 अंक

प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न, परिवर्तन लागत एवं रसोइये के मानदेय सम्बन्धी अभिलेखों का रख रखाव ग्राम शिक्षा समितियों की बैठक का रजिस्टर रखना इस योजनान्तर्गत अति आवश्यक है। इसके लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित किये गये है।

6(अ) खाद्यान्न से सम्बन्धित अभिलेखों का व्यवहरण	– 03
6(ब) परिवर्तन लागत सम्बन्धी अभिलेखों का व्यवहरण	– 03
6(स) रसोइये के मानदेय से सम्बन्धित अभिलेख	– 02
6(द) ग्राम समिति की बैठक सम्बन्धित अभिलेख	– 02
योग	**– 10**

क्रमांक 01 से 06 बिन्दुओं में प्राप्त अंकों के अधार पर निम्नलिखित श्रेणी दी जायेगी।

अंक	श्रेणी
75—100	अ
60—74	ब
50—59	स
35—49	द

विद्यालय को प्राप्त श्रेणी का अंकन विद्यालय के सूचनापट पर की जायेगी।

संलग्नकः–3

मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित, कर्मचारियों/अधिकारियों का श्रेणीकरण हेतु दायित्व

1. प्रधानाध्यापक का दायित्वः–

1. प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि वह यह देखे कि प्रत्येक कार्य दिवस में विद्यालय में उपस्थित बच्चों को मध्यान्ह भोजन निर्धारित मात्रा में मीनू के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. मध्यान्ह भोजन योजना पंजिका का रख रखाव करना।
3. पके हुए भोजन को चख कर देखना कि यह सुस्वाद एवं खाने योग्य है अथवा नही उसका अंकन मध्यान्ह भोजन योजना पंजिका में करके उसे सत्यापित करना।
4. भोजन करने से पूर्व बच्चे हाथ धोकर स्वच्छता पूर्व कतार बद्ध होकर सफाई से बैठ कर भोजन करें यह सुनिश्चित करना।
5. श्रेणीकरण में एन0पी0आर0सी0 प्रभारी एवं अन्य अधिकारियों का सहयोग करना।
6. प्रधानाध्यापक का यह भी दायित्व होगा, कि श्रेणीकरण प्रपत्र को विद्यालय सूचना पट में अनिवार्य रूप से चस्पा करें।

2. एन0पी0आर0सी0 का दायित्वः–

1. एन0पी0आर0सी0 समन्वयक प्रत्येक दो माह में चार बार अपनी न्याय पंचायत के समस्त स्कूलों का आकस्मिक भ्रमण करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यान्ह भोजन योजना सुचारू रूप से संचालित हो रही है।
2. मध्यान्ह भोजन येाजना श्रेणीकरण प्रपत्र दो माह में एक बार एन0पी0आर0सी0 द्वारा भरकर बी0आर0सी0 प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. एन0पी0आर0सी0 श्रेणीकरण की एक प्रति प्रधानाध्यापक, प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

3. बी0आर0सी0 समन्वयक का दायित्वः–

1. बी0आर0सी0 प्रभारी द्वारा विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों को प्रत्येक त्रैमास में एक बार निरीक्षण किया जायेगा।
2. एन0पी0आर0सी समन्वयकों द्वारा दी गयी श्रेणी की समीक्षा करेगा।
3. बी0आर0सी0 समन्वयक दो माह में श्रेणीकरण की रिर्पोट उप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।
4. बी0आर0सी0 समन्वयक जनपद स्तरीय टास्क फोर्स, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण आख्याओं को संकलित कर अपने कार्यालय में रखेगा।
5. बी0आर0सी0 प्रभारी प्रत्येक त्रैमास में अपने अन्तर्गत आने वाले न्यायपंचायतो के समन्वयकों को उनके न्यायपंचायतो के विद्यालयों को छोड़ कर अन्य न्यायपंचायत के विद्यालयों के सत्यापन की व्यवस्था करेगा।

4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का दायित्वः–

1. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक शैक्षिक सत्र में अपने नियंत्रणधीन समस्त विद्यालय का एक बार निरीक्षण करेगा।

2. एन0पी0आर0सी0 / बी0आर0सी0 द्वारा दी गई श्रेणी की समीक्षा करेगा एवं कृत कार्यवाही से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत करायेगा।,

5. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्वः–

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जनपद के 10 विद्यालयों का प्रत्येक माह में निरीक्षण करेंगे।
2. जनपद की एम0डी0एम0 से सम्बन्धित समस्त निरीक्षण आख्याओं एवं श्रेणीकरण प्रपत्र का संकलन करेंगे।
3. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक दो माह में श्रेणीकरण की रिपोर्ट तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्वः–

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जनपद के 10 विद्यालयों का निरीक्षण दो माह में एक बार किया जायेगा।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा उन्ही विद्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाय जिनका बी0आर0सी0, ए0बी0एस0ए0 एवं उप बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया हो।
3. जनपदीय अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से आहूत कराना तथा बैठक में लिए गये निर्णयों को लागू करायेंगे।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त श्रेणीकरण रिपोर्ट की समीक्षा करना एवं प्रत्येक दो माह में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को संक्षिप्त आख्या उपलब्ध कराना।
5. बी0एस0ए0 श्रेणीकरण की सूचना जनपद स्तरीय टास्क फोर्स एवं ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स को उपलब्ध करायेगा।

7. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0):–

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक अपने मण्डल के प्रत्येक जनपद के 20 विद्यालयों का रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर औचक निरीक्षण करेगें।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), के निरीक्षण में यदि कनिष्ठ अधिकारी के निरीक्षण के बाद कमी पायी गयी तो कनिष्ठ के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8. विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स का दायित्वः–

1. उप जिलाधिकारी प्राप्त आख्याओं एवं श्रेणीकरण प्रपत्रों का अध्ययन करके योजना के हित में आवश्यक कार्यवाही करेगें।
2. विकास खण्ड टास्क फोर्स के निरीक्षण में यदि श्रेणीकरण में विभिन्नता पायीं जाती है, तो उप जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट से जिलाधिकारी को अवगत करायेंगे।

9. जिलाधिकारी के दायित्वः–

1. प्रत्येक माह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त टास्क फोर्स की बैठक होगी जिसमें श्रेणीकरण के बिन्दुओं का अध्ययन कर योजना के हित में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षित विद्यालयों का निरीक्षण किया जायेगा।

संख्या–1720/79–6–2007

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 15 जून, 2007

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत से सम्बन्धित अभिलेखों के रख–रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मध्यान्ह भोजन येाजना, सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे लगभग 1 लाख प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1 करोड़ 86 लाख बच्चे लाभन्वित हो रहे है। योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि जनपद से सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है। तदुपरान्त ग्राम पंचायतों द्वारा पका–पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा जनपदों में कराए गये विशेष आडिट के उपरान्त मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत सम्बन्धी अभिलेखों को ग्राम पंचायत स्तर पर और सुदुढ़ करने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं। अतः उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण से प्राप्त सुझावों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 प्रपत्रों के निर्धारण का निर्णय लिया गया है :–

(अ) परिवर्तन लागत का दैनिक आय–व्ययक लेखा विवरण प्रपत्र–ध
(ब) दैनिक खाद्यान्न स्टाक रजिस्टर प्रपत्र– ध्ध एवं
(स) ग्राम पंचायत स्तरीय मासिक सूचना प्रपत्र– ध्ध्ध

2. यहां यह उल्लेख भी प्रासंगिक होगा कि प्रश्नगत प्रपत्र एवं इन्हें भरे जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश संलग्न हैं। इन प्रपत्रों एवं अभिलेखों के रख–रखाव एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश निम्नवत हैं :–

(1) संलग्न प्रपत्रों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में आने वाले सभी प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रत्येक माह पृथक–पृथक भरा जाएगा।
(2) संलग्न प्रपत्रों को भरने का दायित्व पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत का होगा जिसे ग्राम प्रधान द्वारा माह के अन्त में प्रमाणित किया जाएगा। प्रपत्र ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित रखा जाएगा।
(3) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह विद्यालयवार प्रेषित परिवर्तन लागत की धनराशि का विवरण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा।
(4) माह में विद्यालयवार निकटवर्ती कोटेदार को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराए गये खाद्यान्न की सूचना अनिवार्य रूप से जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विकासखण्ड के पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी

जाएगी। इससे ग्राम पंचायतों को विद्यालयवार आबंटित खाद्यान्न की सूचना प्राप्त हो सकेगी।

(5) इन प्रपत्रों को त्रैमासिक आधार पर विकासखण्ड स्तर के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों के मध्यान्ह भोजन योजना के निरीक्षण के समय सत्यापित किया जाएगा। प्रत्येक त्रैमास के सत्यापन की संकलित रिपोर्ट सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा भी ग्राम पंचायत के त्रैमासिक निरीक्षण के समय इन प्रपत्रों का भी निरीक्षण किा जाएगा।

(6) प्रत्येक त्रैमास पर विकासखण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा सम्बन्धित विकास खण्ड के समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों/सचिव, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में विकासखण्ड के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा उनके द्वारा प्रपत्रों की समीक्षा की जाएगी। विकासखण्ड स्तर पर संकलित रिपोर्ट की प्रति सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं लेखाधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा को अग्रसारित की जाएगी। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा बैठक बुलाने हेतु फैलीसिटेटर का कार्य ही किया जाएगा।

(7) माह के अन्तिम कार्य दिवस में इन प्रपत्रों की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध करायी जाएगी जिसे विद्यालय के सूचना पट पर सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

3. ये निर्देश पंचायतीराज विभाग की सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

4. अतः कृपया मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अभिलेखीकरण हेतु निर्धारित किए गये प्रपत्रों के अनुसार सूचना संकलन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय
ह0
(मनोज कुमार)
सचिव, बेसिक शिक्षा

पृष्ठांकन संख्या (1)79–6–2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव

मध्यान्ह भोजन योजना

परिवर्तन लागत का दैनिक आय–व्यय लेखा विवरण प्रपत्र–1

माह ....

विद्यालय का नाम .... ग्राम पंचायत का नाम .... विकासखण्ड का नाम .... धनराशि (रूपये में)

आय			व्यय												
तिथि	प्राप्ति विवरण	प्राप्त धनराशि	बिल संख्या/ दिनांक	व्यय का प्रकार (5)										कुल व्यय धनराशि	वाउचर संख्या/ भुगतान की तिथि
				दाल	सब्जी	सोयाबीन/ बड़ी	तेल/ घी	चीनी	दूध/ दही	अन्य सामग्री	ईंधन	रसोइये का मानदेय	अन्य व्यय		
1	2	3	4	[illegible]	ठ	[illegible]	क	[illegible]	[illegible]	ळ	[illegible]	[illegible]	श्र	6	7
		योग												योग	

माह के अन्त में कुल अवशेष धनराशि (माह में कुल प्राप्त धनराशि – माह में कुल व्यय धनराशि) =

(अ) गतमाह की अवशेष धनराशि –

(ब) वर्तमान माह में प्राप्त धनराशि –

(स) माह में कुल प्राप्त धनराशि (अ+ब) –

हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/
सचिव, ग्राम पंचायत

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

परिवर्तन लागत का दैनिक आय–व्यय लेखा विवरण प्रपत्र–। भरने के निर्देश

- ❖ आय विवरण के स्तम्भ–1 में प्राप्ति तिथि, स्तम्भ–2 प्राप्ति विवरण (जैसे–ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक) स्तम्भ–3 में जनपद से ग्राम पंचायत के सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय हेतु प्राप्त की गयी धनराशि का विवरण अंकित किया जायेगा।
- ❖ प्राप्त धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण व्यय स्तम्भ में अंकित किये जायेंगे। मध्यान्ह भोजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री यथा दाल, तेल, मसाले, ईंधन, चीनी आदि को एकमुश्त माह में यथासम्भव एक या दो बार क्रय किया जायेगा। दूध का यथासम्भव मासिक भुगतान किया जायेगा, जिसका लेखा व्यय विवरण पर अंकित किया जायेगा। भोजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के रख–रखाव की व्यवस्था इस प्रकार होना अनिवार्य है कि यह सामग्रियॉ खराब न हों जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी।
- ❖ क्रय की गयी प्रत्येक सामग्री का वाउचर दिनांक एवं धनराशि सहित ग्राम पंचायत स्तर पर सुरक्षित रखा जायेगा। प्रपत्र–1 के स्तम्भ–4 में क्रय की गयी सामग्री की तिथि एवं बिल संख्या, स्तम्भ–5 में भोजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रय विवरण, स्तम्भ–6 में कुल व्यय धनराशि, स्तम्भ–7 में वाउचर संख्या/भुगतान की तिथि दर्ज होगी (स्तम्भ–4 के बिल के भुगतान हो जाने पर स्तम्भ–7 में भुगतान के रूप में अंकित किया जायेगा)। समस्त बाउचर समय–समय पर जनपद/मुख्यालय द्वारा कराये जाने वाले ऑडिट के समय उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
- ❖ व्यय स्तम्भ में अंकित ''अन्य सामग्री'' का तात्पर्य भोजन में प्रयुक्त होने वाले मसाले, नमक इत्यादि से है।
- ❖ ''ईंधन'' का तात्पर्य गैस सिलेण्डर, लकड़ी, कैरोसिन तेल इत्यादि से है।
- ❖ ''अन्य व्यय'' का तात्पर्य गेहूँ की पिसाई, सामग्रियों की ढुलाई इत्यादि से है। गेहूँ एवं चावल की ढुलाई इस मद से अनुमन्य नहीं है।
- ❖ माह के अन्त में कुल प्राप्त धनराशि तथा गत माह की अवशेष धनराशि के योग के उपरान्त माह में कुल व्यय धनराशि को घटाने पर वर्तमान माह में अवशेष धनराशि आयेगी यह अवशेष धनराशि समीक्षागत माह के आय में जोड़ी जायेगी।

मध्यान्ह भोजन योजना

दैनिक खाद्यान्न स्टाक रजिस्टर प्रपत्र–।।

विद्यालय का नाम ..... ग्राम पंचायत ..... विकासखण्ड ..... माह .....,

गत माह का अवशेष (कुन्तल में)			माह में आवंटन (कुन्तल में)			प्रयुक्त खाद्यान्न (कि0ग्रा0)				अवशेष खाद्य सामग्री			विद्यालय में प्राप्तकर्ता/ रसोईया के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
गेहूँ	चावल	योग (1+2)	गेहूँ	चावल	योग (4+5)	तिथि	आटा	चावल	योग (8+9)	आटा	चावल	योग (11+12)	
योग	योग	योग	योग	योग	योग		योग	योग	योग	योग	योग	योग	

हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/
सचिव, ग्राम पंचायत

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

नोटः– प्रपत्र भरने के निर्देश प्रपत्र के पीछे दिये गये हैं।

दैनिक खाद्यान्न स्टाक रजिस्टर प्रपत्र–।। भरने के निर्देशः–

- प्रपत्र के स्तम्भ–1 में गतमाह के अवशेष गेहूँ, स्तम्भ–2 में गतमाह का अवशेष चावल, स्तम्भ–4 में वर्तमान माह में प्राप्त गेहूँ एवं स्तम्भ–5 में वर्तमान माह में प्राप्त चावल का विवरण अंकित किया जायेगा।

- माह में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय हेतु प्रयुक्त खाद्यान्न को दिवसवार (स्तम्भ–7) विद्यालय को उपलब्ध कराए गए आटा (स्तम्भ–8) एवं चावल (स्तम्भ–9) का अंकन किया जायेगा, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति के सापेक्ष कुल कितना खाद्यान्न प्रयोग में लाया गया है।
- ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय को उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न को विद्यालय में प्राप्तकर्ता (रसोइया) द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

मध्यान्ह भोजन योजना

ग्राम पंचायत स्तरीय मासिक सूचना प्रपत्र–।।।

माहः ..... वर्ष .....

विद्यालय : ..... ग्राम पंचायत ..... विकासखण्ड .....

खाद्यान्न (कुन्तल में)		गेहू **(A)**	चावल **(B)**	योग **(A+B)**
(1) गत माह का अवशेष	–			
(2) माह में प्राप्त खाद्यान्न	–			
(3) माह में कुल खाद्यान्न (1+2)	–			
(4) माह में प्रयुक्त खाद्यान्न	–			
(5) माह में अवशेष खाद्यान्न (3–4)	–			

परिवर्तन लागत (रूपये में)

(1) गत माह की अवशेष धनराशि –

(2) माह में प्राप्त धनराशि/तिथि –

(3) कुल धनराशि (1+2) –

(4) माह में उपभोग की गयी धनराशि –

(5) माह में अवशेष धनराशि (3–4) –

हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत विकास
अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

नोटः– प्रपत्र भरने के निर्देश प्रपत्र के पीछे दिये गये हैं।

ग्राम पंचायत स्तरीय मासिक सूचना प्रपत्र–।।। भरने के निर्देशः–

- इस प्रपत्र में प्रविष्टियॉ प्रपत्र–। एवं प्रपत्र–।। के आधार पर की जायेंगी।
- खाद्यान्न की प्रविष्टि कुन्तल में गेंहूॅ एवं चावल वार की जायेगी। गत माह के अवशेष खाद्यान्न का भी प्रपत्र में उल्लेख किया जायेगा।
- परिवर्तन लागत की प्रविष्टियॉ भी निर्देशानुसार की जायेगी।

<u>संख्याः 9166 / 79.6.2007</u>

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांकः **06.08.2007**

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के सतत निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पार्श्वांकित शासनादेश / अर्द्ध शा0 पत्र का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इन शासनादेशों के द्वारा विद्यालयों में पके–पकाये भोजन की उपलब्धता

1. सं0–1429 / 79–6–04–01(6) / 2000 टी0सी0–3 दिनांकः 25 जून, 2004
2. शा0सं0–1643 / 79–6–04–1(6) / 2000 टी0सी0 दिनांकः 23 जुलाई, 2004
3. शा0सं0–1981 / 79–6–04–1(6) / 2000 टी0सी0 दिनांकः 08 सितम्बर, 2004
4. अर्द्ध शा0प0सं0–03 / 2004–05, दिनांकः 01.12.2004
5. शा0सं0–2906 / 79–6–05–1(6) / 2000 टी0सी0 दिनांकः 02 जनवरी, 2006
6. पत्र सं0–2907 / 79–6–04–1(6) / 2000 टी0सी0–2 दिनांक 14.01.2006

तथा भोजन निर्माण में स्वच्छता बनाये रखने हेतु विभिन्न निर्देश जारी किए गये हैं। यह भी व्यवस्था की गयी थी कि ग्राम पंचायत स्तर पर खाना बनाने हेतु एक समिति होगी जिसकी देखरेख में भोजन पकाने एवं वितरण कराये जाने के साथ–साथ योजना के सफल संचालन हेतु रोस्टर प्रणाली के आधार पर नियमित रूप से निरीक्षण की कार्यवाही की जाएगी।

योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स तथा विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स गठित करते हुए यह निर्देश दिए गये थे, कि उक्त टास्क फोर्स के प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक माह 05–05 विद्यालयों का निर्दिष्ट चेक लिस्ट के अनुसार निरीक्षण करेंगे तथा इसकी आख्या शिक्षा निदेशक (बे0) तथा शासन को प्रेषित करेंगे।

किन्तु शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा जनपदों में की गई जॉच के क्रम में यह संज्ञान में आया है कि उपरोक्त शासनादेशों का सम्यक पालन नहीं हो रहा है जिससे बच्चों के बीमार पड़ने आदि की घटनाएं संभावित हो रही है। अतः उक्त सभी शासनादेशों तथा समय–समय पर विभाग / शासन द्वारा जारी निर्देशों का सम्यक पालन प्रत्येक स्तर से सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा पत्र दिनांकः 29.03.2006 के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया है किन्तु स्थिति में कोई सुधार दृष्टव्य नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। जनपद हेतु निर्धारित निरीक्षण के लक्ष्यों को पूर्ण कराकर जिलाधिकारी द्वारा उसकी समीक्षा की जाय। जनपद में कृत कार्यवाही की आख्या प्रत्येक माह निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण एवं शासन को अवश्य भेजी जाय। टास्कफोर्सो से सम्बन्धित चेक लिस्ट संलग्न है।

मण्डलायुक्तों से यह अपेक्षा है कि उनके स्तर पर आयोजित होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों में मध्यान्ह भोजन योजना को एक एजेण्डा बिन्दु के रूप में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय तथा इस शासनादेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

ह0

(प्रशान्त कुमार मिश्रा)

मुख्य सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0

(मनोज कुमार)

प्रमुख सचिव

टास्क फोर्स हेतु चेक लिस्ट

जॉच के बिन्दु **जांच आख्या**

1– सामान्य बिन्दु

(1) विद्यालय का नाम/विकास खण्ड का नाम/जिला–
(2) निरीक्षण तिथि/निरीक्षण का समय/अवधि–
(3) पंजीकृत छात्रों की संख्या–
(4) विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या–
(5) विद्यालय में अनुबन्धित शिक्षा मित्रों की संख्या–
(6) खाना पकाने वालों का नाम–
(7) खाना पकाने वालों को दिया जा रहा मानदेय की स्थिति–
(कब तक दिया गया है/कितना दिया गया है)
(8) विद्यालय में मीनू लागू है अथवा नहीं–
(9) विकास खण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी का नाम, पद व पता–
(10) विद्यालय से संबंधित ग्राम प्रधान मध्यान्ह भोजन योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है अथवा नहीं–

2– खाद्यान्न की जॉच

(1) खाद्यान्न का मानक नमूने से मिलान–
(2) खाद्यान्न की सफाई का स्तर–
(3) खाद्यान्न के रखने का स्थान एवं चूहे कीड़े मकोड़ों से आदि से बचाव हेतु किए गए उपाय–
(4) खाद्यान्न की प्रतिदिन उपयोग होने वाली मात्रा–
(5) खाद्यान्न माह में कितने बार गोदाम से उठाया जाता है–
(6) एक माह में लगभग औसतन कितना खाद्यान्न उपयोग किया जाता है–

3– कन्वर्जन कास्ट की उपलब्धता

(1) ग्राम प्रधान के पास उपलब्ध कन्वर्जन कास्ट की धनराशि–
(2) प्रतिदिन व्यय होने वाली औसतन धनराशि–
(3) कन्वर्जन कासट प्राप्त होने की आवृत्ति–
(पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक)

4– अन्य भोजन सामग्री की व्यवस्था

(1) भोजन निर्माण हेतु तेल/चिकनाई किस प्रकार की है–
(खुला तेल/एगमार्ग का तेल/ब्रान्डेड एगमार्क का तेल/वनस्पति)
(2) नमक (डली/पिसा सील बन्द पैकेट/आयोडीनयुक्त नमक)
(3) दाल का स्तर–
(4) सब्जी (ताजी/एक दिन पुरानी/अधिक पुरानी)
(5) मसाले (स्तरीय/साधारण/निम्न स्तर)
(6) दूध (ताजा खुला हुआ/पैकेट/पाउडर तथा प्रयोग हेतु उपयुक्त/अनुपयुक्त)
(7) चीनी (साफ मोटे दाने की/साफ बारीक/खण्डसारी)

5– ईंधन की व्यवस्था

(1) पारम्परिक चूल्हा
(2) गैस सिलेन्डर (सिंगल बर्नर/डबल बर्नर)
(3) कन्डा, कोयला अथव अन्य ईंधन
(4) उपलब्ध ईंधन की मात्रा–

(5) प्रतिदिन कितना ईधन प्रयुक्त होता है–

6– स्वच्छता से संबंधित बिन्दु

(1) भोजन पकाने के बर्तनों की सफाई की स्थिति –
(2) खाने के बर्तनों की सफाई की स्थिति
(3) बर्तन धोने हेतु क्या प्रयुक्त किया जाता है (राख/मिट्टी/डिटर्जेंट)
(4) जिस स्थान पर बर्तन धोए जा रहे हैं उस स्थान की सफाई की स्थिति –
(5) धोने हेतु पानी की उपलब्धता (नल/हैण्डपम्प/कुऑ/अन्य)
(6) क्या बच्चे खाना ग्रहण करने से पूर्व एवं खाना खाने के बाद हाथ मुॅह धोते हैं तथा कुल्ला करते हैं –
(7) क्या सफाई हेतु साबुन का प्रयोग किया जा रहा है –
(8) जिस स्थल पर हाथ धोए जाते हैं वहॉ पर सफाई की स्थिति–

7– सुरक्षा के उपाय

(1) विद्यालय में कभी किसी प्रकार की दुर्घटना तो नहीं हुयी यदि हॉ तो दुर्घटना किसी प्रकार की थी तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए एवं पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए। इस संबंध में किन–किन अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का दौरा किया गया तथा उनके द्वारा क्या निर्देश दिए गए –
(2) क्या बच्चों को भोजन दिए जाने से पूर्व उसे किसी व्यक्ति द्वारा चखा जाता है
(3) भोजन कौन चखता है (अध्यापक/अभिभावक/रसोईया या ग्राम प्रधान) –
(4) परोसते समय भोजन की स्थिति (गरम, कम गरम, ठण्डा)
(5) भोजन निर्माण स्थल पर कौन–कौन व्यक्ति जा सकते हैं (केवल रसोईया, ग्राम प्रधान, एवं अध्यापक/बच्चे/बाहरी व्यक्ति)
(6) बचे हुए भोजन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है (फेंका जाता है/बच्चों को घर ले जाने के लिए दिया जाता है/आंगनबाड़ी के बच्चों को दिया जाता है/अगले दिन प्रयोग होता है)
(7) खाना खाते वक्त भोजन स्थल के निकट कुत्ते, गाय, बैल, भैंस अथवा अन्य जानवर तो नहीं आते हैं –
(8) विद्यालय तथा उसके आस पास सफाई का स्तर कैसा है? (गंदगी है अथवा नहीं खुली नाली है अथवा नहीं, कोई गंदा पोखर, कुंआ आदि है अथवा नहीं।)
(9) विद्यालय के परिसर अथवा उसके आस पास गोबर–कंडे के ढेर हैं अथवा नहीं।
(10) आस–पास कोई मिल अथवा सड़क आदि से गंदा धुॅआ, धूल आदि विद्यालय परिसर में प्रवेश पा रहा है अथवा नहीं।

8– स्वयं सेवी संस्थाओं के संबंध में आख्या (जहां स्वयंसेवी संस्थायें कार्यरत है) –

(1) स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे भोजन किस प्रकार के बर्तनों में दिया जा रहा है (स्टील, एल्यूमिनियम भगौना/अन्य)
(2) भोजन पकाने एवं उसके ग्रहण करने के मध्य कितना समय लगता है –
(3) बच्चों को भोजन देने से पूर्व उसे चखा जाता है अथवा नहीं तथा उसे कौन चखता है।
(4) भोजन लाने वाले व्यक्ति को अध्यापक पहचानते हैं अथवा नहीं।
(5) प्राप्त भोजन की मात्रा (पर्याप्त अथवा कम)
(6) भोजन की गुणवत्ता की स्थिति
(7) भोजन मीनू के अनुसार दिया जा रहा है अथवा नहीं।

9– अन्य बिन्दु एवं सुझाव–

संख्या:2789 / 79–5–2007–346 / 2001 टी0सी0–11
अतिआवश्यक / समयबद्ध

प्रेषक,

मनोज कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश।

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–5 **लखनऊ, दिनांक 08 अगस्त, 2007**

विषयः परिषदीय विद्यालय भवनों की मरम्मत, रगाई–पुताई तथा भवनों के निर्माण हेतु शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा जनपद भ्रमण में निरीक्षण किए जाने हेतु अतिरिक्त बिन्दु।

महोदय / महोदया,

कृपया शासनादेश संख्याः 2008 / 79–5–2007 दिनांक 26 जून, 2007 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालय भवनों की मरम्मत, रगाई–पुताई एवं भवनों का नवनिर्माण गुणवत्तापूर्ण ढ़ंग से सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स के सदस्यों को जनपदों के भ्रमण हेतु विस्तृत निर्देश दिए गये हैं।

2. नीवन शैक्षिक सत्र जुलाई से प्रारम्भ हो गया है तथा विद्यालय में पठन–पाठन का कार्य चल रहा है। अतः विद्यालयों में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सृजित रने की आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यालय में मानक के अनुरूप अध्यापकों की तैनाती एवं नियमित उपस्थिति होनी चाहिए ताकि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले और बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त हो सके। माह जुलाई में स्कूल चलो अभियान समस्त जनपदों में संचालित किया गया है तथा बच्चों के नामांकन हेतु विशेष प्रयास किए गये है। स्कूल चलो अभियान के उपरान्त 01–14 अगस्त, 2007 की अवधि में परिवार सर्वेक्षण समस्त जनपदों में कराया जा रहा हैं ताकि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण कर उन्हें विद्यालयों में नामांकित कराया जा सके। इसके अतिरिक्त माह जुलाई, 2007 में कक्षा 1–8 में शिक्षा ग्रहण कर रहे समस्त छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया है।

3. अतः उक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा गठित टास्क फोर्स को पुनगर्ठित किया गया है। पुर्नगठित टास्कफोर्स के सदस्यों की सूची संलग्न है (संलग्नक–1)। टास्क फोर्स के सदस्य प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार, रविवार में आवंटित जनपदों का भ्रमण करेंगे तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर सघन स्थलीय निरीक्षण कर आख्या देंगेः–

1. विद्यालय स्तर पर उपलब्ध बाल गणना रजिस्टर / परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र में दर्शाये गये छात्र नामांकन के आंकड़ों का सत्यापन गाँव के कम से कम 03 घरों में जाकर करेंगे। टास्क फोर्स के सदस्य यह देखेंगे कि परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र में सभी परिवारों के 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों का विवरण अंकित है एवं उनमें कितने बच्चे वास्तविक रूप से विद्यालय में नामांकित हैं। यदि सूचनाएं सही नहीं पायी जायें तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।
2. विद्यालयों में कक्षा 1–8 तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र–छात्राओं को उनकी कक्षा हेतु निर्धारित समस्त पाठ्यपुस्तकें प्राप्त हो गयी हैं अथवा नहीं इसकी पृष्टि छात्रों से वार्ता कर एवं उनकी पुस्तकें देखकर की जाय।
3. वर्ष 2006–07 में स्वीकृत नवीन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण की स्थिति।

4. एन.पी.ई.जी.ई.एल. के अन्तर्गत स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण की स्थिति। निर्माण कार्य के निरीक्षण में मानकों के अनुरूप एवं गुणवत्तायुक्त कार्य है अथवा नहीं इस पर अवश्य मन्तव्य आख्या में अंकित किया जाय।
5. वर्ष 2006–07 में नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने हेतु हैण्डपम्प, शौचालय, अध्यापकों की तौनाती, छात्र छात्राओं के नामांकन की संख्या, सहायक शिक्षण सामग्री एवं पठन–पाठन आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6. परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत। कार्य के निरीक्षण के दौरान मरम्मत पर व्यय किए गये धन के सापेक्ष कराये गये कार्य की गुणवत्ता एवं उपयुक्तता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
7. विद्यालयों में रंगाई, पुताई।
8. अध्यापकों की उपस्थिति।
9. प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 2 शिक्षकों की व्यवस्था।
10. प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के सतत् निरीक्षण के सम्बन्ध मं निर्गत शासनादेश दिनांक 06.08.2007 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही।
11. शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र, आवासीय, ब्रिज कोर्स तथा गैर आवासीय ब्रिज कोर्स का संचालन।

4. टास्क फोर्स के सदस्य जनपद भ्रमण के पश्चात सभी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों/नगर बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक अवश्य करें ताकि प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उचित निर्देश/फीड बैक आप द्वारा उन्हें दिया जा सके।

5. उपर्युक्त पुनगर्ठित टास्क फोर्स के अधिकारीगण आवंटित जनपद में पहुंचकर प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे शनिवार को उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण करेंगें और अपनी निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप में (संलग्न प्रपत्र–1, 2 व 3) राजय परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण एवं शिक्षा निदेशक, बेसिक को जनपद भ्रमण के अगले दिन प्रस्तुत करेंगे।

6. कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

7. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 26.06.2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय
ह0
(मनोज कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्याः 2789(1)/79–5–2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
2. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, निशातगंज लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, पार्क रोड़, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक बेसिक, बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ।
6. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
9. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
10. टास्क फोर्स के सभी सदस्य।

आज्ञा से,
ह0
(ए0एच0अंसारी)
विशेष सचिव

टास्क फर्स के भ्रमण हेतु आवंटित जनपदों का अधिकारीवार विवरण

क्र. सं.	जनपद	अधिकारी का नाम व पदनाम
1	मैनपुरी	श्री डी0सी0कनौजिया, शिक्षा निदेशक, बेसिक
2	बागपत	श्री पवनेश कुमार, अपर परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान
3	बुलन्दशहर	डा0 सतबीर सिंह सिरोही वरिष्ठ विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान
4	आगरा	श्री भगवती सिंह, वरिष्ठ विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान
5	एटा	डा0 शशि किरण त्रिपाठी, उप शिक्षा निदेशक, प्राइमरी
6	मथुरा	श्री वी0के0पाण्डेय, वरिष्ठ विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान
7	फिरोजाबाद	श्री आर0पी0शर्मा, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), लखनऊ।
8	बरेली	श्री शरत् चन्द्र श्रीवास्तव, अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशालय
9	इलाहाबाद	श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, निदेशक, सीमेट इलाहाबाद
10	सोनभद्र	श्री अजय कुमार, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, इलाहाबाद
11	भदोही	श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी, उप निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना
12	लखनऊ	डा0 डी0एस0पुरी, निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा
13	बस्ती	श्री विवेक नौटियाल, वरिष्ठ विशेषज्ञ सर्व शिक्षा अभियान
14	झांसी	डा0 आभा मिश्रा, वरिष्ठ विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान
15	जालौन	सुश्री ममता अग्रवाल, वरिष्ठ विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान
16	ललितपुर	श्री आशुतोष दुबे मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, झांसी
17	हमीरपुर	डा0 सुत्ता सिंह, प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद
18	बांदा	डा0 आई0पी0 शर्मा, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद
19	चित्रकूट	श्री भगवान सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक, महिला
20	महोबा	श्रीमती कीर्ति गौतम, अपर निदेशक, सीमेट इलाहाबाद
21	गोण्डा	श्री डी0बी0शर्मा, अपर परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान
22	फैजाबाद	श्री अवध नरेश शर्मा, संयुक्त निदेशक, बेसिक
23	मुरादाबाद	डा0 मीना शर्मा, वरिष्ठ विशषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान
24	ज्योतिबा फूले नगर	डा0एस0पी0 त्यागी, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद
25	रामपुर	डा0 पवन सचान, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बरेली
26	बिजनौर	डा0 शोभा रानी शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान
27	आजमगढ़	श्री सतीश सिंह, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, वाराणसी
28	बलिया	श्री संजय उपाध्याय, पाठ्यपुस्तक अधिकारी
29	रायबरेली	श्री ओंकर शुक्ला, उप शिक्षा निदेशक (अर्थ)
30	गोरखपुर	सुश्री कमलेश प्रियदर्शी, उप शिक्षा निदेशक, वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय
31	बहराइच	श्री प्रवीण मणि त्रिपाठी, विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान
32	प्रतापगढ़	श्री वी0के0जौहरी, विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान
33	फर्रूखाबाद	श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), कानपुर
34	कन्नौज	श्री आर0के0सिंह, विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान
35	वाराणसी	श्री के0के0शुक्ल, विशेषज्ञ, सर्व शिक्षा अभियान

बेसिक शिक्षा निदेशालय से सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रगति

निरीक्षण का दिनांक .....

विद्यालय का नाम ..... विकास खण्ड का नाम ..... जनपद .....

विद्यालय भवन की मरम्मत				विद्यालय परिसर की स्वच्छता					
प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	कार्य पूर्ण है अथवा नहीं	मरम्मत कार्य की गुणवत्ता	शौचालय की स्थिति	हैण्डपम्प की स्थिति	प्रांगण की स्वच्छता	मुख्यद्वार से भवन तक रास्ते की स्थिति	श्यामपट्ट उपयुक्त है अथवा नहीं	भवन की रंगाई पुताई करायी गयी है अथवा नहीं

छात्र (कक्षावार) उपस्थिति		अध्यापक उपस्थिति		शिक्षा मित्र की उपस्थिति		छात्रों के लिए फर्नीचर की उपलब्धता		अध्यापको के लिए कुर्सी/मेज की उपलब्धता
पंजीकृत	निरीक्षण के दिन उपस्थिति	कार्यरत	उपस्थित	कार्यरत	उपस्थित	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धता	

पाठ्यपुस्तक वितरण	
कक्षावार छात्र छात्राओं की संख्या	छात्र छात्राओं की संख्या जिन्हें सभी पाठ्यपुस्तकें प्राप्त हुई

- विद्यालय की दीवारों पर महापुरूषों के सद्वाक्यों को लिखे गये हैं अथवा नहीं ?
- प्रवेश द्वारा के समीप कक्षावार पठन–पाठन किए जाने वाले विषयों का अंकन कराया गया है अथवा नहीं ?

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर

राज्य परियोजना कार्यालय से सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रगति

निरीक्षण का दिनांक .....
विद्यालय का नाम ..... विकास खण्ड का नाम ..... जनपद .....

नामांकन			2006–07 में स्वीकृत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय/अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण की स्थिति
ग्राम/मजरे में 6–14 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	सत्यापन की स्थिति	• पूर्ण अथवा निर्माणाधीन – यदि निर्माणाधीन है तो निर्माण कार्य का प्रतिशत • हैण्ड पम्प स्थापित किया गया है नहीं ? • शौचालय का निर्माण कराया गया कि नहीं ? • फर्श, दरवाजे/खिड़की, प्लास्टर, रंगाई पुताई का कार्य पूर्ण है कि नहीं ?

एन.पी.ई.जी.ई.एल. के कक्षों का निर्माण		2006–07 के नवनिर्मित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन में निम्नलिखित की उपलब्धता एवं सूचना			
लक्ष्य	पूर्ण	कार्यरत शिक्षकों की संख्या	कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या	छात्र नामांकन	सहायक शिक्षण सामग्री

विद्यालय में रंगाई–पुताई		शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र/ब्रिजकोर्स मजरे/बस्ती का नाम		
रंगाई–पुताई का कार्य कब पूर्ण हुआ	रंगाई–पुताई की गुणवत्ता की स्थिति	केन्द्र/ब्रिजकोर्स में नामांकन		केन्द्र/ब्रिजकोर्स में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता
		नामांकन	उपस्थिति	

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर

मध्यान्ह भोजन योजना के निरीक्षण से सम्बन्धित चेक बिन्दु

जनपदः— *विद्यालयः—*

1. खाद्यान्न की गुणवत्ता एफ.सी.आई. के नमूने से मिलान .....किया जा रहा है/नहीं किया जा रहा है
2. जनपद स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण..... किया जा रहा है/नहीं किया जा रहा है।
3. परिवर्तन लागत जनपद से ग्राम निधि—ट में..... स्थानान्तरित/स्थानान्तरित नहीं
4. किचेन शेड निर्माण की स्थिति लक्ष्य...../निर्माण.....
5. क्यू.पी.आर..... भेजी गई/नहीं भेजी गई
6. नवीन मेनू दीवार पर..... पेन्ट है/नहीं है
7. मेनू के आधार पर भोजन..... दिया जा रहा है/नहीं दिया जा रहा है
8. विद्यालय में बर्तन..... पर्याप्त है/नहीं है
9. बच्चों को निर्धारित मात्रा में भोजन..... दिया जा रहा है/नहीं दिया जा रहा है
10. भोजन बनाने का स्थान .....साफ सुथरा/गन्दा
11. भोजन .....गुणवत्तापूर्ण/स्तरहीन
12. नगर में योजना संचालन वाली संस्था/संस्थाओं का नाम
13. हैण्डपम्प .....लगा है/चालू/खराब

हस्ताक्षर
निरीक्षणकर्ता अधिकारी
नाम व पदनाम सहित

संख्या—2398/79—6—2007

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

शिक्षा—6 अनुभाग **लखनऊ** **दिनांकः 03 सितम्बर, 2007**

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत खाद्यान्न आवंटन हेतु छात्र संख्या निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अधिकांश जनपदों में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत

खाद्यान्न उठान हेतु उठान एजेन्सी द्वारा प्रतिमाह विद्यालयवार छात्र संख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है जिसके कारण खाद्यान्न को विद्यालय तक उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलम्ब होता है। जिसके फलस्वरूप मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शैक्षिक सत्र के 30 सितम्बर की विद्यालयवार छात्र संख्या जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अक्टूबर माह में खाद्यान्न वितरण हेतु उठान एजेन्सी को संसूचित कर दी जाय तथा इसी छात्र संख्या के आधार पर चालू वर्ष के नवम्बर माह से आगामी वर्ष के अक्टूबर माह तक के खाद्यान्न का उठान किया जाय यदि कहीं पर खाद्यान्न की बचत हो तो उसका वर्ष में दो बार क्रमशः सितम्बर एवं मार्च माह के अन्त में विद्यालयवार समायोजन कर लिया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

ह0

(रोहित नंदन)

प्रमुख सचिव

पृ0सं0: 2398(1)/79–6–07 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।
3. प्रबन्ध निदेशक, आवश्यक वस्तु निगम, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त उप क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, उ0प्र0।

ह0

(आर.सी.धिल्डियाल)

संयुक्त सचिव

प्रेषक,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः म0भो0प्रा0/ 8999–9155 /2007–08, दिनांकः 14 सितम्बर, 2007

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना हेतु नगरीय क्षेत्र में खाते के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कतिपय जनपदों द्वारा पृच्छा की गयी है कि ग्रामीण क्षेत्र में मध्यान्ह भोजन योजना की परिवर्तन लागत की धनराशि के रख–रखाव के लिए ग्राम निधि

खाता–ट का पृथक से गठन किया गया है, जिसका संचालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है, लेकिन नगर क्षेत्र में जहॉ मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन वार्ड सभासद द्वारा किया जा रहा है वहॉ परिवर्तन लागत की धनराशि के खाते का संचालन किसके द्वारा किया जायेगा।

इस संबंध में अवगत कराना है कि नगर क्षेत्र में इस खाते का संचालन वार्ड सभासद तथा अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

ह0

(संतोष कुमार यादव)

निदेशक,

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0सं0/म0भो0यो0/8999–9155/07–08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

ह0

(संतोष कुमार यादव)

निदेशक,

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

संख्याः 2585/79–6–/07

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–(6) लखनऊ दिनांकः 25 सितम्बर, 2007

विषयः प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में कक्षा–6 से 8 में अध्ययनरत छात्रों के लिये लागू की जाने वाली मध्यान्ह भोजन योजना के निमित्त पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में, जहॉ 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 46.13 से कम तथा साक्षरता जेण्डर गैप 21.59 प्रतिशत से ज्यादा है, कक्षा–6 से 8 में अध्ययनरत छात्रों के लिये शीघ्र ही भारत सरकार के सहयोग से मध्यान्ह भोजन योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित होने वाले शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों की जनपदवार सूची सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस योजना को सफलतापूर्वक प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक है कि योजना लागू करने के पूर्व इस संदर्भ में सुव्यवस्थित ढंग से पूर्व तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। योजना की पूर्व तैयारी के परिप्रेक्ष्य में आप सभी से निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित हैः–

1. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में ऐसे परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित कर लिया जाए जो कि प्राथमिक विद्यालयों के कैम्पस में नहीं हैं। क्योंकि ऐसे विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना प्रारम्भ करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पृथक से सुनिश्चित करनी होंगी।
2. प्राथमिक विद्यालयों के कैम्पस से पृथक स्थित ऐसे परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एस0जी0आर0वाई0 एवं ग्राम्य विकास विभाग की इस तरह की अन्य योजना से डबटेलिंग के माध्यम से किचन शेड के निर्माण की संभावनाओं को चिन्हित कर लिया जाए तथा इस संबंध में इस आशय की एक रिपोर्ट मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को आगामी 15 दिवस में उपलब्ध करा दी जाए कि डबटेलिंग के माध्यम से ऐसे कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जनपद स्तर से किचेन शेड निर्माण की व्यवस्था हो सकती है।
3. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में स्थित राजकीय/सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे राजकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों तथा मदरसों की सूची तैयार करा ली जाए जहॉ कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार सूची तैयार करते समय समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त विद्यालयों की भी पृथक से सूची तैयार करा ली जाएं
4. राजकीय/परिषदीय/सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ऐसे राजकीय हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों तथा मदरसों (जहॉ कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है) की सूची तैयार करते समय विद्यालयवार/ब्लाकवार छात्र संख्या का विवरण भी सकलित

करा लिया जाए ताकि योजना लागू करते समय कन्वर्जन कास्ट की धनराशि भेजने की कार्यवाही में जनपद स्तर पर अनावश्यक विलम्ब न हो। इस प्रकार विद्यालयवार/ब्लाकवार छात्र संख्या के विवरण संबंधी सूची तैयार करते समय समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त विद्यालयों की छात्र संख्या भी सम्मिलित की जाएं

5. जिन जनपदों के वन क्षेत्रों में उपरोक्त मानक के अनुसार शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े गॉव स्थित हैं वहॉ पर भी यह योजना प्रारम्भिक चरण में लागू किया जाना प्रस्तावित है। अतएव ऐसे गॉवों में भी इस योजना को लागू किए जाने के परिप्रेक्ष्य में पूर्व तैयारी किया जाना अपेक्षित है।
6. इस योजना से आच्छादित होने वाले विद्यालयों में खाना पकाने हेतु रसोइये की व्यवस्था हेतु चिन्हांकन की कार्यवाही प्राथमिक विद्यालयों की भॉति सुनिश्चित करा ली जाए। इसके साथ ही इन विद्यालयों में भोजन पकाने हेतु बर्तन तथा गैस चूल्हा एवं सिलेण्डर/धूम्र रहित चूल्हा की आवश्यकता का विद्यालयवार आंकलन करा लिया जाए तथा योजना प्रारम्भ करते समय इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की भॉति पूर्व तैयारी करा ली जाए।
7. इस योजना से आच्छादित होने वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से यदि कोई विद्यालय ऐसी ग्राम पंचायत में स्थित है, जहॉ पूर्व से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो ऐसे ग्राम पंचायत से संबंधित ग्राम प्रधान को मध्यान्ह भोजन योजना संचालित करने के संबंध में अपेक्षित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी जाए।
8. इस योजना के अन्तर्गत कन्वर्जन कास्ट की धनराशि ग्राम निधि–ट में भेजी जानी होगी। इसलिए आपके जनपद में यदि किन्ही ग्राम पंचायतों में अभी ग्राम निधि–ट के खाते खुलना शेष रह गये हों तो इन्हें तत्काल खुलवा लिया जाए।

मेरे द्वारा इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को भी पत्र भेजकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में अपने मण्डल के जिलाधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने स्तर से दिशा–निर्देश प्रदान करने तथा इस कार्यक्रम को लागू करने के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा की जा रही पूर्व तैयारी की मासिक बैठक में समीक्षा करने की कृपा करें, ताकि इस योजना को प्रारम्भ से ही सुव्यवस्थित ढंग से लागू किया जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
ह0
(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक वही।

प्रतिलिपि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव

संख्याः 2586/79–6–07

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–(6) लखनऊ दिनांकः 25 सितम्बर, 2007

विषयः सभी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन पकाये जाने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जिस ग्राम पंचायत में एक से अधिक विद्यालय हैं, वहॉ भोजन प्रत्येक विद्यालय में अलग–अलग न पकाकर ग्राम पंचायत के किसी एक विद्यालय में पकाकर अन्य विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है। यह व्यवस्था उचित नहीं है। इसमें न केवल भोजन की गुणवत्ता प्रभावित हेाती है वहीं व्यवस्था के अनुश्रवण में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि ऐसी ग्राम पंचायतों के सभी विद्यालयों में पृथक–पृथक भोजन पकाये जाने की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए। उक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि विद्यालयों में भोजन में सोयाबीन का प्रयोग न किए जाने एवं खराब गुणवत्ता की सोयाबीन का प्रयोग किए जाने की शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। अतः सभी विद्यालयों में सोयाबीन का प्रयोग अनिवार्य करते हुए, गुणवत्तायुक्त सोयाबीन ही इस्तेमाल किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि एफ.सी.आई. से निर्गत उसी गुणवत्ता का खाद्यान्न जिसका सैम्पल लिया गया है, प्रधान/विद्यालय स्तर पर प्राप्त हो रहा है।

उपरोक्त के साथ ही मध्यान्ह भोजन योजना के निरीक्षण एवं अनुश्रवण में निम्न समस्यायें भी प्रकार में आई हैं, जिनका निराकरण किया जाना योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अत्यन्त आवश्यक है –

1. भोजन नियमित रूप से न मिलना।
2. खाद्यान्न की उपलब्धता एवं गुणवत्ता।
3. परिवर्तन लागन का समय से ग्राम निधि में स्थानान्तरण न होना।
4. भोजन पर्याप्त मात्र में न दिया जाना।
5. भोजन मध्यान्ह अवकाश के समय उपलब्ध न होना।
6. भोजन पकाने वाले बर्तनों की कमी।
7. रसोईया/सहायक की नियमित व्यवस्था न होना।
8. भोजन बनाने के स्थान पर सुरक्षा के मानकों का पालन न करना।
9. बच्चों को भोजन परोसने से पहले भोजन चखकर परीक्षण न किया जाना।

उक्त के अतिरिक्त इस बात पर विशेष जोर दिया जाए कि मध्यान्ह भोजन वितरण के पश्चात बर्तनों को धुलकर ही रखा जए एवं भोजन बनाने तथा वितरण किए जाने वाले स्थान

की ठीक ढंग से साफ–सफाई की जाए ताकि विद्यालयों में स्वच्छतापूर्ण व स्वास्थ्यप्रद वातावरण का निर्माण किया जाना संभव हो सके।

भवदीय,

ह0

(रोहित नन्दन)

प्रमुख सचिव

प्रेषक,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।

पत्रांकः म0भो0प्रा0/ 9797 /2007–08, दिनांकः 03.10.07

विषयः भारत सरकार द्वारा संचालित मध्यान्ह भोजन पोषाहार योजनान्तर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय अभिदान से बर्तन क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्याः एफ1(1)/2007/डेस्क(एम.डी.एम.) दिनांकः 27.09.2007 के अनुक्रम में प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना का विस्तार करते हुए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में कक्षा–06 से 08 (उच्च प्राथमिक स्तर) अध्ययनरत बच्चों को इस योजनान्तर्गत भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में सूच्य है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस योजनान्तर्गत बच्चों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने के लिए जनपदों के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में तात्कालिक दृष्टि से बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि भारत सरकार द्वारा अभी बर्तन की व्यवस्था करने हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः इस योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किए जाने हेतु पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत बर्तनों की व्यवस्था किए जाने हेतु आप द्वारा पत्रांक शि0नि0(बे0)/22663–752/2004–05 दिनांकः 31.01.2005 जारी निर्देशों की भॉति विद्यालय विकास अभिदान से बर्तनों की व्यवस्था किए जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भोजन पकाने हेतु निम्नलिखित बर्तनों की प्रारम्भिक रूप से आवश्यकता होगीः–

1. दो बड़े भगोने
2. दो परात
3. दो करछुल
4. एक कड़ाही
5. दो चिमटे
6. एक बड़ा तवा
7. दो चकला बेलन

भवदीय,
ह0
(संतोष कुमार यादव)
निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–2657/79–6–/07

प्रेषक,

प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–(6) **लखनऊ** **दिनांकः 04 अक्टूबर, 2007**

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में शुद्धता एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक के संबंध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाला खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की सफाई, गणुवत्ता एवं स्वच्छता में शिथिलता बरती जा रही है जिसके कारण कतिपय जनपदों में बच्चों के बीमार होने की सूचनायें प्राप्त हो रही हैं। आपसे अपेक्षा है कि निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएः

1. भोजन में आयोडाइज्ड नमक का ही प्रयोग किया जाए तथा नमक को एयरटाइट बर्तनों में रखा जाये, जिससे कि उसमें सीलन न आए।
2. खुले बिक्री किये जाने वाले मसाले का प्रयोग न किया जाए। एगमार्क मसालों का ही प्रयोग किया जाए। मसालों को भी एयरटाइट बर्तनों में रखा जाए।
3. अच्छी ब्राण्ड का तेल/घी प्रयोग में लाया जाए तथ खुले तेल/घी का प्रयोग न किया जाए।
4. अच्छी श्रेणी का सोयाबीन प्रयोग किया जाए। सोयाबीन की बड़ी पुरानी एवं अधिक दिनों की न हो क्योंकि इसमें कीड़े पड़ने की सम्भावना अधिक रहती है।
5. इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प के जल का प्रयोग भोजन पकाने एवं पीने हेतु किया जाए। हैण्डपम्प के आस–पास जलभराव एवं गन्दगी न हो।
6. भोजन बनाने के पूर्व एवं वितरण के उपरान्त अच्छी प्रकार से बर्तनों की सफाई करायी जाए तथा भोजन पकाते समय व पकाने के बाद बर्तनों पर ढक्कन लगाकर रखा जाए।
7. खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की सफाई कराकर ही भोजन बनाने में प्रयोग किया जाए। चावल पकाने से पूर्व उसे साफ पानी से अवश्य धोया जाए।
8. ताजी मौसमी सब्जियों का ही प्रयोग किया जाए। हरी सब्जियों के प्रयोग के पूर्व उसे कम से कम दो–तीन बार साफ पानी से धोया जाए।
9. भोजन पकाने हेतु पारम्परिक ईंधन के स्थान पर पर्यावरण की दृष्टि से एल0पी0जी0 का प्रयोग किया जाए।
10. भोजन पकाने का स्थान सुरक्षित हो तथा भोजन पकाने के समय एवं उसके वितरित हो जाने तक रसोईघर में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करे तथा भोजन पकाते समय रसोईघर के आस–पास बच्चे न जायें।

11. ग्राम प्रधान/प्रधानाध्यापक/मदर समूह द्वारा पके–पकाये भोजन को बच्चों में वितरण से पूर्व नियमित रूप से चखा जाए।
12. भोजन अनिवार्यतः विद्यालय परिसर में निर्मित रसोईघर में ही बनाया जाये तथा रसोईघर साफ एवं स्वच्छ रहे। निर्मित रसोईघर में दरवाजे एवं खिड़कियों में पल्ले लगे हों।
13. रसोइयों की साफ–सफाई पर भी ध्यान रखा जाये। नवीन रसोइयों के चयन से पूर्व उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये तथा पूर्व में कार्यरत रसोइयों का भी स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर करवा लिया जाये। रसोइयों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक छमाही कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रसोइयों का स्वच्छता सम्बन्धित एक दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर करा दिया जाए।
14. भारतीय खाद्य निगम द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न (गेहूँ/चाल) के नमूने उठान के पूर्व सील कवर में उपलब्ध कराये जाएं। एफ0सी0आई0 गोदाम से खाद्यान्न उठान के समय जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अवश्य उपस्थित रहे। खाद्यान्न का नमूने अनुसार सही मात्रा में विद्यालय तक पहुँचना तथा भोजन बनाने हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। खाद्यान्न नमूनों का प्रदर्शन तहसील दिवसों में कराया जाए।

मध्यान्ह भोजन योजना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकृति की योजना है। अतः वरीयता प्रदान करते हुये निर्देशित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
ह0
(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(आर0सी0 घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव

संख्याः 2691/79–6–2007–1(6) 2000 टीसी

प्रेषक,

रमेश चन्द्र घिल्डियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांकः 09 अक्टूबर, 2007

विषयः प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में परिषदीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में परिषदीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा–6 से 8) में भारत सरकार के संलग्न पत्र दिनांकः 27–9–2007 की शर्तो एवं प्राविधानों के अनुसार मध्यान्ह भोजन योजना का विस्तारीकरण किए जाने का निर्णय लिया गया है (संलग्नक–1)।

2– भारत सरकार के उक्त निर्णय के क्रम में प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में परिषदीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने हेतु योजनान्तर्गत खाना पकाने की सामग्री/मजदूरी की व्यवस्था (कन्वर्जन कास्ट) हेतु व्यय करने के लिए प्रथम किस्त के रूप में संलग्न विवरणानुसार (संलग्नक–2) रूपये 66,00,00,000/– (रूपये छियासठ करोड़ मात्र) एवं सम्बन्धित विद्यालयों में बर्तनों आदि की व्यवस्था हेतु संलग्न विवरणानुसार (संलग्नक–3) रू0 10,00,00,000/– (रूपये दस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उपर्युक्त वर्णित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में योजना संचालन हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार खाद्यान्न 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार पके–पकाये भोजन में 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पके–पकाये भोजन के लिए परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) की दर रू0 2.50 प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस होगी।

4– स्वीकृत धनराशि को जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार आहरित कर निर्धारित कार्य पर व्यय करने हेतु शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में स्थित नगर पंचायतों/टाउन एरिया/ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके द्वारा उनकी क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत आने वाले उक्त विद्यालयों/केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) उपलब्ध कराया जायेगा।

5– प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में स्थित परिषदीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने हेतु उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का लेखा–जोखा प्राथमिक विद्यालयों हेतु मिड–डे–मील योजना संचालन से पृथक एक अतिरिक्त लेजर बनाते हुए रखा जायेगा। इस प्रकार

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड–डे–मील योजना क्रियान्वयन का लेखा–जोखा रखा जाना अनिवार्य होगा एवं उनके व्यय की सूचना थी पृथक–पृथक भेजी जायेगी।

6– उपरोक्तानुसार धनराशि के लेखों के रख–रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन–तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाएंगे।

7– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71के अधीन लेखा शीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा आयोजनागत–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–08–मिड–डे–मील योजना–20–सहायक अनुदान अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जाएगा।

8– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–11 की अशासकीय संख्या–1866/दस–2007 दिनांकः 05–10–2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक**–यथोक्त।**

भवदीय,
ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग।
5– नियोजन विभाग अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।
6– वित्त ई–11 अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7– बजट अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
8– वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक–2

Mid-Day Meal Scheme

Fund Allocation for Cooking Cost For lmmlementing the Scheme in Upper Primary Schools

(Class VI-VIII)

in Educationally Backward Blocks (EBBs) of the State

S.No.	Name of Districts	Total No. of Blocks	No. of EBBs	Anticipated Enrolment/Anticipated No. of children likely to avail MDM in Upper Primary in EBBs in 2007-08				Conversion Cost @2.50/ student (Ratio Rs. 2.00 : 0.50) (In Rs.)
				Classes VI-VIII (Govt. + LB + GA)	EGS Centres (Upp.Pry.)	AIE Centres (Upp.Pry.)	Total (Col. 5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Allahabad	20	20	143813	0	0	143813	23963774
2.	Kaushambi	8	8	49929	0	0	49929	8319744
3.	Fatehpur	13	10	50703	0	0	50703	8448776
4.	Pratapgarh	17	15	129257	0	0	129257	21538278
5.	Ghaziabad	8	3	13820	0	0	13820	2302889
6.	Gautambudh nagar	4	2	5541	0	0	5541	923222
7.	Bulandshahar	16	14	92900	0	0	92900	15480065
8.	Meerut	12	3	10177	0	0	10177	1695809
9.	Baghpat	6	1	2082	0	0	2082	346899
10.	Muzaffar Nagar	14	10	29546	0	0	29546	4923370
11.	Saharanpur	11	6	19414	0	0	19414	3234993
12.	Aligarh	12	12	83987	0	0	83987	13994879
13.	Agra	15	13	121872	0	0	121872	20307661
14.	Eta	15	15	73969	0	0	73969	12325565
15.	Firozabad	9	1	7216	0	0	7216	1202367
16.	Mathura	10	10	49026	0	0	49026	8169275
17.	Hathras	7	5	21592	0	0	21592	3597886
18.	Mainpuri	9	2	10485	0	0	10485	1747197
19.	Jhansi	8	9	65832	0	0	65832	10969684
20.	Jalaun	9	5	32081	0	0	32081	5345652
21.	Lalitpur	6	6	57504	0	0	57504	9581977
22.	Azamgarh	22	21	94409	0	0	94409	15731452
23.	Ballia	17	17	164336	0	0	164336	27383552
24.	Mau	9	5	26372	0	0	26372	4394424
25.	Bareilly	15	15	79890	0	0	79890	13312190
26.	Badaun	18	18	83623	0	0	83623	13934225
27.	Pilibhit	7	7	60371	0	0	60371	10059710
28.	Shahjahan pur	15	14	72039	0	0	72039	12003904
29.	Basti	14	13	44590	0	0	44590	7430098
30.	Santkabirnagar	9	9	62674	0	0	62674	10443462
31.	Siddharth nagar	14	13	46175	0	0	46175	7694209
32.	Banda	8	8	53052	0	0	53052	8840134
33.	Chitrakoot	5	3	21409	0	0	21409	3567447
34.	Hamirpur	7	7	35385	0	0	35385	5896255
35.	Mahoba	4	4	36935	0	0	36935	6154534
36.	Gonda	16	17	123618	0	0	123618	20598651

37.	BAlrampur	9	10	33235	0	0	33235	5537998
38.	Bahraich	14	15	47105	0	0	47105	7849176
39.	Shravasti	5	5	16012	0	0	16012	2668103
40.	Ambedkar Nagar	9	8	72893	0	0	72893	12146269
41.	Faizabad	9	9	58710	0	0	58710	9782935
42.	Barabanki	17	17	90319	0	0	90319	15049989
43.	Sultanpur	23	23	107810	0	0	107810	17964541
44.	Gorakhpur	19	20	96200	0	0	96200	16029949
45.	Mahrajganj	12	13	37381	0	0	37381	6228852
46.	Deoria	16	13	60863	0	0	60863	10141651
47.	Kushi Nagar	14	14	55445	0	0	55445	9238883
48.	Kanpur Nagar	10	0	0	0	0	0	0
49.	Kanpur Dehat	10	0	0	0	0	0	0
50.	Farrukhabad	7	5	18564	0	0	18564	3093337
51.	Kannauj	8	3	11087	0	0	11087	1847376
52.	Etawa	8	0	0	0	0	0	0
53.	Auria	7	0	0	0	0	0	0
54.	Lucknow	8	8	77226	0	0	77226	12868283
55.	Sitapur	19	19	106778	0	0	106778	17792577
56.	Kheri	15	15	128507	0	0	128507	21413313
57.	Hardoi	19	19	107738	0	0	107738	17952543
58.	Raibareli	21	19	82244	0	0	82244	13704440
59.	Unnao	16	13	57624	0	0	57624	9601994
60.	Muradabad	13	13	55945	0	0	55945	9322199
61.	J.P. Nagar	6	6	49528	0	0	49528	8252924
62.	Bijnor	11	9	44010	0	0	44010	7333452
63.	Rampur	6	6	21306	0	0	21306	3550251
64.	Varanasi	8	6	53463	0	0	53463	8908619
65.	Chandauli	9	9	53152	0	0	53152	8856759
66.	Ghazipur	16	14	64387	0	0	64387	10728895
67.	Jaunpur	21	19	104129	0	0	104129	17351155
68.	Mirzapur	12	10	60113	0	0	60113	10016651
69.	Sonbhadra	8	9	46974	0	0	46974	7827348
70.	Bhadohi (Sant Ravidas Ngr.)	6	5	66466	0	0	66466	11075329
	Total	**820**	**695**	**3960836**	**0**	**0**	**3960836**	**660000000**

Note: 05 Blocks are found comman with 02 districts (Asmauli - 47 with J.P. Nagar & Mauradabad, Kaurihar - 469 with Kaushambi & Allahabad, Campierganj - 631 with Maharajganj & Gorakhpur, Pathardeva - 663 & Desaideo - 664 with Kushinagar & Deoria) whereas 02 blocks are found comman with list of 690 EBBs and list of 12 additional blocks which is a part of the list of 702 EBBs blocks (Puredalai -499 & Dariyabad - 498 with Barabanki & Faizabad)
Therefore out to 820 blocks only 695 are EBBs.

संलग्नक–3

Mid-Day Meal Scheme

Fund Allocation for Kitchen Device For lmmlementing the Scheme in Upper Primary Schools

(Class VI-VIII)

in Educationally Backward Blocks (EBBs) of the State

S.No.	Name of Districts	Total No. of Blocks	No. of EBBs	Anticipated Enrolment/Anticipated No. of children likely to avail MDM in Upper Primary in EBBs in 2007-08				Fund allocation for Kitchen Devices in Schools for Cooking Mid Day Meal (in Rs.)
				Classes VI-VIII (Govt. + LB + GA)	EGS Centres (Upp. Pry.)	AIE Centres (Upp. Pry.)	Total (Col. 5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Allahabad	20	20	143813	0	0	143813	3630875
2.	Kaushambi	8	8	49929	0	0	49929	1260567
3.	Fatehpur	13	10	50703	0	0	50703	1280118
4.	Pratapgarh	17	15	129257	0	0	129257	3263375
5.	Ghaziabad	8	3	13820	0	0	13820	348923
6.	Gautambudh nagar	4	2	5541	0	0	5541	139882
7.	Bulandshahar	16	14	92900	0	0	92900	2345464
8.	Meerut	12	3	10177	0	0	10177	256941
9.	Baghpat	6	1	2082	0	0	2082	52560
10.	Muzaffar Nagar	14	10	29546	0	0	29546	745965
11.	Saharanpur	11	6	19414	0	0	19414	490151
12.	Aligarh	12	12	83987	0	0	83987	2120436
13.	Agra	15	13	121872	0	0	121872	3076918
14.	Eta	15	15	73969	0	0	73969	1867510
15.	Firozabad	9	1	7216	0	0	7216	182177
16.	Mathura	10	10	49026	0	0	49026	1237769
17.	Hathras	7	5	21592	0	0	21592	545134
18.	Mainpuri	9	2	10485	0	0	10485	264727
19.	Jhansi	8	9	65832	0	0	65832	1662073
20.	Jalaun	9	5	32081	0	0	32081	809947
21.	Lalitpur	6	6	57504	0	0	57504	1451815
22.	Azamgarh	22	21	94409	0	0	94409	2383553
23.	Ballia	17	17	164336	0	0	164336	4149023
24.	Mau	9	5	26372	0	0	26372	665822
25.	Bareilly	15	15	79890	0	0	79890	2016998
26.	Badaun	18	18	83623	0	0	83623	2111246
27.	Pilibhit	7	7	60371	0	0	60371	1524198
28.	Shahjahan pur	15	14	72039	0	0	72039	1818773
29.	Basti	14	13	44590	0	0	44590	1125772
30.	Santkabirnagar	9	9	62674	0	0	62674	1582343
31.	Siddharth nagar	14	13	46175	0	0	46175	1165789
32.	Banda	8	8	53052	0	0	53052	1339414
33.	Chitrakoot	5	3	21409	0	0	21409	540522
34.	Hamirpur	7	7	35385	0	0	35385	893372
35.	Mahoba	4	4	36935	0	0	36935	932505
36.	Gonda	16	17	123618	0	0	123618	3121008
37.	BAlrampur	9	10	33235	0	0	33235	839091

38.	Bahraich	14	15	47105	0	0	47105	1189269
39.	Shravasti	5	5	16012	0	0	16012	404258
40.	Ambedkar Nagar	9	8	72893	0	0	72893	1840344
41.	Faizabad	9	9	58710	0	0	58710	1482263
42.	Barabanki	17	17	90319	0	0	90319	2280301
43.	Sultanpur	23	23	107810	0	0	107810	2721900
44.	Gorakhpur	19	20	96200	0	0	96200	2428780
45.	Mahrajganj	12	13	37381	0	0	37381	943765
46.	Deoria	16	13	60863	0	0	60863	1536614
47.	Kushi Nagar	14	14	55445	0	0	55445	1399831
48.	Kanpur Nagar	10	0	0	0	0	0	0
49.	Kanpur Dehat	10	0	0	0	0	0	0
50.	Farrukhabad	7	5	18564	0	0	18564	468687
51.	Kannauj	8	3	11087	0	0	11087	279905
52.	Etawa	8	0	0	0	0	0	0
53.	Auria	7	0	0	0	0	0	0
54.	Lucknow	8	8	77226	0	0	77226	1949740
55.	Sitapur	19	19	106778	0	0	106778	2695845
56.	Kheri	15	15	128507	0	0	128507	3244441
57.	Hardoi	19	19	107738	0	0	107738	2720082
58.	Raibareli	21	19	82244	0	0	82244	2076430
59.	Unnao	16	13	57624	0	0	57624	1454848
60.	Muradabad	13	13	55945	0	0	55945	1412454
61.	J.P. Nagar	6	6	49528	0	0	49528	1250443
62.	Bijnor	11	9	44010	0	0	44010	1111129
63.	Rampur	6	6	21306	0	0	21306	537917
64.	Varanasi	8	6	53463	0	0	53463	1349791
65.	Chandauli	9	9	53152	0	0	53152	1341933
66.	Ghazipur	16	14	64387	0	0	64387	1625588
67.	Jaunpur	21	19	104129	0	0	104129	2628965
68.	Mirzapur	12	10	60113	0	0	60113	1517674
69.	Sonbhadra	8	9	46974	0	0	46974	1185962
70.	Bhadohi (Sant Ravidas Ngr.)	6	6	66466	0	0	66466	1678080
	Total	**820**	**695**	**3960836**	**0**	**0**	**3960836**	**100000000**

Note: 05 Blocks are found comman with 02 districts (Asmauli - 47 with J.P. Nagar & Mauradabad, Kaurihar - 469 with Kaushambi & Allahabad, Campierganj - 631 with Maharajganj & Gorakhpur, Pathardeva - 663 & Desaideo - 664 with Kushinagar & Deoria) whereas 02 blocks are found comman with list of 690 EBBs and list of 12 additional blocks which is a part of the list of 702 EBBs blocks (Puredalai -499 & Dariyabad - 498 with Barabanki & Faizabad)
Therefore out to 820 blocks only 695 are EBBs.

संख्याः 2693/79–6–2007

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 09.10.2007

विषयः मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अनुरोध है कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के राजकीय/परिषदीय/सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना को लागू किया जाना है। इस सम्बन्ध में उपरोक्त विद्यालयों में इस योजना को लागू किए जाने हेतु एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य बिन्दुओं पर संलग्न एजेण्डा के अनुसार जनपद स्तर की गयी कार्यवाही की समीक्षा किए जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ दिनांक 11.10.2007 को सायं 06.30 से 07.30 के मध्य वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की जानी है।

अतः अनुरोध है कि आप अपने जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ वीडियो कान्फ्रेन्सिंग हेतु निर्धारित समय से जनपद मुख्यालय पर स्थित एन.आई.सी. में उपस्थित रहने का कष्ट करें।

संलग्नकः एजेण्डा

भवदीय
ह0
(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकनः2693(1)/79–6–2007 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त वीडियो कान्फ्रेन्सिंग हेतु मण्डल मुख्यालय के एन.आई.सी. में उपस्थित रहने का कष्ट करें।

आज्ञा से
ह0
(आर.सी.घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव

दिनांकः 11.10.2007 को जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग हेतु एजेण्डा बिन्दु

प्रदेश के 695 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन लागू किए जाने हेतु तैयारी के बिन्दु

1. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना को लागू किए जाने हेतु कार्ययोजना।
2. उपलबध कराये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना।
3. मातृ समूहों एवं ग्राम स्तरीय एम0डी0एम0 समिति को सक्रिय करना।
4. टास्क फोर्स द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण।
5. शासन/प्राधिकरण द्वारा अब तक भेजी गयी परिवर्तन लागत, किचेन शेड एवं बर्तनों हेतु धनराशि के उपभोग की स्थिति।
6. वर्ष 2007–08 के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण।
7. चालू शैक्षिक सत्र में बच्चों का नामांकन एवं वनज वि बीववस बच्चों का वैकल्पिक शिक्षा में आच्छादन।
8. बालिकाओं को निशुल्क पोशाक वितरण।
9. कस्तूरबा गॉधी आवासीय विद्यालयों का संचालन।
10. विद्यालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई।

अध्यापकों की उपस्थिति का सत्यापन करने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रति सप्ताह 50 विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण। निरीक्षण में शिक्षा के स्तर/गुणवत्ता का भी आंकलन किया जाय।

संख्याः 2716/79–6–2007

प्रेषक,

प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
   उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, (कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया एवं इटावा को छोड़कर),
   उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 10 अक्टूबर, 2007

विषयः प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों के राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–06 से 08) में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड़ मील) दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ 1(1)/2007/डेक्स (एम.डी.एम.) दिनांकः 27.09.2007 के अनुक्रम में श्री राज्यपाल महोदय शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों (जनपदवार सूची संलग्न) में स्थित राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–06 से 08) में अध्ययनरत बच्चों को वर्ष 2007–08 में गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड़ मील) दिये जाने की योजना लागू करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

प्रदेश के राजकीय/परिषदीय/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों/ए0आई0 केन्द्रों में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–06 से 08) में अध्ययनरत बच्चों को विद्यालय दिवस में गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में 700 कैलोरी ऊर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन होना अनिवार्य है। भोजन पकाने हेतु 150 ग्राम खाद्यान्न प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस तथा रू0 2.50 परिवर्तन लागत प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।

2. उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न से ग्राम पंचायत उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उपरोक्त प्रकार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध करायेगी। इस योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में लागू मीनू के अनुसार ही चार दिन चावल आधारित तथा दो दिन गेंहूँ आधारित भोजन तैयार कर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन की गुणवत्ता यथावत रखी जायेगी।

3. भोजन पकाने के कार्य में अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता नहीं ली जाएगी।

4. खाना पकाने के लिए सहायक सामग्री/रसोइये के मानदेय/ईधन पर आने वाले व्यय कन्वर्जन कास्ट से वहन किया जाएगा।

5. योजना के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के आय व्ययक से करायी जाएगी लेकिन स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर पर (कक्षा–06 से 08) विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व यथावत पंचायती राज विभाग का होगा।

6. ग्राम प्रधान द्वारा बच्चों की सत्यापित संख्या के आधार पर प्रतिमाह कन्वर्जन कास्ट की धनराशि अग्रिम के रूप में प्राप्त की जा सकेगी तथा उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अगले माह का खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट प्राप्त की जा सकेगी।

7. जनवद स्तर से कन्वर्जन कास्ट की धनराशि ग्राम निधि–ट में स्थानान्तरित की जाएगी। उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–06 से 08) हेतु प्राप्त परिवर्तन लागत की धनराशि का लेखा–जोखा प्राथमिक विद्यालयों के लिए मिड–डे–मील योजना संचालन हेतु प्राप्त परिवर्तन लागत के लेखे–जोखे से पृथक एक अतिरिक्त लेजर में रखा जाएगा।

8. योजना के संचालन एवं अनुश्रवण के लिए प्राथमिक विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में ग्राम स्तर एवं जनपद स्तर पर गठित समिति, जनपद एवं ब्लाक स्तर के नोडल अधिकारी तथा जनपद एवं ब्लाक स्तर पर गठित टास्क फोर्स की व्यवस्था, खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के प्रवाह तथा रसोइयों को रखे जाने की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं यथावत रूप में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–06 से 08) पर लागू इस योजना के लिए भी प्रभावी होगी।

9. प्रदेश स्तर पर इस योजना के प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना संचालन के अनुरूप ही मध्यान्ह प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

10. इस योजना पर आने वाले व्ययभार के निमित वित्तीय स्वीकृति के आदेश पृथक से जारी किए जा रहे हैं।

11. उपरोक्त येाजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अतः उपरोक्त दिए गये निर्देशों का क्रियान्वयन तत्परता से किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
ह0
(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा।

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
7. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।
8. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
11. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, उ0प्र0।
12. प्रबंध निदेशक, खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, उ0प्र0।
13. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
14. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
15. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।
16. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
17. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
18. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।
20. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
21. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
22. गार्ड फाइल/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,
ह0
(आर0सी0 घिल्डियाल),
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांकः म0भो0प्रा0/9950–10249/2007–08, दिनांकः 10.10.2007

विषयः प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में परिषदीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयो में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 2691/79–6–2007–1(6)2000 टी0सी0 दिनांकः 09.10.2007 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में परिषदीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने हेतु परिवर्तन लागत रू0 66,00,00,000.00 एवं विद्यालय में बर्तनों आदि की व्यवस्था हेतु रू0 1,00,00,000.00 धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में है।

इस सम्बन्ध में सूच्य है कि उपर्युक्त शासनादेश आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न शासनादेश के प्रस्तर–5 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में योजना के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय का लेखा–जोखा प्राथमिक विद्यालयों के लेजर से पृथक एक अन्य लेजर बनाते हुए रखा जाना अनिवार्य होगा साथ ही शासनादेश के प्रस्तर–6 के प्राविधानानुसार योजना क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक तीन माह पर उपलब्ध कराया जाना होगा।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय

ह0

(सुधांशु त्रिपाठी)
मुख्य वित्त अधिकारी,
कृते निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ

पृ0सं0: म0भो0प्रा0/9950–10249/2007–08 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

ह0

(सुधांशु त्रिपाठी)
मुख्य वित्त अधिकारी,
कृते निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ

<u>तत्काल / महत्वपूर्ण</u>

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1—समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।
2—समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—शि0नि0(बे0) / 23135—23295 / 2007—08, दिनांकः 15 अक्टूबर, 2007

विषयः भारत सरकार द्वारा संचालित मध्यान्ह भोजन पोषाहार योजनान्तर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका—पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय अभिदान से बर्तन क्रय करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक शि0नि0(बे0) / 22663—752 / 2004—05 दिनांकः 31—1—2005 का अवलोकन करें, जो भारत सरकार द्वारा संचालित मध्यान्ह पोषाहार योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका—पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु बर्तनों के क्रय के संदर्भ में दिये गये निर्देश विषयक है।

उक्त के संबंध में आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में कक्षा—6 से 8 (उच्च प्राथमिक स्तर) अध्ययनरत बच्चों को भोजन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था हेतु तात्कालिक दृष्टि से बर्तनों की आवश्यकता होगी, चूँकि भारत सरकार द्वारा अभी बर्तन की व्यवस्था करने हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है अतः इस योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किये जाने हेतु पूर्व में निर्गत परिपत्र दिनांकः 31—1—2005 में जारी निर्देशों की भाँति विद्यालय विकास अभिदान से उक्त योजनान्तर्गत प्रयोग हेतु बर्तनों को क्रय करना सुनिश्चित करें।

भोजन पकाने हेतु निम्नलिखित बर्तनों की प्रारम्भिक रूप से आवश्यकता होगी :—

1— दो बड़े भगौने
2— दो परात
3— दो करछुल
4— एक कड़ाही
5— दो चिमटे
6— एक बड़ा तवा
7— दो चकला बेलन

कृपया उपरोक्त विषय को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करें।

भवदीय,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0सं0शि0नि0(बे0)/23135–23295/2007–08, तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके कार्यालय के पत्रांक–म0भो0प्रा0/9797/2007–08 दिनांकः 03–10–2007 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) मुख्यालय, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक/सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।

ह0

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः– 2816/79–6–2007

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–(6) **लखनऊ दिनाँक 23 अक्टूबर, 2007**

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयो में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके संज्ञान में लाना हैं कि विगत दिवसो में भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाले खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियो की सफाई, गुणवत्ता एवं स्वच्छता में शिथिलता के कारण कतिपय जनपदो में बच्चो के बीमार होने की घटनाएं हुई हैं। अतः इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत बच्चो को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हैं कि भोजन पकाने हेतु पूर्व से प्रचलित मानकानुसार अच्छी क्वालिटी के घी एवं तेल, जो सील बन्द/टीम के कनस्तर आदि में उपलब्ध हों, का ही प्रयोग किया जाए।

भोजन पकाने हेतु खुले घी/तेल के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाता हैं।

उपर्युक्त निर्देशो का शत–प्रतिशत अनुपालन कराया जाए।

भवदीय
ह0
(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक तद्दिनांक.

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

ह0
(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

कार्यालय, निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकनः म0भो0प्रा0/ 11560 /07 दिनांकः 24.10.2007 .

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3 समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
4 समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5 समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6 गार्ड फाइल।

ह0
(सूरज नरायण मिश्र)
उपनिदेशक,
कृते निदेशक
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उ0 प्र0, लखनऊ

संख्याः– 2830/79–6–2007
दि0 24 अक्टूबर, 2007

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उ0प्र0।

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक निर्देश।

महोदय,

विभिन्न जनपदों में मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे पके पकाये भोजन की जांच में यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि कतिपय स्थानों पर भोजन की गुणवत्ता में कमी थी, जो शिथिल पर्यवेक्षण इंगित करती है।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भविष्य में मध्यान्ह भोजन योजना में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ मुख्य विकास अधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएगे तथा यदि किसी भी विद्यालय में फूड पायजनिंग की कोई घटना होती है, तो उपरोक्त दोनों अधिकारियों को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

उपर्युक्त निर्देशो का शत–प्रतिशत अनुपालन कराया जाए।

भवदीय
ह0
(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक तद्दिनांक.

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

ह0
(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

कार्यालय, निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

पृ0सं0: म0भो0प्रा0/ 11568–11810 /2007–8 दिनांकः 25.10.2007 .

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

ह0
(सूरज नरायण मिश्र)
उपनिदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

संख्याः– 2831/79–6–2007

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

3. समस्त मण्डलायुक्त,
   उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–(6) लखनऊ दिनाँक 24 अक्टूबर, 2007

विषयः प्रदेश के परिषदीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने हेतु रसोइये की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–1688/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी. दिनांक 30 जुलाई, 2004 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का पका–पकाया भोजन दिए जाने हेतु रसोइये की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिए गये थे :–

"भोजन पकाने वाला व्यक्ति स्थानीय हो। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, विधवाओं एवं परितक्यता को वरीयता दी जाएगी।"

इस सम्बन्ध में अग्रेतर यह निर्दिष्ट किया जाता है कि भोजन बनाने हेतु इस प्रकार की माताओं को दायित्व सौंपा जाएगा जो उपरोक्त शर्तें पूरी करती हों एवं जिनके बच्चे सम्बन्धित विद्यालय में पढ़ते हैं।

कृपया आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक तद्दिनांक.

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

ह0
(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

कार्यालय, निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

पृ0सं0: म0भो0प्रा0/ 11568–11810 /2007–8 दिनांकः 25.10.2007 .

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

ह0
(सूरज नरायण मिश्र)
उप निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

संख्याः 2829/79–6/2007

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–(6) लखनऊ दिनांक 24 अक्टूबर, 2007

विषयः प्रदेश के परिषदीय एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के सतत् निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के सतत् निरीक्षण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्याः 456/79–6–06–1 (1)/06, दिनांक 29.03.2006 एवं शासनादेश संख्याः 2166/79–6–2007, दिनांक 06.08.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आपको विदित है कि उक्त योजना को प्रदेश के परिषदीय एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी दिनांक 01.10.2007 से लागू कर दिया गया है। दिनांक 11.10.2007 को आयोजित वीडियो कान्फ्रन्सिंग में हुई चर्चा में इस सम्बन्ध में आपको मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिए जा चुके है।

उक्त के क्रम में अग्रेत्तर यह निर्देशित किया जाता है कि आप यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि जनपद का प्रत्येक जनपद स्तरीय अधिकारी सप्ताह में न्यूनतम दो विद्यालयों का निरीक्षण मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत पके–पकाये भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से करे एवं अपनी आख्या सतत् रूप से आपको उपलब्ध कराये।

जिला स्तरीय बैठकों में इन निरीक्षण आख्योओं पर चर्चा की जाय एवं अपेक्षित सुधारात्मक कदम उठाते हुए मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय
ह0
(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

ह0
(रोहित नंदन)
प्रमुख सचिव

संख्याः 2913/79–6–2007

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग **लखनऊ : दिनांकः 01 नवम्बर, 2007**

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2816/79–6–07 दिनांकः 23.10.2007 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त सरकारी/परिषदीय/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों/ईजीएस केन्द्रों में कक्षा–1 से 5 तक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में परिषदीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड़ मील) दिया जा रहा है। प्रदेश के कतिपय जनपदों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि योजनान्तर्गत दूषित तेल से निर्मित पूड़ी खाने सेस बच्चे बीमार हो रहे हैं।

2– अतः शासन के अग्रिम आदेशों तक मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत दिए जा रहे भोजन में पूड़ी का प्रयोग न किया जाय बल्कि इसके स्थान पर गेहूँ का दलिया अथवा आटे से निर्मित रोटी दी जाए इसके अतिरिक्त पूर्व से निर्धारित मीनू का अनुपालन यथावत सुनिश्चित किया जाए।

3– यदि किसी विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत बच्चों को पूड़ी दिए जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो इसके लिए संबंधित ग्राम प्रधान तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,
ह0
(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

पत्रांकः म0भो0प्रा0/ 13242–312 /2007–08 दिनांक 06 नवम्बर, 2007

विषयः <u>मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत परिवर्तन लागत के व्यय की मासिक सूचना हेतु एम0डी0एम0 रजिस्टर के प्रारूप का निर्धारण।</u>

महोदय,

आप अवगत है कि मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के राजकीय एवं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों के साथ– साथ अब प्रदेश के समस्त जनपदों के शैक्षिणक रूप से पिछड़े हुये विकास खण्डों में संचालित परिषदीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार क्रिन्यान्वित की जा रही योजना के अन्तर्गत परिवर्तन लागत के रूप में प्राथमिक विद्यालयों में रू02.00/–प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस की दर पर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रू0 2.50/–प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस की दर पर वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत करते हुये धनावंटन किया जा रहा है। स्पष्ट है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु परिवर्तन लागत की दर अलग–अलग निर्धारित होने के कारण उनका लेखा जोखा भी पृथक–पृथक रखे जाने की आवश्यकता है ताकि परिवर्तन लागत मद में किये गये धनावंटन के सापेक्ष स्कूल स्तर पर किये गये व्यय की स्थिति स्पष्ट रह सके और राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को योजना की भौतिक एवं व्यय की मासिक प्रगति से अवगत कराया जाना सम्भव हो सके।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में स्कूल स्तर, विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर एम0डी0एम0 रजिस्टर (मिड डे मील रजिस्टर) का प्रारूप निर्धारित करने हेतु प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं वित्त एवं लेखाधिकारियों की मुख्यालय स्तर पर दिनांकः 26–31 अक्टूबर, 2007 के मध्य बैठकें की गयी एवं उन प्रारूपों को उक्त अधिकारियों से विमर्श करते हुये अन्तिम रूप प्रदान किया गया।

तदनुसार निर्धारित किये गये प्रारूपों को संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि इन प्रारूपों पर अनिवार्य रूप से तीनों स्तरों पर सूचना का अंकन करते हुये प्राधिकरण मुख्यालय को मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक के माध्यम से जनपदवार सूचना प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

चूंकि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी निर्देशों में जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ मध्यान्ह भोजन योजना की गुणवत्ता हेतु उत्तरदायी बनाया गया हैं अतः मुख्य विकास अधिकारी द्वारा योजना सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं संलग्न प्रारूपो पर प्राप्त करने हेतु अपने नियन्त्रणाधीनं खण्ड विकास अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए प्रारूपो को भरने के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश दिए जाने होगें। खण्ड

विकास अधिकारियो द्वारा इसी प्रकार अपने विकास खण्ड में ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव को प्रारूपो को भरने हेतु प्रशिक्षित करते हुए सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना होगा।

साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि आप द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस हेतु यह स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया जाये कि सम्बन्धित बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 की बैठक करते हुये उन्हें प्रारूपों को भरने हेतु आवश्यक निर्देश/प्रशिक्षण दिया जाये ताकि प्रारूपों को फील्ड स्तर पर भरे जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न न होने पाये। बी0आर0सी0/एम0पी0आर0सी0 द्वारा अपने क्षेत्र के स्कूलो के प्रधानाध्यापको को प्रारूपो को भरने के लिए प्रशिक्षित करते हुए मासिक स्तर पर सूचना प्राप्त करनी होगी। इस हेतु विद्यालय से जिला स्तर तक एम0डी0एम0 रजिस्ट के माध्यम से सूचना संचरण हेतु समय सारिणी का निर्धारण भी आपके स्तर से इस प्रकार किया जाना अपेक्षित होगा कि मण्डल स्तर के माध्यम से प्राधिकरण मुख्यालय तक प्रत्येक माह की 15 तारीख तक गत माह से सम्बन्धित सूचना प्राप्त हो जाए।

वित्तीय स्वीकृतियों के विभिन्न शासनादेशों में योजना के कियान्वयन हेतु आपकों उपलब्ध करायी जा रही वित्तीय स्वीकृतियों की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी है। किन्तु अभी तक आपके स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नही हो रहा है। संलग्न प्रारूपों के आधार पर जनपद स्तर पर व्यय की मासिक सूचना, उपभोग में लाये गये खाद्यान्न की मात्रा एवं ग्राम निधि–5/ग्राम शिक्षा निधि/जनपद स्तर पर अवशेष धनराशि की सूचना संकलित करना सुलभ होगा, अतः **आपके स्तर से प्रत्येक त्रैमास के अन्त में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन एव प्राधिकरण मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना अपेक्षित होगा। संलग्नकः– यथोक्त**

भवदीय

ह0

(संतोष कुमार यादव)

निदेशक

संख्याः 2991/79–6–2007

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–(6) **लखनऊ** **दिनांक** **06 नवम्बर, 2007**

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों/स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड समिति को दये गये खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) का विशेष ऑडिट कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना एक अत्यन्त जनोपयोगी योजना है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 1.94 करोड़ छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन विद्यालय में पका–पकाया भोजन दिया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र/छात्राओं को प्रत्येक विद्यालय दिवस में भोजन उपलब्ध कराने का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में यह कार्य मुख्यतः स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड समितियों के द्वारा किया जा रहा है। भोजन बनाने हेतु खाद्यान्न एवं इसे पकाने हेतु वांछित परिवर्तन लागत (कन्वर्जन कास्ट) भी ग्राम पंचायतों एवं नगर क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड समितियों को उपलब्ध करायी जा रही है। प्राप्त खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का लेखा–जोखा भी ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधान एवं सचिव, ग्राम पंचायत की देख–रेख में तथा नगर क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड समितियों (वार्ड सभासद एवं अधिशासी अधिकारी) के द्वारा रखा जा रहा है। परिवर्तन लागत हेतु पृथक से ग्रामनिधि–ट की व्यवस्था की गयी है।

गतवर्ष के दिसम्बर माह में प्रदेश के सभी जनपदों में योजनान्तर्गत विशेष ऑडिट कराया गया था जिसके उपरान्त कतिपय जनपदों में अनियमिततायें प्राप्त हुयी थीं। मुझे विश्वास है कि अनियमितताओं के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आपके स्तर से दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों के प्रति कार्यवाही सम्पादित कर दी गयी होगी।

उपर्युक्त परिदृश्य में योजनान्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से 30 नवम्बर, 2007 की अवधि के मध्य प्राप्त खाद्यान्न तथा परितर्वन लागत की धनराशि का उन विद्यालयों को छोड़कर, जिनमें गतवर्ष ऑडिट कार्य सम्पन्न कराया जा चुका है, चयनित विद्यालयों में विशेष ऑडिट कराया जायेगा। प्रत्येक आडिट टीम द्वारा 05 चयनित विद्यालयों का आडिट किया जायेगा। इस हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों की अध्यक्षता में ऑडिट टीमों का गठन किया जायेगाः–

1. जिला विद्यालय निरीक्षक
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
3. जिला आपूर्ति अधिकारी

4. जिला पंचायत राज अधिकारी
5. लेखाधिकारी, कार्यालय– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रत्येक ऑडिट टीम में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

सम्बन्धित विकास खण्ड के

1. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस.डी.आई.
2. पूर्ति निरीक्षक
3. ए.डी.ओ. पंचायत
4. टीम लीडर के कार्यालय के लेखाकार (जहां टीम लीडर के कार्यालय में कोई लेखाकार न हो वहां लेखाकार की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय से की जायेगी।)

दिनांक 01 दिसम्बर, 07 से 15 दिसम्बर, 07 के मध्य एक टीम द्वारा नगरीय क्षेत्र तथा 4 टीमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑडिट किया जायेगा। ऑडिट हेतु विकासखण्डों/ग्राम पंचायतों/नगरीय क्षेत्रों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नगरीय क्षेत्र में ऑडिट की इकाई एक वार्ड अथवा कोई स्वयं सेवी संस्था होगी। उक्त वार्ड/स्वयं सेवी संस्था के क्षेत्र में स्थित सभी विद्यालयों में योजना का ऑडिट किया जायेगा।

ऑडिट में ग्राम पंचायत में उपलब्ध प्रपत्र ए ब व स/स्वयं सेवी संस्था/वार्ड में उपलब्ध अभिलेख कामिलान विद्यालय में उपलब्ध मध्यान्ह भोजन योजना पंजिका/उपस्थिति पंजिका से सघनतापूर्वक किया जाये। जिन ग्राम पंचायतों/स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रबन्धक/वार्ड समिति के पदाधिकारी, कोटेदार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा प्रधानाध्यापक को ऑडिट की तिथि से अवगत अवश्य करा दिया जाये जिससे कि वे ऑडिट के दिनांक पर अभिलेखों सहित ऑडिट टीम के सहयोग हेतु उपस्थित रहें।

ऑडिट टीम अपनी आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी। यदि ऑडिट में कतिपय अनियमिततायें संज्ञान में आती हैं तो उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी ऑडिट टीमों के निष्कर्षों एवं कृत कार्यवाही से दिनांक 10–12–2007 तक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को अवगत करायेंगे।

ऑडिट टीम के सहायतार्थ प्रारूप तैयार कर संलग्न है। ऑडिट टीम इसी प्रारूप पर ग्राम पंचायतों/स्वयं सेवी संस्थाओं/वार्ड कमेटी का ऑडिट करेंगी एवं इसके सभी बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से आख्या अंकित कर जनपदीय टास्क फोर्स को उपलब्ध करायेगी।

संलग्नकः– उक्तवत्।

भवदीय
ह0
(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, लखनऊ।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।

ह0

(रोहित नन्दन)

प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा)

उ0प्र0 शासन

ग्राम पंचायतों में मध्यान्ह भोजन योजना का आडिट प्रारूप

1. ग्राम पंचायत का नामः
2. विकास खण्ड एवं जनपदः
3. ग्राम पंचायत में पड़ने वाले कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्याः
4. प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामः

   ;पद्ध
   ;पपद्ध
   ;पपपद्ध
   ;पअद्ध

5. ग्राम पंचायत में 01 अप्रैल, 2007 को उपलब्ध खाद्यान्न

गेहूँ (किग्रा.)	चावल (किग्रा.)	कुल योग ;12 किग्रा.द्ध
1	2	3

6. ग्राम पंचायत में 01 अप्रैल, 2007 को उपलब्ध परिवर्तन लागत त्र रू0
7. ग्राम पंचायत में मध्यान्ह भोजन योजना के आधार भूत सूचना तालिकाः–

माह	माह में कार्य दिवसों की संख्या	' कितने दिन भोजन दिया गया	'' 01 अप्रैल 07 से 30 नवम्बर, 07 तक कितने बच्चों ने भोजन किया	+ माह में प्राप्त खाद्यान्न (गेंहू. चावल) किग्रा. में	– माह में प्रयुक्त खाद्यान्न (गेंहू. चावल) किग्रा. में	रु माह में प्राप्त परिवर्तन लागत	/ माह में प्रयुक्त परिवर्तन लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
अप्रैल							
मई							
जुलाई							
अगस्त							
सितम्बर							
अक्टूबर							
नवम्बर							
योग							

तालिका–1 – आधारभूत आंकड़े

' विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्राप्त की जाय, उपस्थिति पंजिका में सत्यापित किया जाय।

'' विद्यालय में भोजन दिये जाने वाले दिनों की उपस्थिति का मासिक योग प्रत्येक विद्यालय के प्रधान अध्यापक से प्राप्त करें। मध्यान्ह भोजन योजना पंजिका में

कक्षा–1 से कक्षा–5 तक के छात्रों का योग किया जाये। ***कृपया उदाहरण देखें (पृष्ठ संख्या 05)।***

+ यह सूचना जिलापूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से प्राप्त करें।

रु यह सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से प्राप्त करें तथा ग्रामनिधि–ट से सत्यापित किया जाये।

– एवं / यह सूचना ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी से प्राप्त करें तथा परिवर्तन लागत दैनिक आय–व्यय लेखा विवरण प्रपत्र–प तथा दैनिक खाद्यान्न स्टाक रजिस्टर प्रपत्र– प्प से सत्यापित किया जाये।

खाद्यान्न की गणना

(8) 30 नवम्बर, 07 तक उपलब्ध कराया गया कुल खाद्यान्न (गेहूं + चावल) त्र (बिन्दु 5) + (तालिका –1 के स्तम्भ–5 का योग) त्र किग्रा0

(9) 31 अक्टूबर, 07 तक प्रयुक्त खाद्यान्न त्र तालिका –1 के स्तम्भ–6 का योग त्र किग्रा0

(10) अवषेष खाद्यान्न त्र बिन्दु 5 – बिन्दु 6 त्र किग्रा0

परिवर्तन लागत की गणना

(11) 30 नवम्बर, 07 तक उपलब्ध करायी गयी परिवर्तन लागत त्र बिन्दु 6 + (तालिका –1 के स्तम्भ–7 का योग) त्र रू0

(12) कुल प्रयुक्त परिवर्तन लागत त्र तालिका –1 के स्तम्भ–8 का योग त्र रू0

(13) अवशेष परिवर्तन लागत त्र बिन्दु 11 – बिन्दु 12

खाद्यान्न का सैद्धान्तिक उपभोग तथा अवशेष का भौतिक सत्यापन :–

(अ) 9 माह में उपभोग किये जाने वाले खाद्यान्न की गणना त्र लाभान्वित छात्रों की संख्या (तालिका–1 के स्तम्भ–4 का योग) ग 0.1 किग्रा0 त्र किग्रा0

(ब) उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न (गेहूं +चावल)त्र बिन्दु 8 त्र किग्रा0

(स) अवशेष खाद्यान्न जो उपलब्ध होना चाहिए त्र (ब) – (अ) त्र किग्रा0

(द) भौतिक सत्यापन में पाया गया अवशेष खाद्यान्न (गेहूं +चावल) त्र किग्रा0

(क) *बिन्दु–9 तथा बिन्दु (स) व बिन्दु (द) के अवशेषों में अंतर एवं कारण* । क्या कोई अनियमिततता हुई है?

परिवर्तन लागत का सैद्धान्तिक उपभोग तथा अवषेष का भौतिक सत्यापन :–

1 अप्रैल, 2007 से 30 नवम्बर, *2007 तक की परिवर्तन लागत की गणना*

(प) 01 अप्रैल, 07 से 30 नवम्बर, 07 तक के भोजन उपलब्ध कराये जाने वाले दिनों की दैनिक उपस्थिति का योग ग रू0 2ध. त्र रू0

;पपद्ध अवशेष परिवर्तन लागत त्र बिन्दु 11– ;पद्ध त्र रू0

;पपपद्ध ग्राम निधि–ट में वास्तविक अवषेष परिवर्तन लागत त्र रू0

;पअद्ध *बिन्दु–13,* ;पपद्ध व ;पपपद्ध *में यदि कोई अंतर पाया जाता है तो उसके क्या कारण हैं? क्या कोई अनियमितता प्रकाश में आयी है?*

अन्य बिन्दु–

- अभिभावक/ग्राम प्रधान/प्रधानाध्यापक/शिक्षामित्रों द्वारा नियमित भोजन परोसने से पूर्व चखा जाये।
- मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि क्रमशः 5000/– एवं 1000/– से क्रय किसे गये बर्तनों एवं उपकरणों का विवरण।
- योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्षेत्र से प्राप्त किसी सुझाव का उल्लेख किया जाय।
- रसोइये के खाता खुलने, नियमित मानदेय एवं स्वच्छता सम्बन्धित प्रशिक्षण की स्थिति।
- आडिट में किसी अधिकारी/कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति के प्रथम दृष्टया दोषी पायें जाने पर नाम का उल्लेख किया जाय।

हस्ताक्षर

टीम लीडर एवं अन्य सदस्य

विद्यालय का नाम प्रा0वि0 'क' माह अप्रैल, 2007

भोजन करने वाले बच्चों की कक्षावार संख्या

तिथि	दिवस	कक्षा–1	कक्षा–2	कक्षा–3	कक्षा–4	कक्षा–5	योग
01ध07ध06	शनिवार	70	64	60	56	49	**299**
02ध07ध06	रविवार						**0**
03ध07ध06	सोमवार	58	46	55	54	40	**253**
04ध07ध06	मंगलवार	50	55	49	50	38	**242**
05ध07ध06	बुधवार	69	64	60	52	46	**291**
06ध07ध06	बृहस्पतिवार	55	48	48	49	45	**245**
07ध07ध06	शुक्रवार	45	66	50	45	49	**255**
08ध07ध06	शनिवार	66	57	55	56	44	**278**
09ध07ध06	रविवार						**0**
10ध07ध06	सोमवार	69	55	58	38	49	**269**
11ध07ध06	मंगलवार	46	48	48	40	49	**231**
12ध07ध06	बुधवार	56	54	54	46	46	**256**
13ध07ध06	बृहस्पतिवार	68	62	49	54	40	**273**
14ध07ध06	शुक्रवार	52	48	59	49	38	**246**
15ध07ध06	शनिवार	65	48	46	46	45	**250**
16ध07ध06	रविवार						**0**
17ध07ध06	सोमवार	70	55	40	56	45	**266**

18ध07ध06	मंगलवार	52	60	49	54	38	**253**
19ध07ध06	बुधवार	60	48	55	40	47	**250**
20ध07ध06	बृहस्पतिवार	45	54	60	55	49	**263**
21ध07ध06	शुक्रवार	55	60	54	44	30	**243**
22ध07ध06	शनिवार	65	62	48	48	36	**259**
23ध07ध06	रविवार						**0**
24ध07ध06	सोमवार	58	63	55	55	49	**280**
25ध07ध06	मंगलवार	60	55	59	40	47	**261**
26ध07ध06	बुधवार	46	48	45	42	35	**216**
27ध07ध06	बृहस्पतिवार	69	42	49	54	37	**251**
28ध07ध06	शुक्रवार	52	60	48	56	30	**246**
29ध07ध06	शनिवार	45	54	54	49	46	**248**
30ध07ध06	रविवार						**0**
31ध07ध06	सोमवार	68	52	56	55	40	**271**
कुल योग							**6695**

इस प्रकार माह अप्रैल में विद्यालय संख्या 01 में कुल छात्रों ने 6695 बार भोजन किया। यदि एक ग्राम पंचायत में 03 विद्यालय आते हैं तो इसी प्रकार से प्रत्येक विद्यालय हेतु चार्ट बनाकर उस माह विशेष में कुल कितनी बार छात्रों ने भोजन किया यह आगणित किया जायेगा। इसी प्रकार अन्य माहों हेतु भी विद्यालयवार आगणन किया जायेगा। सन्दर्भगत् ऑडिट में अप्रैल, 07 से नवम्बर, 07 तक का विद्यालयवार आगणन किया जायेगा।

प्रेषक,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांकः म0भो0प्रा0/ 13645–945 /2007–08, दिनांकः 14.11.07

विषयः सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना के अन्तर्गत ग्राम प्रधान एवं रसोइये के प्रशिक्षण के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन आपके स्तर से किया जा रहा है। विगत दिवसों में इस योजना से आच्छादित कतिपय विद्यालयों में भोजन विषाक्तता आदि की घटनायें घटित हुयी हैं, जिसका दुष्प्रभाव संबंधित विद्यालयों के छात्रों पर घटित हुआ। इस संबंध में जॉचोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम प्रधानों एवं रसोइयों में स्वच्छता एवं सतर्कता के प्रति जागरूकता का अभाव पाया गया। मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति में यह निर्णय लिया गया कि पंचायती राज विभाग द्वारा चलाये जा रहे सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों एवं रसोइयों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाये, जिससे उनके मध्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो तथा भविष्य में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भोजन विषाक्तता आदि से संबंधित दुर्घटनाओं को समाप्त किया जा सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर आने वाला व्यय सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से डपटेल किया जायेगा। इस संबंध में जिन बिन्दुओं पर ग्राम प्रधान एवं रसोइयों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है, वे बिन्दु संलग्न कर आपको प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उक्तवत।

भवदीय
ह0
(संतोष कुमार यादव),
निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0सं0ः म0भो0प्रा0/ 13645–925 /2007–08, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

ह0
(संतोष कुमार यादव),
निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

रसोइया

Sr. No.	Do's		Dont's
स्वास्थ्य एवं सफाई –			
1	भोजन बनाने से पहले स्नान कर स्वच्छ कपड़े व एप्रेन पहनें।		भोजन की तैयारी करते समय गन्दे कपड़े न पहनें।
2	ग्राम प्रधान से प्राप्त खाद्यान्न की समुचित सफाई कर भोजन बनायें।		ग्राम प्रधान से प्राप्त खाद्यान्न की समुचित सफाई में लापरवाही न करें।
3	भोजन बनाने हेतु प्राप्त सामग्री को साफ–सुथरे स्थान एवं बर्तनों में रखें।		प्राप्त सामग्री को नीचे एवं गन्दे स्थान पर कदापि न रखें।
4	बर्तनों को साफ करने हेतु साबुन पाउडर आदि भोजन पकाने की सामग्री से दूर रखें।		भोजन पकाने हेतु प्राप्त सामग्री एवं बर्तन साफ करने हेतु प्राप्त साबुन पाउडर आदि एक साथ न रखें।
5	भोजन बनाने हेतु ताजी हरी सब्जी का प्रयोग अच्छी तरह साफ करके धोने के उपरान्त ही करें।		सड़ी–गली सब्जी का प्रयोग कदापि न करें।
6	हैण्डपम्प के आस–पास सफाई रखें।		हैण्डपम्प के आस–पास गन्दगी कदापि न रहने दें।
7	पानी पीने व खाना बनानें में इण्डिया मार्क–2 का ही प्रयोग करें।		पीने एवं भोजन बनाने का पानी जंगरहित इण्डिया मार्क–2 के अलावा किसी अन्य प्रकार से उपलब्ध पानी का प्रयोग न करें।
8	खाँसी या छींक आते समय मुँह पीछे करें		खाँसी या छींक आते समय मुँह भोजन सामग्री की ओर न करें।
9	यदि कोई संक्रामक रोग है तो रसोई घर के कार्य से बचें।		संक्रामक रोग के समय मध्यान्ह भोजन तैयार न करें।
10	स्वास्थ्य परीक्षण छमाही/वार्षिक अवश्य करायें।		समयबद्ध स्वास्थ्य परीक्षण कराने में शिथिलता न करें।
11	खाने–पीने या आम जगहों पर बालों या सिर को कपड़े से ढ़क लें।		खाने–पीने या आम जगहों पर बालों में कंघी या प्रसाधन न लगायें।
12	भोजन बनाने के स्थान पर धूम्रपान/पान मसाले का प्रयोग वर्जित है।		भोजन बनाने व उसके आस पास धूम्रपान/पान मसाले का प्रयोग कदापि न करें।
13	स्वच्छ कपड़े से ही हाथ पोछें।		अपने एप्रेन या या पहने हुए कपड़े के किसी हिस्से को हाथ पोछने में प्रयोग न करें।
14	कूड़ा–करकट एवं अप्रयुक्त सामग्री ढ़क्कन युक्त डिब्बे (डस्टबिन) में डालें।		कूड़ा–करकट एवं रद्दी चीजें ढ़क्कन युक्त डिब्बे के अलावा इधर–उधर न डालें।
15	सिर्फ बार–बार हाथ पानी से धोते रहने से ही आपके हाथ साफ रहेंगे।		बार–बार हाथ गन्दे पानी से धोते रहने से ही आपके हाथ साफ नहीं रहेंगे।

16	रसोइया एवं उसके सहायक सभी खाना पकाने के कार्य में लगे हैं, स्वच्छतायुक्त हों जैसे उनके नाखून कटे हों, हाथ पैर साबुन से धुले हों।		नाखून, हाथ तथा पैर आदि में कदापि गन्दे न हों।
17	अप्रयुक्त सामग्री को विद्यालय परिसर से बाहर फेंक दें।		अप्रयुक्त सामग्री को विद्यालय परिसर में न रहने दें।
18	बर्तनों को खाना बनाने के उपरान्त तत्काल साफ कर सुखा लें।		बर्तनों को खाना बनाने के उपरान्त गन्दा न रहने दें।
19	सभी प्रकार के एगमार्क मसाले व आयोडाइज़्ड नमक को एयरटाइट कन्टेनर में ही रखें।		सभी प्रकार के एगमार्क मसाले व आयोडाइज़्ड नमक को खुला न रखें।
20	खाना पकाते समय व पश्चात् बर्तनों में ढ़क्कन अवश्य प्रयोग करें, इससे भोजन की गुणवत्ता बनी रहती है तथा ईंधन की बचत होती है।		खाना पकाते समय व पश्चात् बर्तनों में ढ़क्कन अवश्य प्रयोग करने में लापरवाही कदापि न करें।
21	भोजन पकाने एवं परोसने में स्वच्छता का विशेष ध्यान दें।		सफाई के अभाव में पकाये गये भोजन से बच्चे बीमार हो सकते हैं, इसमें लापरवाही कदापि न करें।
22	हरी पत्तेदार सब्जी को काटने से पहले अवश्य धो लें।		हरी पत्तेदार सब्जी को काटने से पहले धाने में लापरवाही कदापि न करें।
23	पके–पकाये भोजन को ठण्डा होने पर उन्हें पुनः गर्म करके परोसना वर्जित है।		पके–पकाये भोजन को ठण्डा होने पर उसे पुनः गर्म करके कदापि न परोसें।
सुरक्षा –			
24	भोजन बनाते समय पूर्ण सतर्कता बनाये रखना एवं बच्चों को वहाँ आने न दें।		भोजन बनाते समय इधर–उधर न जाना अर्थात् किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।
25	भोजन बनाने से पूर्व रसोई से छिपकली व अन्य कीड़े–मकोड़ों को बाहर निकालकर ही खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू करें।		रसोई में छिपकली या अन्य कीड़े–मकोड़े होने पर भोजन बनाना कदापि प्रारम्भ न करें।
26	धुआँरहित चूल्हे का ही प्रयोग करें।		धुआँ करने वाले चूल्हे का प्रयोग कदापि न करें।
27	गैस सिलेण्डर की रबर, रेगुलेटर, बर्नर, स्टोव आदि की जांच करते रहें तथा खराब होने पर तत्काल सूचित करें।		गैस सिलेण्डर की रबर, रेगुलेटर, बर्नर, स्टोव आदि के खराब होने पर लापरवाही न करें।
29	खाना पकाने हेतु कैरोसिन, गैस सिलेण्डर, लकड़ी, कोयला इत्यादि पूर्व से ही सावधानी पूर्वक स्टोर कर लें।		खाना पकाने हेतु कैरोसिन, गैस सिलेण्डर, लकड़ी, कोयला इत्यादि रखने में लापरवाही कदापि न करें।
29	बच्चों को भोजन बनाने के स्थान से दूर रखें।		बच्चों को भोजन बनाने के स्थान पर कदापि न आने दें।
30	किचेन कम स्टोर को प्रयोगोपरान्त ताला लगा दें।		किचेन कम स्टोर को प्रयोगोपरान्त खुला न रखें।